खण्ड-390, अंक-4
बुधवार, 10 फाल्गुन, शक संवत् 1910
(1 मार्च, 1989 ई0)

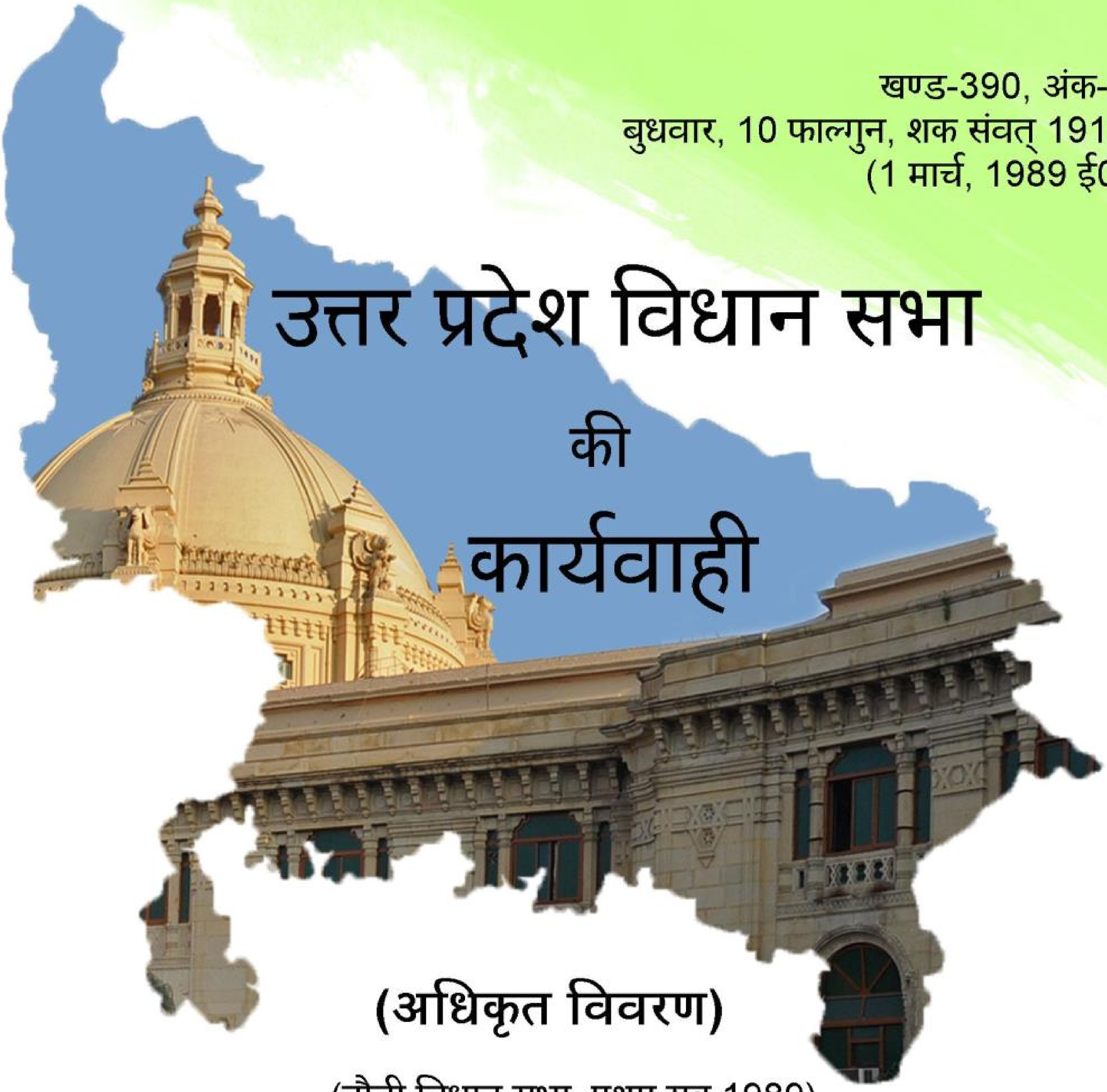

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(नौवी विधान सभा, प्रथम सत्र 1989)

खण्ड 390 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश (भारत)
1989

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1–2
प्रश्नोत्तर	3–100
नियम 311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना के सम्बन्ध में जानकारी की मांग..(जारी)	100–101
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं ..	101
चिड़ियाघर लखनऊ के कर्मचारियों के असन्तोष के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	101
जिला बलिया में ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	102
प्रदेश की नगरपालिका व टाउन एरिया द्वारा ट्रकों व मिनी ट्रकों पर तहबाजारी लगाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	102
जिलों में सैनिक विश्राम गृहों पर अवैधानिक कब्जों के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	102–103
जिला ब्रजीपुर के ब्लाक विरनों से रामपुर पम्सेवा तक के मार्ग को लेपन स्तर तक बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	103
उत्तर प्रदेश जल निगम के अस्थायी कर्मचारियों को विनियमित किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	103–104
जिला बरेली में बरेली बदायूं रोड पर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अवैध रूप से भूमि अर्जन के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	104
नियम 311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना के सम्बन्ध में जानकारी की मांग	104–106
प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 299 क के अन्तर्गत श्री भगवानदीन कुशवाहा का सदन से निलम्बन ..	106–107
निलम्बन के सम्बन्ध में श्री भगवानदीन कुशवाहा द्वारा जानकारी की मांग	107–108
नियम 311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना के सम्बन्ध में जानकारी की मांग	108–110
श्री भगवानदीन कुशवाहा के निलम्बन के निर्णय पर पुनः विचार हेतु अनुरोध तथा सदन के व्यवस्थित चलने हेतु दोनों पक्षों के दायित्व सम्बन्धी व्यवस्था का प्रश्न	110–111

सत्तापक्ष की तरफ से कुछ कागजात सदन के फ्लोर पर फेंके जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न..(जारी) .. 111–112

औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं 112

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं 113

सत्तापक्ष की तरफ से कुछ कागजात सदन के फ्लोर पर फेंके जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न .. 113

वित्तीय वर्ष 1989–90 के आय व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान अनुदान संख्या 71 सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान), अनुदान संख्या 72 सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन), अनुदान संख्या 73 सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन), अनुदान संख्या 74 सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन), अनुदान संख्या 75 सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन), अनुदान संख्या 75 क सार्वजनिक निर्माण विभाग (राज्य सम्पति निदेशालय), अनुदान संख्या 62 विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग (विधान मण्डल)..(स्वीकृत) .. 113–115

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1989..(पारित) 115–117

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1989..(पारित) 118–119

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं 119

नस्थियां 120–132

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 1 मार्च, 1989

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ, में 11 बजे दिन में उपाध्यक्ष श्री त्रिलोक चन्द्र की अध्यक्षता आरम्भ हुई ।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे ।

अकबर अहमद (डम्पी), श्री (नैनीताल)
अचल सिंह, श्री (फतेहपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री (मेरठ)
अब्दुल वहीद कुरैशी, श्री (मेरठ)
अमर नाथ सिंह, श्री (फतेहपुर)
अमीर आलम खां, श्री (मुजफ्फरनगर)
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री (बरेली)
अलमेलु अम्माल, कुमारी (बस्ती)
अशरफ इमाम, श्रीमती (मिर्जापुर)
आर0 एन0 पाठक, श्री (कानपुर)
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री (इलाहाबाद)
औसान सिंह, श्री (इटावा)
कमलेश कुमार पाठक, श्री (इटावा)
काजी मोहिउद्दीन, श्री (सहारनपुर)
किशन लाल दिलेर, श्री (अलीगढ़)
कृष्ण कुमार, श्री (फैजाबाद)
कृष्णवीर सिंह कौशल, डा0 (आगरा)
गंगा स्वरूप भटनागर, श्री (सीतापुर)
गोपीनाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)
गौरी शंकर, श्री (इटावा)
चेतराम गंगवार, श्री (बरेली)
दलजीत सिंह, श्री (रामपुर)
द्वारिका प्रसाद, श्री (बस्ती)
धनराज यादव, श्री (बस्ती)
नरेन्द्र पाल सिंह, श्री (बरेली)
नरेन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
निर्भय पाल शर्मा, श्री (सहारनपुर)
पशुपति नाथ मेहरोत्रा, श्री (कानपुर)
प्रमीला बुद्धवार मेहरा, श्रीमती (बदायूं)
फागू चौहान, श्री (आजमगढ़)
बद्री सिंह, श्री (जालौन)
बलदेव सिंह, कैप्टेन (अलीगढ़)
बहादुर सिंह, श्री (आगरा)
बुद्धपाल सिंह खुर्जावाले, श्री (बुलन्दशहर)
भगवती प्रसाद, चौधरी (मिर्जापुर)
मंगलदेव, श्री (गोण्डा)
मनोहर लाल, श्री (उन्नाव)
मैनेजर सिंह, श्री (बलिया)
रघुवीर सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
रतन स्वरूप राही, श्री (बुलन्दशहर)
राकेशधर त्रिपाठी, श्री (फैजाबाद)
राजित प्रसाद यादव, श्री (वाराणसी)
राजीव कुमार सिंह, श्री (बाराबंकी)
रामपाल वर्मा, श्री (हरदोई)
राम भजन लाल, श्री (खीरी)
राम लखन, श्री (गोरखपुर)
रीना कुमारी, श्रीमती (मुरादाबाद)
लक्ष्मी नारायन, श्री (मथुरा)
वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री (गोरखपुर)
वीरेन्द्र सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
शतरुद्र प्रकाश, श्री (वाराणसी)
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर (कानपुर)
शिव बख्श सिंह राठौर, श्री (मैनपुरी)
शिव बालक पासी, श्री (रायबरेली)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शूरवीर सिंह सजवाण, श्री (टेहरीगढ़वाल)
संजय सिंह, डा० (सुल्तानपुर)
सलाबत हुसैन, श्री (गाजियाबाद)
सत्यपाल सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
समरपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
सुखदा मिश्रा, श्रीमती (इटावा)
सुनील शास्त्री, श्री (गोरखपुर)
सुरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (रायबरेली)
सैयद अली अशरफी, श्री (पीलीभीत)
सैयद सईदुल हसन, श्री (बुलन्दशहर)
हफीज भारती, श्री (आजमगढ़)
हर नारायण सिंह, श्री (रायबरेली)
हरशरन सिंह, श्री (मेरठ)
हितेश कुमारी, श्रीमती (बुलन्दशहर)

अध्यक्ष सभा पटल पर

प्रश्नोत्तर

बुधवार, दिनांक 1 मार्च, 1989

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

राज्य विद्युत् परिषद् के शेयर तथा बाण्ड्स निजी क्षेत्रों में बेचने का निर्णय

**1—श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य विद्युत् परिषद् के वित्तीय संकट को देखते हुए निजी क्षेत्रों में उसके शेयर तथा बाण्ड्स बेचने का निर्णय लिया है ? यदि हां, तो उसमें किस अंश तक निजी क्षेत्रों में भागीदार होगी ?

ऊर्जा मंत्री (चौधरी नरेन्द्र सिंह)—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री सूर्य प्रताप शाही—

मान्यवर, मुझे दुःख है की माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न का सदन में सही उत्तर नहीं दिया है । राजस्व परिषद् द्वारा जो बाण्ड जारी किए गए हैं वे मेरे पास हैं और मैं इसे आपके पास अवलोकनार्थ भेज रहा हूं । मैंने अपने प्रश्न में यह पूछा था कि राज्य विद्युत् परिषद् के वित्तीय संकट को देखते हुए निजी क्षेत्रों में उसके शेयर तथा बाण्ड्स बेचने का क्या निर्णय लिया है ? इसका उत्तर माननीय मंत्री जी ने दिया है 'जी नहीं' । अभी 3 माह पहले ही एक विज्ञापन निकला है जिसमें बाण्ड्स खरीदने के लिए छपा है । राजस्व परिषद् के सचिव, श्री बी0 बी0 शर्मा की तरफ से 5 नवम्बर, 1987 को यह बाण्ड्स छापे गए हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि यह बाण्ड्स किन कारणों से छापे गए थे, उनको छापने का क्या औचित्य था तथा सदन में गलत उत्तर क्यों दिया गया ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, प्रश्न निजी क्षेत्रों के बारे में पूछा गया है और निजी क्षेत्र में बाण्ड्स जारी करने का कोई विचार नहीं है, इसीलिए प्रश्न का उत्तर 'जी नहीं' दिया गया है ।

श्री सूर्य प्रताप शाही—

मान्यवर, इस फार्म में न तो निजी क्षेत्रों का उल्लेख है और न ही प्राइवेट क्षेत्र का कोई उल्लेख है । कोई भी व्यक्ति इन्हें खरीद सकता है और 11 परसेन्ट ब्याज की इसमें व्यवस्था है ।

इसकी व्यवस्था है, मुझे अफसोस है कि आप इस सदन को गुमराह कर रहे हैं और सही उत्तर सदन को नहीं दे रहे हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि जो परिषद् का वित्तीय संकट है, उसमें आप किस अंश तक इस बाण्ड को आप बेचना चाहते हैं और इसकी लिमिट क्या होगी और पूंजी निवेश किस हद तक किया जाएगा ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

माननीय सदस्य का यह कहना कि यह मेरी गुमराह करने की कोशिश है, सही नहीं है। दूसरी इसमें मेरी ओर से कुछ प्रयास सन् 86 में हुए थे और कुछ बाण्ड्स वगैरह जारी हुए थे कि इस तरीके से संसाधन जुटाए जाएं, लेकिन भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने उसकी मनाही कर दी, इसलिए इस व्यवस्था को आगे नहीं बढ़ाया गया।

श्री सूर्य प्रताप शाही--

इस बाण्ड के आधार पर कितने लोगों ने खरीदा और कितने रुपए के बाण्ड्स सेन्ट्रल बैंक कानपुर शाखा से बेचे गए हैं ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

मैंने तो बहुत पहले निवेदन किया कि इस तरह के बाण्ड्स निजी क्षेत्र में...

श्री सूर्य प्रताप शाही--

आपके उत्तर से सम्बन्धित है, आप स्वीकार कर रहे हैं कि यह बाण्ड्स बेचे गिए थे 1986 में, विद्युत् परिषद् ने यह निर्णय लिया था कि पूंजी निवेश करने के लए परिषद् की गम्भीर आर्थिक स्थिति को देखते हुए यह बेचे जायेंगे। उसमें सार्वजनिक क्षेत्र या निजी क्षेत्र किसी के लिए मनाही नहीं थी, कोई व्यक्ति खरीद सकता था, तो यह जो 1 से 5 लाख तक के बाण्ड्स सेन्ट्रल बैंक आफ कानपुर शाखा से बेचे गए, तो कितने बाण्ड्स और कितने रुपयों के बेचे गए हैं ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

इस तरह की कोई जानकारी नहीं है, मेरी जानकारी में इस तरह के कोई बाण्ड्स नहीं बेचे गए हैं।

श्री हरिश्चन्द्र 'हरीश जी'--

मैं यह जानना चाहता हूं कि यह बाण्ड कौन खरीद सकता है और किन्हें आप बेचते हैं ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

यह कुछ जो बैंक हैं और इंश्योरेंश कम्पनियां हैं, जिन लोगों को हमको योगदान प्राप्त हुआ करता है, उन्हीं से सम्बन्धित यह व्यवस्था रही है।

श्री राज किशोर सिंह--

मैं यह जानना चाहता हूं कि राज्य विद्युत् परिषद् को वित्तीय संकट से उबारने के लिए और केन्द्र सरकार को निजी क्षेत्र का विकास करने की जो नीति है, उसके तहत क्या राज्य विद्युत् परिषद् के निजी क्षेत्र में सौंपने की उनकी कोई योजना विचाराधीन है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

मैंने बताया कि इस दिशा में प्रयास हुआ था, लेकिन भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने इसे मना कर दिया, इसलिए अब यह नहीं है।

डाक्टर दिनेश जौहरी—

जहां तक मुझे याद है अखबारों में इस तरह के मैंने विज्ञापन पढ़े थे, तो इस तरह के बाण्ड्स को छपवाने में और विज्ञापन करवाने में कितना परिषद् का धन खर्च हुआ और बिना केन्द्रीय वित्त मंत्रालय की अनुमति के यह सब करने का क्या औचित्य था, इसके लिए जिम्मेदार कौन है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

इस समय मुझे इसकी जानकारी नहीं है। सम्मानित सदस्य को जानकारी करा दूंगा कि कितना पैसा इसमें खर्च हुआ।

सम्मानित सदस्य ने जो जानकारी चाही है अलग से करा दूंगा कि कितना पैसा खर्च हुआ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, एक अनुपूरक के उत्तर में इन्होंने बताया कि बाण्ड छापा गया था उनको खरीदा गया, इन्होंने कहा कि जानकारी नहीं है दूसरे अनुपूरक में आपने कहा कि बैंकों को बाण्ड खरीदने की व्यवस्था की गई थी, तो मैं जानना चाहता हूं कि बाण्ड पर क्या यह शर्त लिखी है कि बैंकों के अलावा कोई आदमी इसको नहीं खरीदेगा ? अगर कोई बड़ा उद्योगपति बाण्ड खरीद लेता है, तो आप क्या करेंगे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

ऐसी व्यवस्था नहीं है मैंने शाही जी को पहले भी बताया कि इंश्योरेंस कम्पनी और बैंक के जरिए बाण्ड खरीदे जाते हैं। प्लान के बाण्ड हैं यह 1964 से लगातार खरीदे जा रहे हैं।

श्री सूर्य प्रताप शाही—

मान्यवर, आपने कहा कि इंश्योरेंस कम्पनी ने बाण्ड खरीदे हैं, मैं जानना चाहता हूं कि कितनी कम्पनियों और कितने बैंकों ने कितने लाख रुपये के बाण्ड खरीदे हैं और कितने शेयर उनके हो गये हैं, कितने इन्ट्रेस्ट पर वह कितने का बाण्ड खरीदते हैं ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, मैंने बताया कि निजी क्षेत्र में कोई नहीं खरीदा गया है। प्लान के बाण्ड हर साल जारी होते हैं जैसा मैंने पहले भी बताया कि बाण्ड बैंक और निजी कम्पनियां खरीदती हैं। 1988-89 में 64 करोड़ 28 लाख योजनागत व्यय प्राप्त हुआ।

कुंवर रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, धनाभाव के कारण, वितरण प्रणाली का सुधार करने के लिए सरकार की योजना क्रियान्वित नहीं हो पा रही है उसको क्रियान्वित करने के लिए जैसे बाण्ड इश्यू किए गए, आपके वित्त मंत्रालय ने परमीशन नहीं दी, तो क्या ऐसी व्यवस्था करेंगे कि वित्तीय व्यवस्था सुदृढ हो सके ? ग्रामीण क्षेत्रों में जो बिजली कम दी जा रही है क्या वहां 24 घंटे बिजली देने की व्यवस्था करेंगे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

यह सही है कि ट्रान्समीशन एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन का पैसा बहुत कम है, उसके लिये प्रयास भी किये गये कि बाण्ड इश्यू करने की इजाजत मिल जाये, लेकिन इजाजत नहीं

मिली, इसके लिये हम व्यवस्था कर रहे हैं। विभिन्न स्थानों के लिये, विभिन्न जनपदों के कि प्रोजेक्ट्स बनाये जा रहे हैं। कुछ पावर फाइनेन्स कारपोरेशन को प्रोजेक्ट्स सब्मिट कर दिये गये हैं कुछ के लिये बैंकों से प्रयास किया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष—

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या–2 को अगले सप्ताह के लिये स्थगित कर दिया गया है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, उसका उत्तर आ गया है ?

श्री उपाध्यक्ष—

उत्तर तो आ गया है लेकिन अनुपूरक की तैयारी नहीं हो पायी है। इसके मन्त्री जी ने प्रार्थना की है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

क्यों प्रार्थना की है यह तो बता दें।

श्री उपाध्यक्ष—

उनको अनुपूरक का जवाब देने में कठिनाई होगी इसीलिये प्रार्थना की होगी।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

कितने दिनों के लिये इस प्रश्न को स्थगित किया है।

श्री उपाध्यक्ष—

अगले सप्ताह किसी दिन यह प्रश्न लग जायेगा।

**2—श्री रघुवर दयाल वर्मा, श्री कौशिक रमा शंकर, श्री हृदय नरायन दीक्षित तथा श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

[माननीय मन्त्री जी के अनुरोध पर सदन में स्थगित]

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा अधीक्षण अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति के लिये गठित चयन समिति के सदस्य के रूप में अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति का रखा जाना

*1—श्री दीप चन्द्र सोनकर (अनुपस्थित)—

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा सितम्बर, 1988 में अधीक्षण अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति के लिये गठित चयन समिति में

अनुसूचित जाति/जनजाति के एक भी व्यक्ति को सदस्य के रूप में नहीं रखा गया जबकि शासनादेश संख्या 1255/44-2—4-ए क्यू-85, दिनांक 15 अक्तूबर, 1985 के अनुसार इन जातियों के एक अधिकारी को सदस्य के रूप में अनिवार्य रूप से रखा जाना चाहिये था ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है और शासनादेश के उल्लंघन करके गठित इस अवैध चयन समिति द्वारा किये गये अवैध चयन को कब तक निरस्त किया जाना प्रस्तावित है ? यदि नहीं, तो क्यों ? आरक्षण आदेश का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही प्रस्तावित है ?

श्री चौधरी नरेन्द्र सिंह—

गत सितम्बर, 1988 में सम्पन्न अधीक्षण अभियन्ता के पदों पर चयन के लिये गठित विभागीय प्रोन्नति समिति में अनुसूचित जाति/जनजाति का कोई सदस्य नहीं रखा गया था क्योंकि संगत शासनादेश, जो परिषद् द्वारा अंगीकृत था, में मात्र उन चयन समितियों में अनुसूचित जाति/जनजाति के अधिकारी को समिति के सदस्य के रूप में रखा जाना अनिवार्य था जिनमें उन पदों के लिये चयन किया जाना हो जिनका वेतनमान अपुनरीक्षित (पुराना) 1,600-2,000 रु0 तथा पुनरीक्षित 2,050-2,500 रु0 हो। चूंकि परिषद् में अधीक्षण अभियन्ता का अपुनरीक्षित (पुराना) वेतनमान 2,050-2,700 रु0 था, अतएव प्रश्नगत चयन समिति में अनुसूचित जाति/जनजाति का सदस्य रखा जाना अनिवार्य नहीं था। चूंकि नियमों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ अतः चयन अवैध घोषित करने अथवा उसे निरस्त किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् में भण्डार मौजूद होने पर भी अधिकारियों द्वारा अतिरिक्त स्टील की खरीददारी में करोड़ों रुपये का घपला

*2—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी एवं श्री त्रियुगी नारायण मिश्र—

क्या सरकार को जानकारी है कि इस वर्ष उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् के अधिकारियों द्वारा तीन हजार टन से अधिक स्टील का भण्डार मौजूद होने के बावजूद पन्द्रह हजार टन स्टील के अतिरिक्त खरीदारी करके लगभग बारह करोड़ रुपये का घपला किया गया है ? क्या यह सही है कि सदस्य (उत्पादन) श्री आर0 पी0 टण्डन ने उक्त खरीदारी का विरोध किया था और 3 जुलाई, 1988 को चेयरमैन तथा सदस्य (वित्त) को अपनी लिखित टिप्पणी भेजी थी ? यदि हां, तो पूरे तथ्य क्या हैं और खरीदारी के लिये कौन उत्तरदायी है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जी नहीं। परिषद् में दिनांक 31 मार्च, 1988 को 2848.5 टन इस्पात का भण्डार उपलब्ध था। वर्ष 1988-89 में इस्पात की क्षेत्रीय अधिकारियों से प्राप्त आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये सर्वश्री नार्दन लैजिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0, कानपुर को 15,000 टन इस्पात का प्रबन्ध एवं इसके लिये वित्त व्यवस्था करने के आदेश मार्च, 1988 में दिये गये थे परन्तु आवश्यकता का पुनरीक्षण करके केवल 6,200 टन इस्पात का प्रबन्ध उक्त फर्म के माध्यम से कराया गया, जिसका मूल्य लगभग 4 करोड़ 60 लाख रुपये है।

जी नहीं। सदस्य (उत्पादन एवं पारेषण) श्री आर0 के0 टण्डन ने दिनांक 30 जुलाई, 1988 की एक टिप्पणी में यह बात उठायी थी कि जल विद्युत् एवं पारेषण के लिये इस्पात अभी न खरीदा जाये। अतः 6200 टन इस्पात, जिसका

वास्तव में प्रबन्ध किया गया, उसमें जल विद्युत् एवं पारेषण की आवश्यकता सम्मिलित नहीं थी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में मैं जानना चाहता हूं कि श्री आर0 के0 टंडन की 30 जुलाई, 1988 की जिस टिप्पणी का उल्लेख किया गया है क्या उस टिप्पणी को सदन में पढ़कर सुनायेंगे और यह जो 2848.5 टन इस्पात पहले से था और 6200 टन खरीदा गया इसके बारे में मैं चाहूंगा कि इसमें से कितना इस्पात उस वित्तीय वर्ष में प्रयोग किया गया और कितना आपके भंडार में बचा पड़ा है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, जहां तक टिप्पणी को सदन में रखने का प्रश्न है, वैसे तो मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन यह एक अच्छी परम्परा नहीं है । अगर माननीय सदस्य चाहते हैं तो मेरे चेम्बर में आकर उसे देख लें मुझे उसके दिखाने में कोई आपत्ति नहीं है । दूसरा जो आपने प्रश्न किया इस्पात के उपयोग का तो कितने इस्पात की आवश्यकता है इसको एसेस किया जाता है वर्ष के लिये और अगले तीन महीनों की आवश्यकता को देखते हुये । तो इन लोगों ने आवश्यकता के अनुसार एसेस किया था और उसके हिसाब से व्यवस्था करने का प्रयास किया । जैसा मैंने बताया कि 31 मार्च, 1988 को 2848.5 टन इस्पात था । आज क्या स्थिति है, कितना कंज्यूम हुआ है उसकी जानकारी मेरे पास इस समय नहीं है । मैं यह जानकारी माननीय सदस्य को दे दूंगा ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

श्रीमन्, मेरा स्पष्ट प्रश्न था, प्रश्न से ही साफ ध्वनि निकलती है कि जरूरत से ज्यादा इस्पात खरीदने की कोशिश की गई थी । श्रीमन् माननीय, मंत्री जी ने बताया भी कि जो क्षेत्रीय अधिकारियों ने अपनी आवश्यकता भेजी थी, उसके हिसाब से 15 हजार टन के लिए आदेश दिये, फिर आर0 के0 टण्डन का आब्जेक्शन लगा, तो इन्होंने 6200 टन खरीदा । ऐसी स्थिति में आपसे एक परामर्श चाहूंगा कि क्या माननीय मंत्री जी का यह उत्तर उचित है कि इन्हें इसकी जानकारी नहीं है कि कितने का इन्होंने उपयोग किया और कितना भंडारों में पड़ा है ।

दूसरा श्रीमन्, माननीय मंत्री जी से पोल के बारे में पूछा कि क्या 4 लाख बी0 सी0 सी0 पोल बिना निविदा के खरीदे गये हैं । इसके सम्बन्ध में मैं जानना चाहता हूं कि इस वित्तीय वर्ष में इसके पास कितने पोल मौजूद थे और इस वित्तीय वर्ष में कितने पोलों की खरीद की गयी ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, जो तिवारी जी ने प्रश्न किया कि इनको जानकारी नहीं है श्रीमन्, आज कितना स्टाक में है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है । श्रीमन्, आज ही तारीख में कितना स्टाक में है, मैं इसकी जानकारी करा दूंगा । श्रीमन्, इस वित्तीय वर्ष में 32 हजार पोल स्टाक में थे और उसकी जरूरत को ध्यान में रखते हुए और भी पोल खरीदे गये, जो तीन लाख से अधिक थे ।

श्री त्रियुगी नरायण मिश्र—

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि विद्युत् परिषद् ने ऐसे कागजात कम्पनी को उपलब्ध करा दिये, जिससे स्टील आने के पहले कम्पनी ने सारा भुगतान प्राप्त कर लिया ।

(2) किस रेट आफ इन्टरेस्ट पर लोहा लिया गया है ? इसके पहले किसी प्राइवेट कम्पनी से इतनी अधिक मात्रा में लोहा लिया गया था ? क्या इसकी जांच ए0 जी0 से करायी गयी थी और उसकी रिपोर्ट क्या है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, यह लोहा स्टील एथारिटी आफ इंडिया से लिया गया और उसमें 4 करोड़ 60 लाख रुपया व्यय आया, यह प्रश्न के उत्तर में दिया हुआ है । अगर सम्मानित सदस्य को किसी तरह का संदेह है, तो वह लिखकर दे दें, मैं उसकी जांच करा लूंगा ।

श्री त्रियुगी नरायण मिश्र—

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि स्टील को सीधे न खरीद कर स्टील अथारिटी आफ इंडिया से लिया गया है, जिसमें जी0 सी0 सी0 सीटस का कोटा बेंच कर करोड़ों रुपया कम्पनी ने बना लिया । (2) क्या कम्पनी ने कुछ खराब लोहा सेकेण्ड हैंड रेट का जैसे रेलें दिया, जो टूट गयी और भुगतान प्राप्त कर लिया, इसकी जांच करायेंगे ? (3) क्या मंत्री जी को जानकारी है कि जी0 सी0 सी0 पोल्स खरीदने का टेण्डर नहीं लिया गया था, पिछले साल के टेण्डर से कुछ पैसा घटाकर इस वर्ष 4 लाख पोल खरीद लिया गया है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

श्रीमन्, जहां तक इन्टरेस्ट की बात है, मेरी जानकारी में जो है, उस हिसाब से साढ़े 16 परसेन्ट का इंटरेस्ट दिया गया है । दूसरी बात जो श्रीमन्, इन्होंने जांच के बारे में कही, श्रीमन्, अभी मैंने निवेदन किया कि जो भी सम्मानित सदस्य के पास सूचना हो, वह माननीय सदस्य लिख कर दे दें, मैं उसकी जांच करा दूंगा ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में स्पष्ट रूप से कहा है कि हमको इसकी जानकारी नहीं है कि इस समय कितना स्टाक में है और श्रीमन्, यह मामला करोड़ों रुपये का है, माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि सम्मानित सदस्य लिख कर सूचना दे दें, मैं उसकी जांच करा लूंगा । श्रीमन्, जब यह प्रश्न आया, तो उसी समय माननीय मंत्री जी ने यह एहसास किया होगा कि इसमें घपला है और उस समय माननीय मंत्री जी ने जांच करायी होगी और यदि उन्होंने जांच नहीं करायी, तो माननीय मंत्री जी इस बड़े घोटाले को देखते हुए और अपने चेहरे को साफ करने के लिए और प्रशासन और शासन का चेहरा साफ करने के लिए हाउस की एक कमेटी बना देंगे जो इसकी जांच करे ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप प्रश्न करें ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, क्या हाउस की एक कमेटी बनायेंगे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

मान्यवर, सम्मानित सदस्य का यह कहना कि अपना चेहरा साफ करने के लिए, मैं समझता हूं कि इस तरह की कोई बात नहीं है, यह बहुत हल्की बात है और ऐसा मुनासिब नहीं है । मान्यवर, जहां तक दूसरे प्रश्न की बात है, मैंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि सम्मानित सदस्य के पास जो भी जानकारी हो मुझे उपलब्ध करा दें, हम उसकी जांच जरूर करा लेंगे ।

श्री किरन पाल सिंह--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मंत्री जी के पास 33,000 पोल पहले से थे और 3 लाख और खरीदे गये थे तो आपने कितने पोलों का उपयोग किया । आवश्यकता थी या नहीं इससे पता चलेगा, तो आपने कितने पोलों का इस्तेमाल किया ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

मान्यवर, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि आवश्यकता को असिस किया जाता है वित्तीय वर्ष के आगे के तीन महीनों में तो उस हिसाब से आवश्यकता को असिस किया गया था और खरीदा गया । आज की तारीख तक कितने पोल इस्तेमाल हुए, यह विवरण आज हमारे पास नहीं है ।

श्री किरन पाल सिंह--

मान्यवर, इसे स्थगित कर दें । 3 महीने में असिस किया था लेकिन जोड़ा है नहीं कि कितने इस्तेमाल हुए ? इसको आप स्थगित कर दें ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने यह बताया कि आज हमारे पास जानकारी उपलब्ध नहीं है कि कितने पाइपों का उपयोग हुआ ? तो श्रीमन्, यह गम्भीर मामला है, इसको स्थगित कर दें या प्रश्न संदर्भ समिति को संदर्भित कर दें ।

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

मान्यवर, यह एक प्रोसेस है, कुछ पोल अप्रैल में उपयोग किये गये कुछ मई में उपयोग किया गया और वर्ष के अन्त में 31 मार्च तक कितने पोल का उपयोग हो गया यह हम अप्रैल में जानकारी करा देंगे ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

मान्यवर, इनको पता नहीं है कि कितने पोल का इस्तेमाल हुआ है ?

श्री सूर्य प्रताप शाही--

मान्यवर, यह एक बहुत ही भ्रष्टाचार और अनियमितता है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं और यह समझता हूं कि यह सही उत्तर

देंगे । मान्यवर, मंत्री जी कह रहे हैं कि वह तथ्यों को लिखकर दे दें तो मान्यवर, मंत्री जी के पास पत्रावली रखी है वह उसमें से तथ्यों को देख सकते हैं । इतनी बड़ी खरीददारी के लिए राज्य विद्युत् परिषद् के सदस्यों की समिति है, क्या उसने अपनी स्वीकृति प्रदान की थी या जिस सदस्य जो है उन्हीं के स्तर से खरीद लिया गया और दूसरा प्रश्न है जो मुख्य प्रश्न है कि एल0 आई0 सी0 और बैंक 12 परसेन्ट के हिसाब से राज्य विद्युत् परिषद् को ऋण प्रदान करता है और इस कम्पनी का साढ़े सोलह परसेन्ट है जो माननीय मंत्री जी को पता है तो उस आधार पर खरीददारी का क्या औचित्य है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

मान्यवर, प्रश्न को जरा दोहरायें स्पष्ट नहीं हुआ ।

श्री सूर्य प्रताप शाही--

मान्यवर, मैंने दो चीजें पूछी हैं एक तो इस तरह की इतनी बड़ी खरीददारी राज्य विद्युत् परिषद् का जो बोर्ड है उसमें आपने बैठक में इसका निर्णय लिया था और दूसरा सवाल यह है कि साढ़े सोलह परसेन्ट के ऋण का भुगतान उस कम्पनी को किया जा रहा है जबकि एल0 आई0 सी0 और बैंक 12 परसेन्ट पर राज्य विद्युत् परिषद् को कर्ज देने को सहमत हैं तो किन परिस्थितियों में साढ़े 16 परसेन्ट पर यह खरीददारी की गयी इसका उत्तर माननीय मंत्री जी दे दें ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

मान्यवर, जहां तक मैं समझ पाया शाही जी की मंशा यह है कि एल0 आई0 सी0 और बैंक से 12 प्रतिशत पर कर्ज मिलता है तो 16 प्रतिशत पर क्यों लिया गया । मान्यवर, यह एक ऐसी आवश्यकता थी जिसकी पूर्ति उसी समय आवश्यक थी तो उसको असेस किया गया और असेस करने के बाद आपने देखा कि 15 हजार टन के बजाय इन लोगों ने सिर्फ 6200 टन खरीदा तो उसमें कोई जाहिरा आधार पर कोई बात नहीं आती जिसमें कोई गुंजाइश हो शिकायत की और दूसरा मान्यवर, जो पोल्स के बारे में बात है ।

श्री सूर्य प्रताप शाही--

राज्य विद्युत् परिषद् का जो बोर्ड है क्या उसने निर्णय लिया था इसकी खरीदारी या तनहा आपने और चेयरमैन ने इसको खरीद लिया ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

मान्यवर, खरीदारी की जो प्रक्रिया है उसी के हिसाब से कार्य होता है । मान्यवर, बोर्ड से सम्बन्धित मामलों में बोर्ड फैसला लेता है ।

श्री सूर्य प्रताप शाही--

आपके एक मेम्बर और चेयरमैन धपला करें, यह सही नहीं है ।

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

मान्यवर, किसी को डिफेन्ड करने का प्रश्न नहीं है । मैंने बहुत ही स्पष्ट कहा कि किसी भी सम्मानित सदस्य के पास कोई तथ्य हों तो अवगत करा दें, जिस एजेन्सी

से कहेंगे, जांच करा देंगे किसी को बचाने का कोई सवाल नहीं है। जो दूसरा प्रश्न पोल्स के बारे में है कि बिना निविदा के खरीद की गयी, तो बिना निविदा के नहीं खरीदे गये, बाकायदा टेण्डर हुये और उसके बाद जो प्रक्रिया है उसको अपना कर अपना कार्य किया गया।

श्री हर्षवर्धन—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि अभी उन्होंने बताया कि 32 हजार पोल्स पहले से स्टाक में थे। मेरी निश्चित जानकारी है कि दिसम्बर, 1988 में 74,000 पोल विद्युत् परिषद् के पास थे जिसका उपयोग किया गया है और साढ़े तीन लाख की खरीद की गयी है। तो अगले तीन महीनों में क्या 3 लाख पोल का उपयोग विद्युत् परिषद् कर लेगा। जब नौ महीनों में 74 हजार पोल का उपयोग हुआ तो तीन महीनों में कैसे 3 लाख पोलों का उपयोग हो सकेगा। फिर आपका पोल डिवीजन पोल बनाने का काम करता है। वहां की मशीनें बेकार पड़ी हैं, वहां पर पोल क्यों नहीं बनाये जा रहे हैं ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया, जो खरीद हुई है, बाकायदा टेण्डर कराकर हुई है।

श्री हर्षवर्धन—

कितने पोलों का आकलन था ? किस आकलन पर पोलों की खरीद की गयी है ?

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, उत्तर सीधा आना चाहिये।

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, अभी सम्मानित सदस्य हर्षवर्धन जी ने कहा कि इतने पोल का उपयोग किया गया और इतने का नहीं। मैंने बताया कि आगामी 3 माह की आवश्यकता को देखते हुये प्रसेस किया जाता है, जून तक के लिये, 31 मार्च के बाद तीन महीने के लिये, उसकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये व्यवस्था की जाती है। इसमें किसी तरह की शिकायत की या अपव्यय की गुंजाइश हो, इसकी जानकारी मुझे नहीं है।

श्री त्रियुगी नारायण मिश्र—

क्या मंत्री जी को जानकारी है कि स्टील अथारिटी आफ इंडिया से इस्पात खरीदा गया टेंडर नहीं हुआ, जी0 सी0 सी0 का कोटा एक करोड़ रु0 का व्यापारी ने बांध दिया। इस सारे प्रकरण की जांच करायेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

आप प्रश्न कर लें।

श्री त्रियुगी नारायण मिश्र—

मान्यवर, प्रश्न ही कर रहा हूं, पोल्स के क्रय के लिये टेंडर नहीं दिया गया बल्कि पिछले साल के टेंडर में कुछ दर बढ़ाकर उसी हिसाब से सारे पोल खरीदे गये ? क्या मंत्री जी पूरे प्रकरण की जांच करायेंगे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

जो स्टील एथारिटी आफ इंडिया से इस्पात खरीदा जाता है उसमें टेंडर नहीं होता है दूसरे जहां तक पोल्स का सवाल है, जो मेरे पास जानकारी है उसमें बाकायदा टेंडर करके पोल्स खरीदे गये सारी प्रक्रिया को निभाते हुये। उसमें 30 फर्मों को आदेश दिये गये हैं और इसमें किसी तरह की कोई अनियमितता अभी तक जानकारी में नहीं है।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री त्रियुगी नारायण मिश्र--

मान्यवर, मुझे पूछ लेने दें। मेरे प्रश्न का पूरा जवाब नहीं आया।

श्री उपाध्यक्ष--

20-25 मिनट हो गये कितने सवाल पूछेंगे, आखरी सवाल कुंवर रेवती रमण साहब पूछेंगे।

कुंवर रेवती रमण सिंह--

माननीय मंत्री जी ने बताया कि 30 फर्मों का टेंडर दिया गया, क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि प्रदेश में कितनी इकाइयां हैं जो पोल बनाती हैं? प्रदेश के बाहर की इकाइयों को पोल का आदेश दिया गया तो क्यों दिया गया? जबकि प्रदेश की इकाइयों के पास क्षमता है, वह बना सकती हैं?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

माननीय रेवती रमण सिंह जी इस विभाग के मंत्री रह चुके हैं, टेंडर भी कम्पनीज देती हैं, उसे इसमें जो टेंडर लो होता है, उसको दिया जाता है। बहुत से लोग आफर करते हैं, लेकिन उसके बाद सप्लाई नहीं करते हैं। इन 30 कम्पनियों को इसलिये आदेश दिया गया ताकि जो आवश्यकता है, उसकी पूर्ति की जा सके। फर्म्स की सूची मेरे पास है, जिनको आदेश दिये गये। सम्मानित सदस्य अगर चाहेंगे, तो उनको सूची उपलब्ध करा दूंगा।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

आप लोग बैठें।

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

माननीय त्रियुगी नारायण जी ने एक प्रश्न और किया था उसका जवाब भी दे दूं, सुन लें।

श्री सूर्य प्रताप शाही--

मान्यवर, इसमें हाउस कमेटी बना दें, बड़ा घपला हुआ है?

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, हाउस की कमेटी बना दें।

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

माननीय त्रियुगी जी ने एक बात कही कि उनकी जानकारी के अनुसार बिना टेंडर के परचेज हुआ, यह जो उन्होंने मुझे जानकारी दी है कि बिना टेंडर के पोल क्रय किये गये हैं, इसकी मैं जांच करा लूंगा। अगर ऐसी बात है तो जो दोषी पाया जायेगा उसको जरूर दण्डित किया जायेगा।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, प्रश्न की मंशा आप पढ़ लें। इस खरीदारी में कमीशनखोरी की हमें एक शंका रही है अगर टण्डन साहब की टिप्पणी नहीं लगी रहती तो सरकार के पास इसका जवाब नहीं था। एक ईमानदार आदमी मिल गया, उन्होंने अपनी टिप्पणी लिख दी मजबूरी फंसी आपने कम खरीदा। कम खरीदारी का स्पष्टीकरण आप सदन को नहीं दे पा रहे हैं और कितना इस्तेमालकर पा रहे हैं। इसका स्पष्टीकरण नहीं दे पा रहे हैं। हर्षवर्द्धन जी ने कहा कि केवल 14 हजार पोल इस्तेमाल हो रहे हैं आवश्यकता एसेस करके आपने 3 लाख पोल खरीदे अगर एसेस कराया था तो कोई टारगेट रहा होगा। गांवों में नलकूप इससे पूरी तरह जुड़े हुये हैं। उसमें कहां पर पलाप किया गया, कहां से आरबीट्रेशन आया।

मान्यवर, यह मेरा स्पष्ट आरोप है कि इस खरीदारी में साफ तौर पर कमीशन खोरी और दलाली ली गयी है, और यह कमीशनबाजी का मामला है। मेरा आग्रह है कि आप इस मामले की जांच हेतु सदन की एक समिति दोनों पक्षों के सदस्यों की बना दें क्योंकि उधर से भी लोगों में शंकायें हैं, जिन्होंने पार्टीसिपेट किया। दूसरी बात या तो आप इस मामले को प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति को सौंप दें या इस प्रश्न को स्थगित कर दें। इन तीन में से कोई उपाय करें, जिससे न्याय हो सके।

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, जहां तक जांच कराने का सवाल है तो जिस एजेन्सी से भी जांच कराने के लिये आप आदेश दें, मैं जांच कराने के लिये तैयार हूं, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने इसे प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति को सन्दर्भित कर दिया है।

गणेश शुगर मिल, आनन्दनगर, गोरखपुर के व्यवस्थापकों पर शीरा भण्डारण के कारण समीपस्थ गांवों में पेयजल प्रदूषित होना

*3—श्री हर्षवर्धन—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि चीनी मिलों द्वारा शीरा भण्डारण करने के निमित्त कानून का खुला उल्लंघन करते हुए गणेश शुगर मिल, आनन्दनगर, गोरखपुर के व्यवस्थापकों द्वारा फैक्ट्री सीमा के बाहर गड्ढा खोदकर वर्ष 1987-88 के दौरान शीरा भण्डारण किया गया जिसके परिणामस्वरूप समीपस्थ गांवों में पेयजल प्रदूषित हो गया ? यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)—

वर्ष 1987–88 में शीरे के भण्डारण/निस्तारण की गम्भीर समस्या के कारण अनेक चीनी मिलों द्वारा शीरे का भण्डारण कच्चे गड्ढों में करना पड़ा। गणेश शुगर मिल, आनन्दनगर, गोरखपुर भी उनमें से एक है। अब इस मिल में 22 हजार कुन्टल क्षमता का एक नया स्टील टैंक निर्मित हो गया है।

श्री हर्षवर्धन—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, उस उत्तर का मेरे प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है। मैंने प्रश्न किया है कि बाहर शीरा भंडारण करने के कारण समीपस्थ गांवों में जल प्रदूषित हो गया, तो फैक्टरी व्यवस्थापकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायगी? माननीय मंत्री जी उत्तर में कह रहे हैं कि वर्ष 1987–88 में शीरे के भंडारण/निस्तारण की गम्भीर समस्या के कारण अनेक चीनी मिलों द्वारा शीरे का भंडारण कच्चे गड्ढों में करना पड़ा। गणेश शुगर मिल, आनन्द नगर, गोरखपुर भी उनमें से एक है। अब इस मिल में 22 हजार कुन्टल क्षमता का एक नया स्टील टैंक निर्मित हो गया है।

मान्यवर, इस उत्तर से जाहिर है कि अब तक बाहर रखते थे, अब नहीं रखेंगे। मैं कह रहा हूं कि कानून यह है कि आप गड्ढा खोदकर शीरे को बाहर नहीं रख सकते हैं। इसमें किया यह गया है कि शीरे को तस्करी करवाकर नेपाल भेज दिया गया। साथ ही शीरा बाहर रखने के कारण पास के गांवों में पेयजल प्रदूषित हो गया। इसमें व्यवस्थापकों के विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिये, लेकिन उत्तर में कहीं इसका उल्लेख नहीं किया गया है। मैं जानना चाहता हूं जिन व्यवस्थापकों ने यह गम्भीर अपराध किया है, जिसके कारण आस-पास का जल प्रदूषित हो गया, उनके विरुद्ध क्या कानूनी कार्यवाही करेंगे?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

श्रीमन् जब शीरा ज्यादा हो जाता है, तो कच्चे गड्ढों में रखने का प्राविधान है, लेकिन परमीशन लेकर ही इसे रखा जा सकता है और कैम्पस के अन्दर ही रख सकते हैं, लेकिन यदि कहीं मिल में रखने की जगह नहीं है तो बाहर भी परमीशन दी जाती है। इसी वर्ष देवरिया की दो मिलों भटनी आदि में इस तरह की परमीशन दी गयी। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि आस-पास का जल प्रदूषित हो गया, इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी ने 9 फरवरी, 1989 को सूचित किया है कि इस तरह की उन्हें कोई भी सूचना प्राप्त नहीं हुयी है। लेकिन यदि माननीय सदस्य जहां की बात कह रहे हैं, उन गांवों का उल्लेख कर अवगत करा देंगे, तो हम उसकी जांच करा लेंगे।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, मेरा भी एक सवाल है, इसमें तस्करी का मामला है।

श्री उपाध्यक्ष—

इसमें तस्करी कहां से आ गयी। ओझा जी, आप बैठिये।

श्री हर्षवर्धन—

मान्यवर, मिल मालिक जो हैं, वह सरकार से ऊपर हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि शीरा बाहर रखने से पूर्व क्या गणेश शुगर मिल, आनन्दनगर, गोरखपुर के व्यवस्थापकों द्वारा कोई परमीशन प्राप्त की गयी थी?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया--

मान्यवर, कोई अनुमति प्राप्त नहीं की थी ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, प्रदूषण की तो माननीय मंत्री जी जांच करवा लेंगे लेकिन शासन की परमीशन के बिना फैक्ट्री के कैम्पस से बाहर गड्ढे खुदवाना खुद में एक गैर-कानूनी काम है और जो अपने आप में एक अपराध भी है । अब सवाल यह है कि यह नेपाल की सीमा से बहुत नजदीक है । आपको भी स्मरण होगा, अखबारों में भी इसकी चर्चा काफी हुई है कि पिछले वित्तीय वर्ष में बहुत बड़े पैमाने पर शीरे की नेपाल को तस्करी हुई है । जब यहां शीरे का भाव 15 रुपए था तो वहां 120 व 90 रुपए था । तस्करी की दृष्टि से सरकार को धोखा देकर, वरिष्ठ अधिकारियों की सहमति से गड्ढे बाहर खुदवाकर शीरे को नेपाल में बेच दिया गया । इसकी गम्भीरता को देखते हुए इस सारे प्रकरण की आप उच्चस्तरीय जांच करायेंगे या फिर विजीलेन्स से जांच करायेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--

जांच के लिए तो वह कह ही रहे हैं ।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया--

मान्यवर इसके पहले प्रोपराइटर जयपुरिया थे । जब जयपुरिया ने इसे बेच दिया और इस कम्पनी के जो दूसरे मालिक हुए तो उन्होंने देखा कि इसमें पहले से ही काफी शीरा मौजूद है । दिसम्बर, 1987 में कम्पनी के अन्दर कच्चे गड्ढे में शीरा रखने के लिए परमीशन दी गई थी, लेकिन जो तीन गड्ढे बाहर खोदे गये हैं, उनके लिए कोई परमीशन नहीं दी गई । जैसा कि आपने कहा कि इसकी जांच करायेंगे, तो मैं बताना चाहता हूं कि इसकी जांच करने के लिए कमिश्नर को कहा गया है । उन्होंने उनसे स्पष्टीकरण मांगा है ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

सिंचाई विभाग में 1984 के अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) के चयन में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षित रिक्तियों पर नियमित नियुक्तियां

*1--श्री दीपचन्द्र सोमकर--

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि अगस्त 1984 के अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) के चयन में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षित रिक्तियों पर नियमित नियुक्तियां की गयी थीं ?

जब कि शासनादेश संख्या-65/2/69 रा0 एकीकरण, दिनांक 8-3-1973 के अनुसार आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध मात्र तदर्थ नियुक्तियां ही की जा सकती थीं और नियुक्ति आदेश में इस तथ्य का उल्लेख होना चाहिए था ? यदि हां, तो इस अनियमितता के लिए कौन-कौन व्यक्ति दोषी हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? सरकार इन अवैध नियुक्तियों को कब तक निरस्त करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई मंत्री (श्री लोकपति त्रिपाठी)--

जी नहीं । अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) के पदों पर अगस्त 1984 में किये गये नियमित चयन के समय अनुसूचित जाति की अग्रनीत एवं आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध इस

वर्ग के एक अधिकारी को नियमित पदोन्नति की गयी और आरक्षित कोटे की शेष रिक्तियों के विरुद्ध अवेक्षण अभियंता के पद पर पहले से तदर्थ रूप से कार्यरत अनुसूचित जाति के अधिकारी तथा सामान्य श्रेणी के अधिकारी यथावत् कार्यरत रखे गये। वर्तमान में नियमानुसार आरक्षित श्रेणी की अवशेष रिक्तियां अग्रनीत की जा रही हैं। अतएव इन नियुक्तियों को समाप्त करने अथवा कोई अन्य कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

ऊर्जा विभाग में औद्योगिक इकाइयों पर बिजली का बकाया वसूल न करने का औचित्य

*1—श्री रघुवर दयाल वर्मा तथा श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में ऐसे कितने व्यक्ति और संस्थाएं एवं औद्योगिक इकाइयां हैं जिन पर बिजली का पचास हजार रुपये से अधिक का धन बकाया पड़ा है? उनसे वसूली न होने का क्या कारण है? क्या इस प्रकार की बकाया पड़ी वसूली ही परिषद् के घाटे का कारण बनती जा रही है?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

प्रदेश में कुल 1572 ऐसे व्यक्ति, संस्थायें एवं औद्योगिक इकाइयां हैं जिन पर 31 दिसम्बर, 1988 को बिजली बिल का पचास हजार से अधिक का धन बकाया था।

वसूली न होने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:

1—बड़े-बड़े उपभोक्ताओं ने अधिकांशतः भुगतान न करने के सम्बन्ध में न्यायालय से या तो स्थगन आदेश ले रखे हैं अथवा पंच निर्णय में चल रहे हैं।

2—सरकारी संस्थानों जैसे सिंचाई विभाग, जल निगम, नगर पालिका आदि पर बकाया धनराशि की वसूली का प्रयास किया जा रहा है।

3—कुछ उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटकर उन्हें सेक्शन-5 की नोटिस दी गई है।

4—जो नहीं, घाटे का केवल यही एक कारण नहीं है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बड़े-बड़े ऐसे कौन से उद्योगपति हैं, जिनके ऊपर धन बकाया पड़ा है और उनके नाम क्या हैं? दूसरा उन्होंने कब-कब किस-किस अदालत से स्टे ले रखा है। तीसरा, जो आप सेक्शन-5 की कार्यवाही करते हैं, यह आपने बकाये धनराशि के कितने दिन बाद की? फिर सुन लें, जो बकाया रहा उसके कितने दिन बाद सेक्शन-5 की कार्यवाही की, जो कार्यवाही की उसमें जो विलम्ब हुआ, उसके लिये क्या कार्यवाही करेंगे?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जैसा मैंने बताया सूची बड़ी है, 1572 लोगों की है लेकिन जो बड़े-बड़े लोग हैं, जिनके मामले न्यायालय में लम्बित हैं, उनके नाम बता देता हूं—

	धनराशि (लाख रु0 में)
1—कनोडिया कैमिकल, रेणुकोट मिर्जापुर	1971.40
2—मोदी उद्योग समूह, मोदीनगर	1029.37

3—मसूरी, देहरादून विद्युत प्रदेश, उ0 प्र0, देहरादून 71.72
4—भगवान इण्डस्ट्रीज, एशबाग, लखनऊ 68.92
5—मुजफ्फरनगर स्टील लि0, मुजफ्फरनगर 56.63
6—अजन्ता टैक्सटाइल्स, गाजियाबाद 45.68
7—स्टील इण्टरप्राइजेज, कानपुर 40.76
8—सरस्वती स्टील लि0, मेरठ रोड, मुजफ्फरनगर 35.96
9—प्रेवाल पेपर मिल, सेक्टर-8, नोयडा 32.01
10—कानपुर स्टील वर्क्स, कानपुर 29.22

इसी तरह से बहुत से लोग हैं जिन्होंने स्थगन आदेश ले रखे हैं, जिसकी वजह से रिकवरी नहीं हो रही है।

(विपक्ष के कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने से व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

संख्या बता दें कितनी हैं ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जितने पर ज्यादा से ज्यादा बकाया था, उनकी सूची पढ़ी वैसे सूची बहुत लम्बी है। न्यायालय में कुल मिलाकर 471 मामले हैं।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मैंने पूछा था कितने में 'स्टे' है और कब 'स्टे' लिया ? उनकी संख्या ही बता दें ? सेक्शन-5 की कार्यवाही कब की ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

सम्मानित सदन को और सदस्यों को स्मरण होगा कि अभी पिछले दिनों जब इस पर चर्चा हुई थी कि 5 लाख रु0 से अधिक का बकाया कितने लोगों पर है तो उसमें मैंने विस्तार से सूची भी दी थी। अब यदि आप इजाजत दे तो मैं एक-एक का नाम पढ़ कर बता दूं ?

श्री उपाध्यक्ष—

संख्या बता दें, कितने लोगों की सूची है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

481 मामले हैं, जिन पर स्थगन आदेश है।

श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

अभी मन्त्री जी ने उत्तर दिया कि 471 मामलों में 'स्टे' लिया गया है, 1572 लोग ऐसे हैं, जिनके ऊपर 50 हजार रु0 से ज्यादा का बकाया है, बात साफ है कि 471 से ज्यादा लोगों ने 'स्टे' नहीं लिया है, मैं जानना चाहता हूं कि जिन लोगों ने 'स्टे' नहीं लिया है और बकाया 50 हजार रु0 से ज्यादा है, उनसे पैसा वसूल न किये जाने का क्या कारण है ?

दूसरी बात, मन्त्री जी ने कानून ऐसे बनाये हैं कि 50 हजार रु० बकाया वाले तो 'स्टे' ले लें और हजार पांच सौ वालों के कनेक्शन काट दिये जायें ।

तो उनके कनेक्शन्स न काटे जाने का औचित्य क्या है ?

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री राम औतार दीक्षित)—

यह कानून माननीय मंत्री जी ने नहीं बनाया है, यह कानून तो जुडीशियरी के बनाये हुये हैं ।

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

सम्मानित सदस्य बाराबंकी ने जो प्रश्न किया उसमें 576 मामले डिसकनेक्शन के हैं, जिनका कि डिसकनेक्शन हुआ है तथा 471 मामले कोर्ट में पेंडिंग हैं जिनकी कि वसूली की कार्यवाही बराबर जारी है । एक-एक केस पर निगाह रखी जा रही है । मैं सम्मानित सदस्य का आभारी हूं कि उन्होंने इतने बड़े विषय में ध्यान आकर्षित किया, हम इस काम में और भी गति देंगे । वसूली की कार्यवाही के बारे में मैं सम्मानित सदस्य को अवगत करा चुका हूं कि पिछले वर्ष के मुकाबिले में इस वर्ष 150 करोड़ रुपया हम ज्यादा रेवन्यू इकट्ठा कर चुके हैं और इस तरह से इसमें पूरा प्रयास किया जा रहा है ।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर ।)

श्री उपाध्यक्ष—

क्लियर हो गया, अब क्या है ?

श्री राम शरण दास—

माननीय ऊर्जा मंत्री जी, माननीय सदस्य राजपुर, कानपुर देहात, आप मंत्री तो अब हुए हैं, इससे पहले तो सदस्य, राजपुर कानपुर देहात ही कहे जायेंगे, तो मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि यह क्या बात है कि जिनमें क्षमता है, जिनके ऊपर करोड़ों-करोड़ों और लाखों-लाखों रुपया बकाया है, वे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाते हैं और जिनके ऊपर हजार, डेढ़ हजार रुपया बकाया है, वह किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, क्या आप उनके लिये भी जिलों में कोई अदालत बनायेंगे जिसमें ये लोग भी अपनी अर्जी दे सकें ? आप तो 'किसान कामगार' के सेक्रेटरी रहे हैं, कुछ तो बात आप उनके लिये सोचिये, [× × ×] क्या आप कोई ऐसी अदालत जिलों में भी नियुक्त करेंगे कि वह भी उनको स्टे दे सकें ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, सम्मानित सदस्य श्री राम शरण दास जी....।

श्री राम शरण दास—

कुछ भी कह दीजिये ।

नोट [× × ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

मैं तो आपको नकुड नहीं कह सकता । मैं तो आपको अपना नेता मानता हूं । तो मान्यवर, माननीय राम शरण दास जी का यह कहना कि स्थगन आदेश के लिये वे क्या करेंगे ? मान्यवर, किसानों के लिये, जो छोटे बकायेदार हैं, जिन लोगों के पास और कोई साधन नहीं है, वे लोग स्थानीय अदालतों में आ सकते हैं । जहां तक किसानों की बात है उनको कहीं भी किसी तरीके से प्रताड़ित न करने का, उत्पीड़ित न करने के निर्देश दे दिये गये हैं और किसानों को किसी भी तरीके से उत्पीड़ित नहीं किया जायेगा । जैसा कि मैं पहले भी इस मामले में बता चुका हूं कि सिंचाई हेतु निजी नलकूप पर 105 करोड़ और 44 लाख रु0 किसानों पर बाकी हैं और मान्यवर यदि किसी किसान को व्यक्तिगत रूप से कोई कठिनाई होगी उसे भुगतान करने में, तो ऐसे मामलों को हम दिलवा लेंगे और उनको किसी भी प्रकार से उत्पीड़ित नहीं किया जायेगा ।

श्री कमदीप सिंह बरार—

मान्यवर मैं आपकी अनुमति से माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने 471 मामले तो न्यायालय के विचाराधीन बता दिए और 1101 उपभोक्ता के मामले, जिनके कनेक्शन्स डिस्कनेक्ट करने हेतु क्या कोई रिकवरी सर्टीफिकेट्स जारी किये या नहीं और इन 1101 में से कितने उपभोक्ताओं को आपने जेल भेजा वसूली न हो पाने के कारण या सिर्फ यह जेल मात्र हमारे गरीब किसानों के लिए ही है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जहां तक बड़े लोगों का सवाल है, जिनके बारे में माननीय बरार साहब कह रहे हैं और बड़ी चिन्ता व्यक्त कर रहे हैं किसानों के बारे में । मैं इनसे यह बताना चाहूंगा कि हमारे यहां छोटे के साथ ही रियायत की जाती है और बड़ों के साथ कोई रियायत नहीं होती ।

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न संख्या—3, इस पर अब तक प्रश्न बहुत हो चुके हैं, कृपया अपना-अपना आसन ग्रहण करें और कृपया शांत रहें ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर मुझे एक प्रश्न और कर लेने दें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सिर्फ एक ही प्रश्न. . . .।

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

अब बहुत सवाल हो गये हैं, ऐसा ही है तो आप लोग नियम 49 में चर्चा मांग लीजिए, अगर आपको समय दे देंगे तो फिर एक-एक करके सभी माननीय सदस्य कहेंगे । कृपया बैठ जायें. .।

श्री रघुबर दयाल वर्मा--

नहीं श्रीमन् सिर्फ एक प्रश्न, हमारे बाद फिर कोई आपसे समय नहीं मांगेगा। कृपया एक...।

माननीय मंत्री जी जिस कम्पनी पर आपका 68 करोड़ रु0 बाकी है और जिस पर 10 करोड़ रु0 बाकी है उनके खिलाफ आपने स्थगन आदेश दिए हैं या नहीं। यदि नहीं दिए हैं और उनको छूट दे रहे हैं तो क्या माननीय मंत्री जी जो अपने को किसानों का बहुत बड़ा हितैषी कहते हैं, तो क्या किसानों के हित में और एक प्रकार से अपने हित में कोई ऐसे आदेश करेंगे कि जिन किसानों पर 5,000 रु0 बकाया है, उनको डिस्कनेक्ट नहीं किया जायेगा ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

मान्यवर, मैं माननीय सदस्यगण से बड़े अदब के साथ गुजारिश करना चाहूंगा कि किसी भी किसान को उत्पीड़ित नहीं किया जायेगा। इससे पहले भी मैं इस बात को कह चुका हूं कि इससे बढ़कर और हित की क्या बात हो सकती है जबकि हमारी कास्ट प्रति यूनिट 101 रु0 आती है, परन्तु आज हम किसानों को मात्र 14 पैसे प्रति यूनिट ही दे रहे हैं। दूसरी बात, जैसा कि हमने कहा कि अगर किसी भी किसान को कोई विशेष कठिनाई होगी तो वह अपने आप से आकर इक्जीक्यूटिव या सुप्रिन्टेंडिंग इंजीनियर से आकर मिल ले और जो परेशानी हो, उसे लिखकर उन्हें दे दे इतना हम आश्वस्त करते हैं कि उसकी बात को अवश्य सुना जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष--

अब इस पर कोई सवाल नहीं करेंगे। कृपा पूर्वक शांत रहें।

प्रदेश में बाढ़ व जल-भराव की दूरगामी योजना

*3--श्री मित्रसेन--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाढ़ व जल भराव से बचने हेतु प्रदेश सरकार ने कोई दूरगामी योजना केन्द्र सरकार को भेजी है तथा धनराशि की मांग की है ? यदि हां, तो योजना का प्रारूप क्या है तथा वांछित धनराशि क्या है।

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री मुईद अहमद)--

प्रश्नगत मामले में कोई दूरगामी योजना केन्द्र सरकार को नहीं भेजी गई है और न ही धन की मांग की गई है।

श्री मित्रसेन--

माननीय उपाध्यक्ष जी, हमारी सरकार महत्वपूर्ण सवालों का इसी प्रकार उत्तर देती है, हमारे प्रदेश का पूर्वांचल बाढ़ और जल भराव की समस्या से ग्रसित है। तो क्या प्रदेश स्तर पर और केन्द्र स्तर पर इस समस्या से निपटने के लिये कोई योजना बनायी जा रही है। मंत्री जी कहते हैं कि दूरगामी योजना नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्र को इस सम्बन्ध में कोई योजना नहीं भेजी गयी है, यदि नहीं भेजी गयी है तो क्या माननीय मन्त्री जी प्रदेश स्तर पर कोई योजना बना रहे हैं, जिससे बाढ़ और जल भराव की समस्या से निपटा जा सके ?

श्री मुहिब अहमद—

मान्यवर, प्रदेश सरकार अपना सर्वे कराती है और अपने आंकड़ों के आधार पर भारत सरकार में जो गंगा फ्लड कन्ट्रोल कमीशन है जो गाइड लाइन देता है उस पर प्रदेश सरकार कराकर काम करती है और प्रदेश सरकार बाढ़ से निपटने के लिये योजना बनाती है तथा पंचवर्षीय योजना में उसका प्राविधान किया जाता है। हमेशा प्रदेश सरकार बाढ़ नियन्त्रण के लिये प्रत्येक वर्ष काम करती है।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि इस बात को ध्यान में रखते हुये कि उत्तर प्रदेश के पूरब के कई जिलों में—बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, फैजाबाद, गोण्डा विशेषकर हैं। यहां जल जमाव की समस्या है और जिसके कारण खरीफ की फसल तो दूर रबी की फसल की बोआई के समय जमीन गीली रहने के कारण नुकसान होता है। तो क्या मन्त्री जी सरजू और राप्ती की बेल्ट में आने वाले आठ जिलों में जल निकासी के लिए कोई योजना बनाने की कृपा करेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

श्रीमन् प्रश्न तो बाढ़ का था और यह दूसरा प्रश्न जल भराव का आ गया है। जिस समय तक माननीय सदस्य ने प्रश्न किया था तब तक हमारी बाढ़ सम्बन्धी योजना केन्द्र को नहीं गयी थी। कल भी मैंने बजट बताया था कि 670 करोड़ की योजना जो जिसमें बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, बनारस, मिर्जापुर, जौनपुर और फैजाबाद के जिले हैं, जहां बाढ़ आती है

(व्यवधान)

उन्नाव, बाराबंकी में भी बाढ़ आती है जब कभी जमुना में या गंगा में अधिक पानी आ जाता है तो पश्चिम में भी बाढ़ आ जाती है। लेकिन यह क्षेत्र उसके जीवन का अंग हो गया है। तो इसकी योजना भारत सरकार को भेजी गयी। जल भराव का जो सम्बन्ध है, उसकी समस्या सरजू नहर परियोजना, कुबानु नहर परियोजना, गण्डक नहर परियोजना, शारदा नहर परियोजना के अन्तर्गत ड्रेन का काम किया जाता है और दूसरे भारत सरकार से आग्रह किया गया है कि वह जल भराव वाले क्षेत्र के सेटलाईट फोटो बना कर भेजें जिससे इस समस्या के निराकरण पर विचार किया जा सके। सेटलाइट पर वह चित्र आ जायेंगे। इस प्रकार जो हमारी योजना पानी निकालने की है और उनमें कोई कमी है तो उसको सुधार दिया जायेगा। तीसरी चीज यह है कि उत्तर प्रदेश शासन केन्द्रीय सरकार के माध्यम से निःशुल्क बोरिंग का कार्यक्रम चला रखा है। उत्तर प्रदेश में दो लाख निःशुल्क बोरिंग इस वर्ष होगी और हमने ग्राम्य विकास मन्त्रालय से अनुरोध किया है कि 10 हजार नलकूप सिंचाई विभाग की नहरों के किनारे अथवा जहां जल भराव होता है या जहां छिछले नलकूप हैं, वे हमको देने की व्यवस्था करें क्योंकि जिन किसानों के खेत उसमें पड़े हुये हैं उनकी वही स्थिति है जो न्यूनतम आर्थिक आधार के समकक्ष वालों की होती है। यह अनुरोध हमने उनसे किया है। इस पर शासन विचार कर रहा है और हम विचार विमर्श कर रहे हैं ताकि जल भराव की समस्या दूर हो सके।

(व्यवधान)

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जैसा माननीय मन्त्री जी ने योजना बताई कि हाथी कमीशन, केन्द्रीय बाढ़ आयोग

इन सभी को संस्तुतियों को रद्दी की टोकरी में डाल दिया। लेकिन जो जल बहाव बहराइच, गोण्डा आदि जिलों में होता है उसमें अधिकांश नेपाल का पानी आता है और जब तक इनका जल स्रोत पर नहीं रोका जायेगा तब तक यह समस्या हल नहीं हो सकेगी। मैं जानना चाहूंगा कि आपके पास क्या कोई इस प्रकार की योजना है जिसमें नेपाल सरकार से वार्ता करके इस जल की समस्या को रोकने की बात हो? क्या ऐसी कोई योजना शासन के विचाराधीन है? क्या केन्द्रीय सरकार से प्रदेश सरकार वार्ता करने पर विचार करेगी?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

श्रीमन्, माननीय सदस्य स्वयं को रद्दी की टोकरी में बैठा देते हैं। अगर शासन का यह दायित्व नहीं है कि वह रद्दी की टोकरी में रहे! इसका जो कार्य है, वह उसे कर रहा है...

(व्यवधान)

श्रीमन् कल जब मैं लेखानुदान प्रस्तुत कर रहा था उस समय मैंने कहा था कि जो नदियां हमारे प्रदेश की हैं...

श्री उपाध्यक्ष--

कल तो आपका बजट प्रस्तुत हुआ था, लेखानुदान नहीं था।

श्री लोकपति त्रिपाठी--

अतः प्रार्थी हूं, कल जो मैंने बजट प्रस्तुत किया था उस समय मैंने कहा था कि पानी जो भारत की ओर उत्तर प्रदेश की नदियों का है उनकी बाढ़ रोकने का, जल भराव का जो मुख्य स्रोत है वह है बंधों का निर्माण। जो नदियां उत्तर प्रदेश और भारत का सोता की हैं उन्हीं पर काम चल रहा है। नेपाल से जो जल उत्तर प्रदेश में आता है उसके लिये भारत सरकार और नेपाल में वार्ता चल रही है और जब यह वार्ता होती है तब उत्तर प्रदेश के अधिकारी भी उस वार्ता में बुलाये जाते हैं।

श्री भोपाल सिंह--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी पूर्वांचल के नजदीक के रहने वाले हैं और उन्होंने स्वीकार किया है कि हमने पूर्वांचल के जिलों की बाढ़ के बारे में योजना बनायी है। मेरठ वहां से दूर है और गंगा/जमुना कृष्णा, हिण्डन आदि कई नदियां ऐसी हैं जिनमें बाढ़ आती है और हस्तिनापुर में हजारों गांव बाढ़ से डूब जाते हैं। क्या मन्त्री जी वहां की बाढ़ के लिये भी कोई व्यवस्था करेंगे?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

श्रीमन्, मैं माननीय मित्रसेन जी के प्रश्न का उत्तर दे रहा था। मेरी मंशा कतई यह नहीं है कि मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर आदि जिलों की मूल बाढ़। हम तो उनके चरणों में बैठे हैं। यह सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर जो भी जिले गंगा जमुना की बाढ़ से प्रभावित होते हैं वे भी जो हमारी 670 करोड़ की योजना है, शामिल हैं।

दिनांक 1 मार्च, 1989 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न

ऊर्जा विभाग मे आठवीं पंचवर्षीय योजना में विद्युत आपूर्ति

*1—कुंवर रेवती रमण सिंह—

क्या ऊर्जा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि आठवीं पंचवर्षीय योजना में तापीय, जल विद्युत् गैस पर आधारित कोई नयी योजना प्रदेश सरकार को मिली है ? अगर नहीं, तो प्रदेश की विद्युत् आपूर्ति किस प्रकार सम्भव होगी ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

आठवीं पंचवर्षीय योजना की अभी संरचना हो रही है।

अभी प्रश्न नही उठता।

कुंवर रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, यह 7 वीं योजना का अंतिम वर्ष चल रहा है और अगले साल आठवीं योजना शुरू हो जायेगी अभी तक माननीय मन्त्री जी ने क्लारिफाई नहीं की कि आठवीं योजना में जल विद्युत् तापीय और गैस पर आधारित कितनी कितनी योजनायें बनाने का प्रस्ताव भेजा है ? दूसरा मैं यह जानना चाहता हूं कि इस समय कितना विद्युत् उत्पादन हो रहा है और कितनी आवश्यकता है और आठवीं योजना में क्या प्रस्तावित है, जिससे ग्रामीण अंचलों को 24 घंटा बिजली मिल सके जैसे हरियाणा में मिल रही है उसी आधार पर उत्तर प्रदेश के ग्रामीण अंचलों को कैसे बिजली दे पायेंगे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, जैसा मैंने अभी कहा आठवीं पंचवर्षीय योजना की संरचना हो रही है फिर भी हमारी तरफ से कई प्रोजेक्ट भेजे गये हैं जैसे गैस पर आधारित जगदीशपुर 310 मेगावाट, दादरी 600 मेगावाट, तापीय में अनपारा-बी जिसके लिये जापान की सहायता से जल्दी उम्मीद है काम शुरू हो जायेगा हजार मेगावाट। ऊंचाहार में बहुत जल्दी एक इकाई में काम शुरू हो गया है कमर्शियल लोड पर जल्दी आ जायगी, ऊंचाहार की दो इकाइयां 210-210 यानी 420 मेगावाट, जल विद्युत् में मनेरीभाली लखवार व्यासी खारा योजनायें प्रस्तावित हैं और उनके लिये पूरा प्रयास हो रहा है।

कुंवर रेवती रमण सिंह—

मैंने यह पूछा था कि इस समय अधिष्ठापित क्षमता कितनी है और पंचवर्षीय योजना में कितनी है और 24 घन्टे ग्रामीण अंचलों में बिजली देने के लिये क्या कोई योजना है और कब तक इस प्रकार वहां बिजली दे पायेंगे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

हमारा प्रयास है कि ग्रामीण अंचलों को भी शहरी अंचलों से पीछे न देखा जाय उसके लिये ग्रामीण क्षेत्रों के विद्युतीकरण का पूरा प्रयास हो रहा है। हम सिंचाई के लिये 10 घंटा बिजली दे रहे हैं यदि औसत देखा जाय तो 12 घंटों से ज्यादा भी विद्युत् कहीं सप्लाई की जा रही है। जहां तक अभी आठवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में माननीय सदस्य रेवती रमण सिंह जी कह रहे थे कि 24 घंटे किसी राज्य में बिजली दी जा रही है। मैं समझता हूं कि यह उनकी जानकारी सही नहीं है क्योंकि 24 घंटे बिजली सप्लाई नहीं हो रही है। हमारे प्रदेश में किसानों को सिंचाई के लिए ज्यादा से ज्यादा विद्युत सप्लाई

करने का प्रयास हो रहा है। देहाती क्षेत्रों के लिए जो हमारे विद्युत उत्पादन है उसका 35 प्रतिशत दिया जा रहा है। दूसरे मान्यवर, मैं क्षमता के संबंध में यह कहना चाहता हूं कि इस समय 4850 मेगावाट की हमारी अधिष्ठापित क्षमता है। इसमें कुछ और इसी वर्ष हम शामिल कर लेंगे, 5400 की इसी वित्तीय वर्ष में हो जायेगी। इस तरह से 8वीं पंचवर्षीय योजना में पूरा प्रयास होगा कि अधिक से अधिक जो 35 प्रतिशत इस समय है, ग्रामीण क्षेत्र के लिए बिजली कर सकें।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

ऊर्जा विभाग द्वारा निजी नलकूपों को कनेक्शन देने की व्यवस्था

*2—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1988-89 में निजी नलकूपों के विद्युतीकरण के लक्ष्य वर्ष 1986-87 तथा 1987-88 के मुकाबले कम कर दिये जाने का क्या कारण है? क्या मंत्री जी को जानकारी है कि प्रदेश के हजारों किसानों ने बैंकों से कर्जा लेकर 1987-88 के सूखे के वर्ष में इस प्रत्याशा में बोरिंग कराये तथा बिजली के मोटर भी खरीद लिए थे कि सरकार सिंचाई के साधनों के अधिकाधिक विस्तार की घोषणा बार-बार कर रही थी? यदि हां, तो लक्ष्य घटाने का क्या कारण है? क्या मन्त्री जी प्रत्येक दस किसान को जो बोरिंग कराकर विद्युतीकरण हेतु आवेदन करें उस आवेदन की विभाग को प्राप्ति के 90 दिन के अन्दर कनेक्शन जारी करने की व्यवस्था करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जी नहीं, लक्ष्य कम नहीं किये गये हैं।

1987-88 में 18,000 लक्ष्य के विपरीत 21,917 निजी नलकूपों को विद्युत कनेक्शन दिये गये।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं, अनुबन्ध करने के बाद 97 दिन के अन्दर कनेक्शन देने की व्यवस्था है।

सिंचाई विभाग द्वारा जनपद बस्ती के खलीलाबाद में जलमग्न भूमि को खेती के लिए उपलब्ध कराने की मांग

*3—श्री राज किशोर सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के खलीलाबाद कस्बे के उत्तर स्थित बखिरा झील के किनारे की जलमग्न 1000 हैक्टेयर, उपजाऊ भूमि को उस क्षेत्र के गरीब किसानों को खेती के लिए उपलब्ध कराने व जल भराव की निकासी के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है? यदि हां, तो वह क्या है।

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हां।

बस्ती जनपद के खलीलाबाद कस्बे के उत्तर स्थित बखिरा झील के किनारे लगभग 1000 हैक्टेयर भूमि खेती हेतु उपलब्ध कराने व जल भराव की समस्या के निदान हेतु चौरमा नाला लम्बाई 9.00 कि0 मी0 की राप्ती नदी के संगम से 6.30 कि0 मी0

नोट—सूची 'घ' के तारांकित प्रश्न संख्या 1 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हो गया।

तक गहरा करने एवं इस पर कि0 मी0 2·80 एवं कि0 मी0 6·125 पर दो पुल व एक पुल सिंचाई नाले से 0·35 कि0 मी0 पर बनाने की योजना है तथा योजना पर कार्य प्रगति में है।

जनपद बाराबंकी के कतिपय गांवों में जलभराव की समस्या और फसल की बर्बादी

*4--श्री राम चन्द्र बख्श सिंह--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बाराबंकी के ग्राम सिकन्दरपुर रमढ़ा पहाड़पुर रहीमाबाद, कुम्हारपुर समेत 1 दर्जन गांव जो पूरब में शारदा पोषक नहर, पश्चिम में लखनऊ महमूदाबाद रोड, उत्तर में बाराबंकी ग्राम तथा दक्षिण में देवा-कुर्सी रोड से घिरे हैं वर्षा में जल मग्न हो जाते हैं और फसल बर्बाद हो जाती है ? क्या मन्त्री जी को जानकारी है कि विगत वर्षा काल में भी जल भराव से हजारों बीघा फसल बर्बाद हो गई है ? क्या मन्त्री जी इन गांवों के पानी के निकासी हेतु तत्काल ड्रेन खुदवाने का निर्देश बाराबंकी जनपद की किसी सिंचाई डिवीजन को देंगे ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जी हां।

जी हां।

इन गांवों की वर्षाकाल में जल निकासी रेठ नदी में बाढ़ के स्तर पर निर्भर है। रेठ नदी में बाढ़ समाप्त होने पर जल निकासी वर्तमान टिकैतगंज ड्रेन एवं कुर्सी ड्रेन के माध्यम से हो जाती है। परन्तु रेठ नदी में बाढ़ होने पर ड्रेन से जल निकासी नहीं हो पाती है। अतः किसी और ड्रेन खुदवाने से इस क्षेत्र की जल निकासी को कोई लाभ नहीं होगा।

सिंचाई विभाग पर रिमाडलिंग के भुगतान का आरोप

*5--श्री हृदय नारायण दीक्षित--

क्या मुख्य मन्त्री को जानकारी है कि उन्नाव जिले की पुरवा तहसील की सन् 1932 की श्रवण ड्रेन की रिमाडलिंग योजना में सिंचाई विभाग द्वारा मूल योजना का लम्ब छिन्नक एल सेक्शन श्रवण ड्रेन की मूल लम्बाई 18 मील को रीमाडल करने का था ? यदि हां, तो क्या यह सच है कि रिमाडल हुए ड्रेन की लम्बाई 15 मील 6 फर्लांग है और रिमाडलिंग का भुगतान पूरे 18 मील के लिए हुआ है ? यदि हां, तो 15 मील 6 फर्लांग खोद कर 18 मील का भुगतान लेने के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

उन्नाव जिले की पुरवा तहसील में श्रवण ड्रेन नाम के कोई ड्रेन नहीं है।

उन्नाव जिले की पुरवा तहसील में सन् 1982 में सरवनताल ड्रेन नामक ड्रेन की रिमाडलिंग का प्रस्ताव तैयार किया गया था, जिसमें ड्रेन की लम्बाई लम्ब छिन्नक के अनुसार 18 मील 1 फर्लांग थी, जिसमें मार्ग में पड़ने वाली झीलों-तालाबों की लम्बाई भी सम्मिलित है।

जी नहीं, सरवनताल ड्रेन की रिमाडलिंग का कार्य मील 18-1-0 में से उतनी ही लम्बाई में हुआ है, जिसमें तालाब-झील नहीं है तथा उसी का भुगतान हुआ है। प्रश्न नहीं उठता है।

सिंचाई विभाग द्वारा शारदा सहायक, आजमगढ़ शाहगंज में भरौली माइनर का निर्माण

* 6—श्री दीपचन्द्र सोनकर—

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि शारदा सहायक आजमगढ़ खण्ड 32 की भरौली माइनर, जो शाहगंज में है, का निर्माण वर्ष 1978 में प्रारम्भ हुआ तथा काश्तकारों को उनके भूमि का मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया और इस माइनर से सिंचाई राजस्व की वसूली हो रही है ? यदि हां, तो जिन काश्तकारों की भूमि जब से अधिग्रहण की गयी है, सरकार तब से ब्याज सहित उनका मुआवजा देगी ? यदि हां, तो किस दर से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हां, भरौली माइनर का निर्माण शारदा सहायक खण्ड–32 आजमगढ़ द्वारा वर्ष 1978 में प्रारम्भ किया गया था । इस माइनर के कि0 मी0 0.0 से कि0 मी0 6.5 तक का भाग शाहगंज में है । नहर के कि0 मी0 0.0 से 1.245 तक भूमि अध्यापित के सम्बन्ध में धारा 4 की विज्ञप्ति पत्रांक 64 आई0 एल0 ए0/जौनपुर—522–87, दिनांक 21 जनवरी, 1987 द्वारा तथा धारा 6 (1) के अन्तर्गत अधिसूचना पत्रांक 123–आई0 एल0 ए0/जौनपुर—520–87, दिनांक 31 दिसम्बर, 1988 द्वारा निर्गत की जा चुकी है । अधिसूचना का गजट में प्रकाशन के बाद भूमि के प्रतिकर के वितरण की कार्यवाही विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी जौनपुर द्वारा की जायेगी । माइनर के कि0 मी0 1.245 से 6.5 तक के लिए भूमि सामूहिक कटौती द्वारा उपलब्ध कराने का प्रकरण चकबन्दी अधिकारी, जौनपुर को प्रेषित किया गया है जिसका कि कृषकों को प्रतिकर दिए जाने का प्राविधान नहीं है । प्रश्नगत माइनर से सिंचाई होती है तथा उसके राजस्व की वसूली भी की जाती है । भूमि प्रतिकर के भुगतान के सम्बन्ध में प्रचलित शासनादेशों के अनुसार प्रस्तावित दर पर ब्याज सहित भुगतान किया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

* 7—श्री धनराज यादव—

[दिनांक 15 फरवरी, 1989 को अता0 प्र0 सं0 71—द्वारा उत्तरित ।]

सिंचाई विभाग द्वारा झांसी क्षेत्र में निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं का बन्द करने का कारण

* 8—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि झांसी क्षेत्र में ऐसे कितने निर्माण खंड हैं जिनमें वेतन पर हो रहे व्यय से कम व्यय कार्यों पर हो रहा है तथा इन खण्डों को किस परियोजना के लिए खोला गया था और वे परियोजनायें क्यों बन्द कर दी गई ? ऐसे खंडों को निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं की गत तीन वर्षों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का क्या लक्ष्य था एवं ऐसी कौन सी परियोजनायें हैं जिनका भौतिक लक्ष्य शून्य रहा है ? क्या सरकार ऐसे कार्यहीन निर्माण खंडों को कार्यशील निर्माण खंडों में विलीन करने पर विचार करेगी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

इस संगठन के अन्तर्गत झांसी क्षेत्र में केवल सिंचाई निर्माण खंड द्वितीय, झांसी ही ऐसा खंड है जिसमें वेतन पर हो रहे व्यय से कम व्यय कार्यों पर हो रहा है ।

यह खंड लहचूरा बांध के आधुनिकीकरण परियोजना हेतु खोला गया है। यह योजना बन्द नहीं की गई है परन्तु इस परियोजना पर धनाभाव एवं परिकल्प में कुछ अतिरिक्त अध्ययन किए जाने के कारण निर्माण कार्य शिथिल है।

इस परियोजना के गत तीन वर्षों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति निम्न प्रकार रही :—

(लाख रु0 में)

वर्ष	भौतिक		वित्तीय	
	लक्ष्य	प्रगति	लक्ष्य	प्रगति
1985–86 मिट्टी का कार्य—	85.00 घ0मी0 रिपटा	85.00 घ0मी0	9.50	9.34
(कुल लम्बाई 215 मी0)	30 प्रतिशत	30 प्रतिशत		
1986–87 मिट्टी का कार्य—	8750 घ0मी0 सड़क	8750 घ0मी0	13.50	13.43
	1.5 कि0मी0 रिपटा	1.5 कि0मी0		
(कुल लम्बाई 215 मी0)	70 प्रतिशत	70 प्रतिशत		
1987–88 मिट्टी का कार्य—	2500 घ0मी0	2300 घ0मी0		
भवन कुल 23 नं0 का निर्माण—	15 प्रतिशत	15 प्रतिशत	7.0	6.97

ऐसी कोई परियोजना नहीं है जिसका भौतिक लक्ष्य शून्य रहा है।

इस वर्ष इस खंड को तिजार बांध के निर्माण का कार्य आवंटित किया गया है जिसके निर्माण से पूर्व के सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ कर दिए गए हैं और वर्ष 1989-90 में लहचूरा एवं तिजार बांध के निर्माण कार्य प्रारम्भ किए जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त इस खंड की राजघाट परियोजना के अन्तर्गत झांसी नहर के सर्वेक्षण का कार्य भी आवंटित किया गया है। अतः इस खंड को किसी कार्यशील निर्माण खंड में विलीन किया जाना उचित नहीं होगा।

सिंचाई विभाग के छटनी शुदा सहायक कर्मचारियों की नियुक्ति की मांग

* 5—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग के छटनी शुदा सहायक कृषि प्रसार निरीक्षकों की 450 कर्मचारियों की एक सूची कृषि सेवा वर्ग-3 के

पदों पर समायोजित करने के लिए सन् 1985-86 में उत्तर प्रदेश शासन को दी गयी थी जिनमें से 232 लोग समायोजित किए गए ? यदि हां, तो शेष लोगों के समायोजन के लिए क्या कार्यवाही की गई ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

* 10--श्री हर्ष वर्धन--

[5वें बुधवार के लिए स्थगित ।]

ऊर्जा विभाग द्वारा प्रदेश की हरिजन बस्तियों में विद्युतीकरण

*11--श्री राकेश्वर त्रिपाठी--

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1988 के अंत तक प्रदेश के सभी गांवों की हरिजन बस्तियों में विद्युतीकरण किये जाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो सरकार ग्रामीण अंचलों में विद्युत् मांग को ध्यान में रखते हुए उक्त कार्य को कब तक पूरा करायेगी ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

जी नहीं ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धि की सम्भावनाओं को देखते हुए इस कार्य की पूर्ति दसवीं पंचवर्षीय योजना तक सम्भव हो सकेगी ।

*12--श्री सूर्य प्रताप शाही--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।]

13--श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी--

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।]

*14--श्री पूरन सिंह माहरा--

[4थे सोमवार में ता0 प्र0 सं0 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

प्रदेश में "व्यापार मित्र" समिति का गठन

*15--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में "व्यापार मित्र" समिति के गठन का कोई विचार शासन के विचाराधीन है तथा व्यापारियों को व्यापार हेतु लाइसेन्स देने की वर्तमान व्यवस्था में भी कुछ संशोधन किया जाना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो समिति की रूप रेखा तथा कार्यविधि क्या होगी और लाइसेन्स प्रणाली में क्या संशोधन विचाराधीन है ? दोनों व्यवस्थायें कब से लागू होंगे ?

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--

जी हां, माननीय मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में 25 सदस्यीय "व्यापार मित्र" समिति का गठन कर दिया गया है, जिसमें 12 सरकारी तथा 13 गैर सरकारी सदस्य हैं। समिति अपनी बैठकों में व्यापारियों से सम्बन्धित कठिनाइयों पर विचार कर उनके निराकरण हेतु अपनी संस्तुति शासन को देगी।

व्यापारियों को लाइसेंस देने की वर्तमान व्यवस्था को और सरल बनाने हेतु मामला शासन के विचाराधीन है। इसके अन्तर्गत प्रथम चरण में विभिन्न व्यापारियों के लाइसेंसों का नवीनीकरण प्रति वर्ष कराये जाने के स्थान पर पांच-पांच वर्ष पर कराये जाने का आदेश प्रसारित कर दिया गया है।

*16--श्री त्रियुगी नारायण मिश्र--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

सिंचाई विभाग पर बांदा जिले में किसानों को मुआवजा न मिलने का आरोप

*17--श्री राम सजीवन--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले में मारो बांध की सांच माइनर के निर्माण के लिए कितने किसानों की कितनी-कितनी जमीनें अधिग्रहीत की गई थी? इसका निर्माण-कार्य कब पूरा हो गया? किसानों को अभी तक जमीनों का मुआवजा न दिये जाने के क्या कारण हैं? मुआवजा न देने के लिए कौन दोषी है तथा उनके विरुद्ध अभी तक कोई प्रभावी कार्यवाही क्यों नहीं की गई? मुआवजा कब तक दिया जायेगा?

श्री लोक पति त्रिपाठी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

सिंचाई विभाग द्वारा बहराइच जनपद में ठोकरों का निर्माण

*18--श्री मैनेजर सिंह--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्षा के पूर्व बहराइच जनपद में घाघरा नदी के बायें निर्मित कटीनाल बांध की सुरक्षा के लिए रुड़की अनुसंधान द्वारा तीन ठोकर प्रस्तावित थे? यदि हां, तो किन कारण से दो ही ठोकरों का निर्माण कराया गया? क्या यह सही है कि पचास लाख रुपये व्यय करके भी कटान नहीं रोका जा सका? यदि हां, तो उक्त बांध को बचाने का क्या उपाय हो रहा है?

श्री लोक पति त्रिपाठी--

जी नहीं, तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा अनुमोदित ठोकरों के केवल सुझाव एवं स्थान ही रुड़की अनुसंधान संस्थान द्वारा तय किये गए थे।

राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद् की तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा केवल दो ही ठोकरों का निर्माण अनुमोदित किये जाने के फलस्वरूप केवल दो ही ठोकरों का निर्माण कराया गया।

जी नहीं, जिस स्थान पर ठोकरें बनाई गई हैं वहां कटान रुक गया है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

सिंचाई विभाग द्वारा जनपद बलिया में नहर पलिया खास का चालू होना

*19--गौरी शंकर भइया--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांक 15 नवम्बर, 1988 का पत्र जो बलिया जनपद के सोहांव ब्लाक में, लिफ्ट पम्प नहर सोहांव एवं लिफ्ट पम्प नहर पलिया खास को चालू करने के सम्बन्ध में है, प्राप्त हो गया है ? यदि हां, तो इन दोनों नहरों के बन्द होने के क्या कारण हैं ? इसे कब तक ठीक करा लिया जायेगा ?

श्री लोक पति त्रिपाठी--

जी नहीं। पत्र उपलब्ध नहीं है।

सोहांव पम्प नहर गंगा नदी पर स्थित है, जिसकी मुख्य धारा वर्ष 1986-87 में पम्प नहर से हेड से दूर हट जाने के कारण नहर बन्द कर दी गयी थी, जिसके कारण विद्युत विभाग ने हेड से लिफ्ट नहर हेतु स्थापित ट्रान्सफार्मर हटा लिया था। इस वर्ष रबी में गंगा नदी की धारा पुनः नहर हेड तक आ जाने पर विद्युत विभाग से ट्रान्सफार्मर की व्यवस्था करा कर नहर 25 नवम्बर, 1988 को चालू कर दी गयी है।

पलिया खास पम्प नहर विद्युत (ट्रान्सफार्मर दोष) दोष से 15 नवम्बर, 1988 से बन्द थी तथा ट्रान्सफार्मर ठीक होने के बाद दिनांक 20 नवम्बर, 1988 से पुनः चालू हो गयी है।

मोहन मीकिन पर चोर बाजारी का आरोप

*20--श्री शारदानन्द अंचल, श्री यदुनाथ सिंह, श्री लक्ष्मी नारायण, श्री मूलचन्द्र, श्री अशोक बाजपेई तथा श्री मंगौती सिंह--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मोहन मीकिन लि० विगत पांच वर्षों से अपना उत्पादन बिना सरकार को आबकारी कर दिये चोर बाजारी में बेच रहा है। यदि हां, तो शासन ने इस कम्पनी के खिलाफ आज तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं की ?

मुख्य मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)--

यह कहना सही नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

जनपद आगरा में खारी नदी पर बैराज बनाये जाने की योजना

1--श्री विजय सिंह राजा--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में खारी नदी पर ग्राम रामनगर पिनानी पर एक बैराज बनाये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के अनुरोध पर कोई सर्वेक्षण कराया गया था ? यदि हां, तो उक्त सर्वे की सर्वेक्षण रिपोर्ट क्या है ? बैराज बनाये जाने की योजना को शासन स्तर पर स्वीकृति में विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री लोक पति त्रिपाठी--

जी हां ।

ग्राम रामनगर पिपानी, नगला बिच, सिकन्दरपुर तथा भवनपुर में चार छोटे बियर जिसकी अनुमानित लागत 554 लाख रुपये हैं, की साध्यता रिपोर्ट बनायी गयी है । प्रत्येक बियर की जल-संचय क्षमता 218 एकड़ फिट है ।

प्रश्नगत साध्यता रिपोर्ट का विस्तृत परीक्षण किया जा रहा है और परीक्षणोपरान्त परियोजना प्राक्कलन बनाया जायेगा । परियोजना प्राक्कलन शासन को प्राप्त होने पर स्वीकृति दिये जाने पर विचार किया जायेगा ।

बांदा जिले की कर्वी तहसील में ओहन फीडर नहर में मिट्टी के भराव की समस्या

2--श्री राम सजीवन--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले की कर्वी तहसील में ओहन फीडर नहर में मिट्टी के भराव की प्रतिवर्ष की समस्या को हल करने के लिये विभाग से कोई प्रस्ताव भेजा गया है ? यदि हां, तो प्रस्ताव क्या है ? उन पर कब तक निर्णय ले लिया जायेगा ? समस्या के स्थायी हल के लिये निर्माण कार्य कब तक पूरा करा दिया जायेगा ?

श्री लोक पति त्रिपाठी--

जी हां । ओहन फीडर में मिट्टी के भराव की समस्या को हल करने हेतु प्रस्ताव बनाया गया है ।

प्रस्ताव के अनुसार इस नहर के "साइड स्लोप" का सरलीकरण किया जाना है जिससे स्लोप से मिट्टी का खिसकना रुकेगा और तली में भराव की समस्या हल हो सकेगी ।

धन उपलब्ध होने पर यह कार्य लगभग एक वर्ष में पूरा होने का अनुमान है ।

बांदा जनपद में केन नहर ब्रांच की पनगरा नहर कोठी से अतर्रा नहर कोठी तक पटरियों की मरम्मत

3--श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद में बह रही केन नहर अतर्रा ब्रांच की दोनों तरफ की पटरियां पनगरा नहर कोठी से अतर्रा नहर कोठी तक भीषण रूप से टूटी फूटी है जिसके टूटने से कभी भी फसलों तथा आबादी का भीषण नुकसान हो सकता है ? यदि हां, तो उन टूटी फूटी पटरियों की मरम्मत कब तक करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

केन नहर की अतर्रा ब्रांच की दोनों तरफ की पटरियां पनगरा नहर कोठी से अतर्रा नहर कोठी तक सामान्यतः ठीक दशा में है तथा इन पटरियों की उक्त भाग में सामान्यतः स्वतः टूटने की सम्भावना नहीं रहती है । इन पटरियों की मरम्मत रख-

रखाव मद के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि के आधार पर आवश्यकतानुसार कराई जाती है ।

मिल्कीपुर फैजाबाद में ओलावृष्टि से किसानों को हुई क्षति के कारण किसानों को छूट

4—श्री मित्रसेन यादव—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि विधान सभा क्षेत्र मिल्कीपुर फैजाबाद में फरवरी, 1988 में ओला वृष्टि से हुई क्षति के कारण सिंचाई में किसानों को कितनी छूट दी गयी है ? रा0 नल कूप प्रथम तथा द्वितीय खण्ड, फैजाबाद द्वारा उक्त क्षेत्र में दी गयी छूट की धनराशि अलग-अलग क्या है ? काश्तकारों को उक्त छूट न मिलने का क्या कारण है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

ग्राम पूरेलाल खां, विकास खण्ड अमानीगंज, फैजाबाद की कटान रोकने के लिए ठोकर को मजबूत बनाया जाना

5—श्री मित्रसेन—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम पूरेलाल खां विकास खण्ड अमानी गंज, फैजाबाद की कटान रोकने के लिए स्वीकृत धनराशि में से कितना कार्य कराया जा चुका है ? क्या यह सही है कि उक्त धनराशि से गोमती नदी में ठोकर बनाकर गांव की कटान को बचाया जा सकता है ? यदि नहीं, तो कटान सुनिश्चित रूप से रोकने तथा ठोकर को आवश्यकतानुसार मजबूत बनाने के लिए कितने अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता होगी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

स्वीकृत धनराशि के सभी कार्य करा दिये गये हैं ।

जी नहीं ।

4 डैम्पनर वर्षाकाल 1988 से पूर्व बनाये गये थे तथा जहां यह बनाये गये हैं वहां कटान डैम्पनर के पीछे नहीं बढ़ा है । वर्तमान में डैम्पनर सुरक्षित हैं और इनको और मजबूत करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है ।

जमुना सिंह, सहसचिव जिला कौंसिल भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी, फैजाबाद का लूट भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में शिकायती पत्र

6—श्री मित्रसेन—

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जमुना सिंह, सहसचिव जिला कौंसिल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, फैजाबाद का श्री एस0 एन0 द्विवेदी, अवर अभियन्ता, ग्रामीण विद्युतीकरण उपखण्ड, विद्युत् वितरण खण्ड द्वितीय उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद्, फैजाबाद द्वारा किये गये लूट, भ्रष्टाचार व उनके द्वारा अर्जित की गयी अवैध सम्पति की जांच के सम्बन्ध में पत्र दिनांक 21 अक्तूबर, 1987 जो मंत्री जी को सम्बोधित है और जिसकी प्रति अध्यक्ष, राज्य विद्युत् परिषद्, पुलिस अधीक्षक विजलेन्स

विद्युत् परिषद्, क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता तथा अधीक्षण अभियन्ता विद्युत् वितरण मण्डल, फैजाबाद को दी गयी है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो शिकायती पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी श्री नरेन्द्र सिंह--

जी हां ।

परिषद् की सतर्कता इकाई द्वारा जांच की जा रही है ।

विद्युत् वितरण खण्ड फैजाबाद द्वारा अमानीगंज मिल्कीपुर तथा हरिगटनगंज गांवों का विद्युतीकरण

श्री मित्रसेन--

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि विद्युत् वितरण खण्ड, फैजाबाद द्वारा ग्रामीण कार्यक्रम के अन्तर्गत एल0 टी0 मेन्स द्वारा विद्युतीकृत ग्रामों की सूची जो विधायकों को उपलब्ध कराई गई है इसके आधार पर क्या यह सही है कि विकास खण्ड, अमानीगंज के सत्रह गांवों, विकास खण्ड मिल्कीपुर के त्रेपन गांवों तथा वि0 ख0, हरिगटनगंज के त्रेपन गांवों का विद्युतीकरण कर दिया गया है क्या इसका भौतिक परीक्षण कराकर गलत एवं सत्य से परे सूचना देने वालों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही कर कर्मचारियों को दण्डित करने की कार्यवाही करेंगे ?

चौधरी श्री नरेन्द्र सिंह--

जी हां, परन्तु यह ग्राम सूची के शीर्षक त्रुटिवश एल0 टी0 मेन्स द्वारा विद्युतीकृत दिखलाये गये थे जब कि इनमें से कुछ एल0 टी0 मेन्स द्वारा और कुछ केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की परिभाषानुसार विद्युतीकृत थे ।

भौतिक परीक्षण करा लिया गया है । इसके अनुसार तीनों विकास खण्डों में 31 मार्च, 1987 तक विद्युतीकृत ग्रामों की जो सूची माननीय विधायकों को उपलब्ध कराई गयी थी उसमें दोनों प्रकार से विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या निम्नवत् है :—

विकास खण्ड	एल0 टी0 मेन्स द्वारा विद्युतीकृत	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की परिभाषा के अनुसार	कुल
अमानीगंज	16	1	17
मिल्कीपुर	20	33	53
हरिगटनगंज	18	35	53

उक्त त्रुटि के लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु निर्देश दे दिये गये हैं ।

सिंचाई विभाग द्वारा राजकीय नलकूप की नालियों एवं गूलों आदि की मरम्मत

8—श्री राज किशोर सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक राजकीय नलकूप की नालियों गूलों आदि के रख-रखाव मरम्मत के लिए शासन की ओर से किसी प्रकार की आर्थिक व्यवस्था सुनिश्चित की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोक पति त्रिपाठी—

जी हां ।

राजकीय नलकूपों के अनुरक्षण एवं परिचालन हेतु रु0 5,000 प्रति नलकूप प्रति-वर्ष व्यय किए जाने की व्यवस्था की गई है जिसमें 1,500 रु0 सिविल कार्य नालियों गूलों आदि के लिए निर्धारित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ऊर्जा विभाग द्वारा अधिशासी अभियन्ताओं तथा सहायक अभियन्ताओं का स्थानान्तरण

9—श्री सुखपाल पाण्डे—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जुलाई, 1988 में अधिशासी अभियंताओं तथा सहायक अभियंताओं के स्थानान्तरण की क्या नीति निर्धारित की गई और कितने अधिशासी अभियंताओं और सहायक अभियंताओं का स्थानान्तरण किया गया ? उनमें से कितने को निरस्त किया और कितने स्थानान्तरण कार्यान्वित हुए ? निरस्त करने का आधार क्या था ?

चौधरी श्री नरेन्द्र सिंह—

जुलाई, 1988 में अधिशासी अभियंताओं एवं सहायक अभियंताओं के स्थानान्तरण की कोई नई नीति निर्धारित नहीं की गई थी । अप्रैल, 1988 से अगस्त, 1988 तक कुल 522 अधिशासी अभियन्ताओं तथा 428 सहायक अभियन्ताओं के स्थानान्तरण आदेश दिए गए।

उक्त स्थानान्तरण आदेशों में से 36 अधिशासी अभियन्ताओं के आदेश निरस्त किए गए। 13 अधिशासी अभियन्ताओं तथा 48 सहायक अभियन्ताओं के स्थानान्तरण आदेश अस्थायी रूप से स्थगित किए गए। 473 अधिशासी अभियन्ताओं तथा 257 सहायक अभियन्ताओं के स्थानान्तरण आदेश क्रियान्वित हुए एवं शेष 81 सहायक अभियन्ताओं के स्थानान्तरण हेतु कार्यमुक्त करने की प्रक्रिया में है । स्थानान्तरण को निरस्त करने के आदेश परिषदीय कार्य हित को ध्यान में रखकर किए गए हैं ।

प्रमुख अभियन्ता कार्यालय, सिंचाई विभाग के अधिकारियों द्वारा वित्तीय अनियमितता की आडिट पार्टी द्वारा मांगी गई सूचनाएं एवं जांच

10—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह जून, 1987 में प्रमुख अभियन्ता कार्यालय, सिंचाई विभाग का आडिट करते समय आडिट पार्टी द्वारा जिन वित्तीय अनिय-

मितताओं के सम्बन्ध में अभिलेख व सूचनायें मांगी गई थीं क्या वे उन्हें उपलब्ध करायी गई थीं ? क्या इस सम्बन्ध में आडिट पार्टी द्वारा शासन को इस आशय का पत्र लिखा गया था कि विभाग के अधिकारियों द्वारा वित्तीय अनियमितता के प्रकरणों की जांच में सहयोग नहीं दिया गया ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग द्वारा लिपिकों के पदों पर नियुक्तियां

11—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग द्वारा अपने आदेश संख्या—2436/ई—4, दिनांक 15 अप्रैल, 1985 द्वारा जब 11 कनिष्ठ लिपिकों के पद पर भर्ती की गई थी, उस समय शासनादेश संख्या—20/3/1982—कार्मिक—2, दिनांक 31 अक्तूबर, 1984 द्वारा प्रसारित नियमावली लागू थी ? यदि हां, तो क्या उक्त आदेश दिनांक 15 अप्रैल, 1985 द्वारा की गई नियुक्तियों की वैधता/अवैधता की जांच सेवायोजन कार्यालय के किसी अधिकारी से कराने की कृपा करेंगे ? क्या सम्बन्धित रिक्तियों की सूचना सेवायोजन कार्यालय, लखनऊ के अधिसूचित की गई थी ? यदि हां, तो सम्बन्धित पत्र का नम्बर तथा दिनांक क्या है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हां ।

रिक्तियां दिनांक 1 नवम्बर, 1984 के पूर्व की थी तथा इन रिक्तियों को भरने के लिए परीक्षा अगस्त 1984 में ली गई थी ।

कथित शासन आदेश दिनांक 31 अक्तूबर, 1984 का उल्लंघन नहीं होता । अतः जांच का प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

जो कनिष्ठ लिपिक पद की रिक्तियां कार्यालय ज्ञाप संख्या 2436/ई—4—क, दिनांक 15 अप्रैल, 1985 द्वारा भरी गई उनको अधिसूचना सेवायोजन कार्यालय, लखनऊ को शासनादेश संख्या 20/3/1982—कार्मिक—2, दिनांक 21 अक्तूबर, 1984 के निर्गत होने के पूर्व ही प्रमुख अभियन्ता कार्यालय के पत्रांक सो—60/अनु0 एवं नियो0 मं0—4, दिनांक 17 फरवरी, 1984 द्वारा भेजी गई थी ।

सिंचाई विभाग द्वारा उन्नाव जनपद में मौरावां असोवन ब्रांच के नरीचक रजबहा पर पुलियों की मरम्मत

12—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जनपद में मौरांवा असोवन ब्रांच के नरीचक रजबहा पर कुल कितनी पुलिया प्रश्नकर्ता के क्षेत्र में आती है ? इनमें से कितनी पुलिया इस तरह से क्षतिग्रस्त हैं कि आवागमन ठप्प है और इनके मरम्मत न कराये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

कुल 12 पुलिया आती हैं ।

तीन पुलिया ऐसी क्षतिग्रस्त हैं जिन पर आवागमन ठप्प है ।

धनाभाव के कारण मरम्मत नहीं कराई जा सकी थी । इन पुलियों की मरम्मत की कार्यवाही की जा रही है एवं वर्ष 1989 में आवागमन हेतु मरम्मत कराये जाने का प्रस्ताव है ।

दो जनपदों की सीमा के अति निकट शराब के ठेका खोले जाने पर रोक का मामला

13--श्री हृदय नरायन दीक्षित--

क्या आबकारी मंत्री कृपया बतायेंगे कि दो जनपदों की सीमा के अति निकट शराब के ठेका खोले जाने पर रोक है ? यदि हां, तो उन्नाव जिले के ग्राम कालूखेड़ा जो लखनऊ जिले की सीमा के अति निकट स्थित है, में शराब की दुकान क्यों खोली गई है ? क्या यह भी सच है कि यह दूकान पी0 एल0 के0 पी0 इंटर कालेज के गेट से अति निकट है ? यदि हां, तो दूकान हटवाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? क्या यह भी सच है कि बी0 के0 एच0 आर0 इंटर कालेज, मौरांवा के समक्ष भी थोड़ी दूरी पर शराब का ठेका चल रहा है ? यदि हां, तो ठेका हटवाने के लिये सरकार क्या उपाय कर रही है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

आबकारी मैनुअल खण्ड प्रथम के प्रस्तर 328(9) के अनुसार मदिरा की फुटकर बिक्री की दूकान अन्य जनपदीय सीमा से 5 कि0मी0 के अन्दर दोनों सम्बन्धित जिलों के जिलाधिकारियों की सहमति से खोली जा सकती है ।

प्राप्त सूचनानुसार कालूखेड़ा शराब की दूकान लखनऊ जिले की सीमा से 5 कि0मी0 से अधिक दूरी पर स्थित है । यह दूकान इसी स्थान पर 5 वर्षों से अधिक समय के चल रही है ।

जी नहीं ।

दुकान हटाने का औचित्य नहीं पाया गया ।

प्राप्त सूचनानुसार मौरांवा देशी शराब की दुकान बी0 के0 एच0 आर0 इंटर कालेज से लगभग 250 मीटर की दूरी पर स्थित है और दुकान का परिसर कालेज के सामने नहीं है । इसी परिसर में पिछले 4 वर्षों से यह दूकान चल रही है ।

दुकान हटवाने का औचित्य नहीं पाया गया ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् के जनपद आगरा में अधिशासी अभियन्ताओं का स्थानान्तरण

14--श्री विजय सिंह राणा--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् आगरा में कार्यरत खण्डों में कार्यासीन कितने अधिशासी अभियंताओं का स्थानान्तरण

वर्ष 1988 में अन्य शहर को किया गया है ? इनके नाम क्या हैं ? उनको आगरा में कार्य करते हुए कितने वर्ष हुए और आगरा में इनकी अलग-अलग सेवावधि क्या है ? कतिपय अधिशासी अभियंताओं की आगरा जनपद में ही दीर्घ अवधि तक नियुक्ति का कारण क्या है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

राज्य विद्युत् परिषद् के आगरा जनपद में कार्यरत खंडों में कार्यासीन तीन अधिशासी अभियंताओं का स्थानान्तरण अन्य शहरों को किया गया है । इनके नाम एवं आगरा में कार्य की अवधि निम्नवत् है :--

नाम	कार्य की अवधि
सर्वश्री--	
राम निवास	12-6-86 से 17-5-88 तक
एम० सी० निगम	14-10-83 से 23-6-88 तक
जगपति लाल	26-7-88 से 10-10-88 तक

कतिपय अधिशासी अभियन्ताओं को उनकी उपयोगिता एवं परिषदीय कार्यहित को ध्यान में रखते हुये दीर्घ अवधि से नियुक्त रखा गया है ।

सिंचाई विभाग द्वारा आगरा में टर्मिनल सप्ताह में पानी चलना एवं नहर के कटने व टूटने के लिए दोषी कर्मी

15--श्री विजय सिंह राणा--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा में माह अगस्त, 1986 से अप्रैल, 1988 तक टर्मिनल सप्ताह में कुल कितने सप्ताह पानी चला और कितनी बार नहर कटी और टूटी ? इसके लिए कौन दोषी है ? क्या इसके लिये सिंचाई विभाग के किसी कर्मी को दण्डित किया गया ? यदि हां, तो किसे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

माह अगस्त, 1987 से अप्रैल, 1988 तक राजबाहा टरमीनल (टर्मिनल नहीं) में बस सप्ताह पानी चला ।

नहर टूटी नहीं, चार बार बड़ी कटिंग हुई ।

कृषकगण ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

किसी कर्मचारी को कटिंग के लिए दोषी नहीं पाया गया ।

16—सुरेन्द्र पाल वर्मा—

[5वें सोमवार में अता0 प्र0 सं0 164 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

बांदा जनपद के ग्राम बहूरेटा के ग्राम प्रधान श्री सादिक हुसैन का माइनर निकालने के सम्बन्ध में पत्र

17—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र के साथ बांदा जनपद के ग्राम बहूरेटा के ग्राम प्रधान श्री सादिक हुसैन का पत्र संख्या—ए/180/सि0/88, दिनांक 6 अप्रैल, 1988 माइनर निकालने के सम्बन्ध में सिंचाई राज्य मंत्री को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो माइनर का सर्वेक्षण किस कर्मचारी/अधिकारी द्वारा कराया गया तथा सर्वेक्षण एवं प्राक्कलन रिपोर्ट क्या है और कब तक माइनर बनने का कार्य आरम्भ हो जायेगा ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

18—श्री राज किशोर सिंह—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

19—श्री राज किशोर सिंह—

[दिनांक 5 अक्तूबर, 1988 को अता0 प्र0 सं0 190 द्वारा उत्तरित]

जनपद वाराणसी में नहर विभाग द्वारा सड़क काट कर पुल का निर्माण

20—श्री राज किशोर सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जनपद अन्तर्गत ज्ञानपुर गोपीगंज, राजमार्ग पर सिंहपुर के पास भगवानपुर में सड़क काटकर नहर विभाग द्वारा 4 साल पूर्व से प्रारम्भ पुल का निर्माण अभी तक पूरा न होने से यातायात के लिए कठिनाई है ? यदि हां, तो उक्त पुल का निर्माण कार्य कब तक पूरा होकर यातायात के लिये उपलब्ध हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोक पति त्रिपाठी—

ज्ञानपुर, गोपीगंज मार्ग पर सिंहपुर के पास मुख्य नहर के कि0मी0 25-110 पर पी0 आर0 बी0 का निर्माण पूर्ण हो चुका है । उसके दोनों तरफ सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अप्रोच रोड बनाया जा रहा है, जिसके लिए उन्हें धन उपलब्ध करा दिया गया है । अप्रोच रोड पर प्रथम कोट पड़ चुका है तथा पुल के ऊपर से सड़क यातायात के लिए खोली जा चुकी है ।

जनपद जौनपुर के विकास खण्ड बरसठी रामपुर तथा विकास खण्ड रामनगर के सम्पूर्ण ग्रामों का विद्युतीकरण

21—श्री पारस नाथ यादव—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विकास खण्ड बरसठी, रामपुर विकास खण्ड रामनगर के सम्पूर्ण ग्रामों के विद्युतीकरण करने का लक्ष्य निर्धारित

हैं ? यदि हां, तो कब तक उक्त विकास खण्डों में कितने ग्रामों का विद्युतीकरण कर दिया गया है तथा कितने ग्राम अभी तक शेष हैं एवं शेष ग्रामों का कब तक विद्युतीकरण कर दिया जायेगा ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह

जी नहीं ।

प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

दिनांक 31 जनवरी, 1989 तक इन विकास खण्डों में ग्रामों के विद्युतीकरण की स्थिति निम्नवत् है :—

विकास खण्ड	कुल ग्राम	एल0 टी0 लाइन बिछाकर विद्युतीकरण	शेष
1	2	3	4
बरसठी	159	43	116
रामपुर	167	52	115
रामनगर	196	41	155

अवशेष ग्रामों का विद्युतीकरण संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

कृषकों द्वारा बन्धा लगाकर पानी रोके जाने के कारण जनपद जौनपुर के ग्राम नेवदा से पानी का आगे न जाना

22—श्री पारस नाथ यादव—

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि शारदा सहायक खण्ड 39 नरायनपुर रजबहा करीब 10 वर्षों से निर्माणाधीन नहर का पानी विकास खण्ड रामपुर, जनपद जौनपुर के ग्राम नेवादा से आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि उक्त ग्राम में जिस भूमि में नहर का निर्माण होना है, उस भूमि को न तो अधिग्रहीत ही किया गया है और न तो उस भूमि के मालिक को आज तक मुआवजा ही दिया गया है ? यदि हां, तो क्या जनहित को देखते हुए भूमि के अधिग्रहण, भूस्वामी को मुआवजा तथा पानी को आगे बढ़ाने का निर्देश मंत्री जी देंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

नरायनपुर राजबहे का निर्माण पूरी लम्बाई 72.2 कि0 मी0 में कराया जा चुका है नहर के कि0 मी0 70.2 पर कृषक द्वारा बन्धा लगाकर पानी रोके जाने के कारण पानी आगे नहीं जा रहा है । भूमि अधिग्रहण का प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन होने तथा स्थगन आदेश के कारण आगे की कार्यवाही अवरुद्ध है ।

न्यायालय के निर्णय के उपरान्त भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही करके भू-स्वामी को मुआवजा वितरित किया जा सकेगा तथा नहर की टेल तक पानी पहुंचाया जा सकेगा।

शारदा सहायक खण्ड-43 ड्रेनेज फैजाबाद द्वारा ड्रेनों की खुदाई तथा सफाई के कार्य में गम्भीर अनियमितता

23--श्री मित्र सेन--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि विधान सभा क्षेत्र मिल्कीपुर में वर्ष 1986-87 तथा 1987-88 में कौन-कौन सी नयी ड्रेनों (नालों) की खुदाई तथा किन-किन नालों की सफाई का कितना-कितना कार्य शारदा सहायक खण्ड-43 ड्रेनेज फैजाबाद द्वारा कराया गया है ? उन कार्यों हेतु कितनी धनराशि कब-कब व किसके द्वारा भुगतान की गई है ? क्या यह सही है कि इस खुदाई और सफाई के कार्य में गम्भीर अनियमितता के कारण जिलाधिकारी फैजाबाद ने अपने आदेश सं0 अ0 शा0 पत्र सं0-64/अ0 लि0/ज0 प्रति/88, दिनांक 8 अप्रैल, 1988 द्वारा एक जांच समिति का गठन किया है ? यदि हां, तो उक्त जांच समिति की रिपोर्ट क्या है ? अब तक कौन-कौन से अनियमिततायें प्रकाश में आई हैं ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

विधान सभा क्षेत्र मिल्कीपुर में वर्ष 1986-87 एवं 1987-88 में नये नालों की खुदाई, पुनरोद्धार तथा नालों की सफाई के कराये गये कार्यों की सूची *संलग्नक है। नालों के निर्माण, पुनरोद्धार एवं सफाई पर निम्न विवरण के अनुसार अधिशासी अभियन्ता, शारदा सहायक खण्ड 43 फैजाबाद द्वारा भुगतान किया गया है :

क्रम-सं0	वर्ष	नालों का निर्माण एवं पुनरोद्धार	सफाई कार्य
1	1986-87	13,32,721.28	..
2	1987-88	17,90,648.90	21,827.00

जी हां।

जांच समिति की रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के थानाध्यक्ष दरगाह शरीफ द्वारा पाइल्स सीट पकड़ना

24--श्री त्रिभुवन प्रसाद--

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच में राप्ती लिंक चैनेल के फकिरा साईफन से पाइल सीट ट्रक नं0 यू0 टी0 जेड 2449, दिनांक 22 जनवरी, 1987 को थाना दरगाह के पुलिस ने पकड़ा था जिसमें 22 टुकड़े 2 फिट लम्बे डेढ़ फुट चौड़े और एक से0मी0 मोटे, टुकड़े 6/1/2 फुट लम्बे, 1 फुट चौड़े कुल 30 पाइल सीट सरकारी पकड़ी गयी थी ? यदि हां, तो इस

*(देखिये नत्थी "क" आगे पृष्ठ 120, 121, 122, 123 पर)

प्रकरण में दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

फकीरा साइफन से कोई ट्रक सीट पाइल्स का नहीं पकड़ा गया । पुलिस अधीक्षक बहराइच की रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 22 जनवरी, 1987 को थाना अध्यक्ष, दरगाह शरीफ द्वारा मल्हीपुर रोड के किनारे कोई पटरी पर अशोक भट्ठे के आगे 35 अदद सीट पाइल्स पकड़ी गयी थी । यह स्थान फकीरा साइफन से लगभग 40 किमी0 दूर है । पकड़ी गई सीट पाइल्स का विवरण निम्न प्रकार है :

1--4 अदद बड़ा साइज, साढ़े 6 फिट लम्बा, एक मीटर चौड़ा, करीब एक फिट मोटा ।

2--6 अदद साढ़े तीन फिट लम्बा, एक मीटर चौड़ा, एक से0मी0 मोटा ।

3--20 अदद 2 फिट लम्बा, आधा मीटर चौड़ा, करीब एक से0मी0 मोटा ।

4--5 अदद डेढ़ फिट लम्बा, आधा मीटर चौड़ा, एक से0मी0 मोटा, कुल वजन 8 टन पकड़ी गई सीट पाइल्स के प्रकरण की पुलिस द्वारा विवेचना की गई और साक्ष्य उपलब्ध न होने के कारण अन्तिम रिपोर्ट न्यायालय को प्रेषित कर दी गई ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

25--श्री सुखपाल पाण्डे--

[दिनांक 22 फरवरी, 1989 को अता0 प्र0 सं0 42 द्वारा उत्तरित]

राज्य विद्युत् परिषद् का भारी उद्योग पर अवशेष धन

26--श्री सुखपाल पाण्डे--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य विद्युत् परिषद् का कितना धन किन-किन भारी उद्योगों पर बकाया है ? बकाया वसूलने के लिए क्या कार्यवाही की गयी ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् का भारी उद्योगपतियों में कनौड़िया केमिकल, रेनूकूट पर 19.17 करोड़, हिन्डालको, रेनूकूट पर 8.94 करोड़ तथा मोदी उद्योग समूह पर 10.29 करोड़ रुपया, 31 दिसम्बर, 1988 तक बकाया था ।

अधिकांश प्रकरण उच्चतम/उच्च न्यायालय अथवा पंचनिर्णय में चल रहे हैं ।

बकाया वसूल करने हेतु न्यायालयों के निर्णय के अनुसार कार्यवाही हो रही है एवं पंच निर्णय अथवा कतिपय अन्य प्रकरणों को शीघ्र निपटाने हेतु सभी सम्भव प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

मांट ब्रांच राजबाहा सादाबाद के हेड से मथुरा बरेली मार्ग तक नहर से निकाली गयी सिल्ट

27—श्री सरदार सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री की जानकारी में है कि मांट ब्रांच से राजबाहा सादाबाद के हेड से मथुरा बरेली मार्ग तक बायीं पटरी पर तथा मांट ब्रांच पर मांट–राया मार्ग से कोठी पचावर तक महीन बालू (रेत) के ढेर जमा हो गये हैं जिससे पटरी पर दौरा करना कठिन हो गया है ? यदि हां, तो शासन अविलम्ब इन पटरियों को पक्का कराने का कष्ट करेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

मांट ब्रांच के राजबहा सादाबाद के हेड से मथुरा बरेली मार्ग तक तथा मांट ब्रांच पर मांट राया मार्ग से कोठी पचावर तक नहर से निकाली गयी सिल्ट, सरविस रोड अथवा बैंक की बाहरी ढलान पर कहीं–कहीं एकत्रित है जिससे पटरी पर चलने में कोई रुकावट नहीं है।

विभाग द्वारा इन पटरियों को पक्का करने के प्रकरण विचाराधीन नहीं हैं न ही इस कार्य हेतु धन उपलब्ध है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

पुरवा में बिक रही विषैली शराब तथा चल रहे अवैध ठेके

28—श्री हृदय नारायन दीक्षित—

क्या आबकारी मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के निर्वाचन क्षेत्र पुरवा में बिक रही विषैली शराब व चल रहे अवैध ठेकों के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 15 दिसम्बर, 1988 सचिव, आबकारी को मिला है ? यदि हां, तो जांच किसने की तथा जांच निष्कर्ष क्या है ? कौन–कौन लोग दोषी पाए गए हैं ? उन पर कार्यवाही क्या हुई है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

प्रश्नकर्ता का सचिव आबकारी को सम्बोधित शिकायती–पत्र दिनांक 15 दिसम्बर, 1988 प्राप्त हुआ था । इसकी जांच संयुक्त आबकारी आयुक्त, आबकारी अभिसूचना केन्द्र उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ने किया । जांच में किसी भी दुकान पर विषैली शराब नहीं पाई गई । दो दुकानों पर जलमिश्रण पाया गया । अन्य दुकानों पर साधारण अनियमितताएं पाई गयीं । उस क्षेत्र के सम्बन्धित आबकरी निरीक्षक का स्पष्टीकरण मांगा गया है । अनुज्ञापी के विरुद्ध भी कार्यवाही की जा रही है ।

अकबरपुर, जिला फैजाबाद स्थित कताई मिल के जूनियर इंजीनियर (सिविल) का निलम्बन

29—श्री शेर बहादुर सिंह—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अकबरपुर, जिला फैजाबाद स्थित कताई मिल के श्री ओ0 पी0 राव जूनियर इंजीनियर सिविल दिनांक 13 सितम्बर, 1988 को प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य कताई मिल द्वारा निलम्बित किये गये

हैं ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या-क्या आरोप हैं ? उक्त आरोप में और कौन-कौन कर्मचारी व अधिकारी दोषी पाया गया है व उन लोगों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

जी हां ।

उत्तर प्रदेश राज्य कताई मिल्स कम्पनी नं0-1 अकबरपुर (इकाई) की बिल्डिंग के कुछ भागों में डिस्टम्पर की पुताई कराकर स्नोसेम तथा कुछ स्थानों पर डिस्टेम्पर की पुताई कराकर आयल बेस्ड पेन्टिंग का भुगतान कराने, मानक स्तर के अनुसार 3 वर्ष के उपरान्त स्नोसेम की पुताई न कराकर 2 वर्ष के अन्दर ही पुनः स्नोसेम की पुताई कराने इत्यादि के आरोप हैं ।

उक्त आरोप में प्रथम दृष्टया श्री जे0 पी0 राव, जूनियर इंजीनियर सिविल तथा जी0 पी0 मिश्रा, वरिष्ठ मिल अभियन्ता दोषी पाये गये थे ।

लगाये गये आरोप के सम्बन्ध में श्री राव एवं श्री मिश्रा को अभियोग-पत्र दिया जा चुका है तथा मामले में कम्पनी सचिव द्वारा जांच कराई जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सिंचाई विभाग द्वारा लिपिकों की सीधी भर्ती

30--श्री राम आसरे वर्मा--

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1985 के तीसरे बुधवार को पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं0-58 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लिपिक पद पर चयन से पूर्व रिक्तियों की पूर्व सूचना जिस पत्र द्वारा सेवायोजन कार्यालय लखनऊ को दी गई उसका नम्बर एवं दिनांक क्या है तथा उक्त पत्र सेवायोजन कार्यालय में प्राप्त भी हुआ या नहीं ? उक्त प्रश्न, उत्तर का वह अंश जिसमें यह कहा गया है कि "अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्ग सीधी भर्ती (चतुर्थ संशोधन) नियमावली के अनुसार विज्ञापन भेजना या परिपत्र जारी करना आवश्यक नहीं है" के तारतम्य में कृपया यह बताया जाय कि उक्त तथ्य उपरोक्त वर्णित नियमावली के किस पैराग्राफ में वर्णित है ? लिपिक पदों पर चयन करते समय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का जितना कोटा तृतीय श्रेणी के पदों पर निर्धारित है, उसकी पूर्ति की गई या नहीं एवं रिक्तियों की सूचना शासनादेश सं0-696/कार्मिक-2/79, दिनांक 6 जून, 1979 के अनुपालन में क्षेत्रीय विधायक को भी दी गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद गोण्डा विकास खण्ड हलधरमऊ के अन्तर्गत ग्राम सभा, रावारी अखड़ेरा, बीरपुर का विद्युतीकरण

31--श्री फसीउर्रहमान उर्फ मुन्नन खां--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के विकास खंड हलधरमऊ के अन्तर्गत ग्राम सभा असरना, रावारी अखड़ेरा बीरपुर को ग्रामीण विद्युतीकरण

योजना 1987-88 के अन्तर्गत पूर्ण दिखाया जा रहा है ? यदि हां, तो ग्रामों को विद्युत उपलब्ध करा दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

जी हां, विकास खंड हुलसरमऊ के अन्तर्गत ग्राम सभा ओसरना रोनवारी, अकरेटा व वीरपुर को वर्ष 1987-88 में विद्युतीकृत किया गया था ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

32--श्री शारदानन्द अंचल--

[5वें मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 89 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

उन्नाव के प्रथम उपखण्ड के माधोगंज सेक्शन एवं सुल्तानपुर कोट सेक्शन में वार्षिक मरम्मत

33--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वित्तीय वर्ष 1986-87 एवं 1987-88 के दौरान शारदा नहर खंड, उन्नाव के प्रथम उपखण्ड के माधोगंज सेक्शन एवं सुल्तानपुर कोट सेक्शन में वार्षिक मरम्मत (एनुअल रिपेयर) हेतु क्रमशः कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की गई ? उसमें से कितनी-कितनी धनराशि का उपयोग किन-किन कार्यों में किया गया ? क्या यह सही है कि हरदोई जिले के उक्त सेक्शनों को उन्नाव में पड़ने वाले अन्य सेक्शन के मुकाबले कम धनराशि आवंटित की गई ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

वर्ष 1986-67 एवं 1987-88 में प्रश्न में निहित अनुभागों की वार्षिक मरम्मत (एनुअल रिपेयर) के मद में निम्नलिखित धनराशि दी गई :

वर्ष	माधोगंज अनुभाग (लाख रु0)	सुल्तानपुर कोट अनुभाग (लाख रु0)
1986-87	3.10	2.45
1987-88	3.90	2.23

उपरोक्त धनराशि के व्यय का विवरण निम्नानुसार है :

(लाख रु0)

क्रमांक	कार्य का नाम	माधोगंज अनुभाग		सुल्तानपुर कोट अनुभाग	
		1986-87	1987-88	1986-87	1987-88
1	2	3	4	5	7
1	हरदोई ब्रांच के बंकों का सुदृढ़ीकरण रेनकट एवं गड्ढे बन्द करने का कार्य	0·35	0·68	0·15	0·44
2	नहरों की रैंक एवं सिल्ट सफाई का कार्य	2·28	2·32	1·91	1·27
3	नहरों के बंकों का सुदृढ़ीकरण एवं कट बन्द करने का कार्य	0·27	0·43	0·07	0·27
4	नालों की सिल्ट सफाई का कार्य	..	0·18	0·09	..
5	पक्के कार्यों की मरम्मत	0·09	..	..	0·02
6	नहरों की वार्चिंग व छोटे-छोटे कटों को बन्द करने तथा रेगुलेशन इत्यादि का कार्य	0·11	0·29	0·23	0·23
	योग ..	3·10	3·98	2·45	2·28

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

वाराणसी नगर अन्तर्गत बरूणा नदी के दोनों तटों पर बांध रोड तथा बांध बनाया जाना

34—श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)—

क्या सिंचाई मन्त्री को जानकारी है कि वाराणसी नगर अन्तर्गत बरूणा नदी के दोनों तटों पर बांध रोड एवं बांध बनाये जाने हेतु कोई सर्वे आदि किया गया था ? यदि हां, तो उक्त का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा और उस पर कुल कितना रुपया व्यय किये जाने का अनुमान है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हां ।

वाराणसी शहर की सुरक्षा हेतु बरूणा नदी के दोनों तटों पर मिट्टी का बांध कंक्रीट की दीवार बनाने की एक योजना का सर्वेक्षण किया गया था । परन्तु नदी के दोनों तटों पर बांध बनाने हेतु तकनीकी दृष्टिकोण से वांछित न्यूनतम स्थान उपलब्ध

न होने तथा योजना का लाभ लागत की अपेक्षा कम होने के कारण इसे वित्तीय तकनीकी दृष्टि से उपयुक्त नहीं पाया गया ।

जनपद देहरादून की लखवाड़ व्यासी परियोजना के अन्तर्गत लघु सीमेन्ट संयंत्र स्थापित करने का निर्णय

35—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या उद्योग मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद देहरादून की लखवाड़ व्यासी परियोजना के अन्तर्गत लघु सीमेन्ट संयंत्र स्थापित करने का निर्णय शासन द्वारा फरवरी, 1980 में किया गया था ? यदि हां, तो इस पर अब तक कुल कितनी धनराशि व्यय की जा चुकी है तथा कितनी धनराशि का कर्ज इस परियोजना पर चढ़ चुका है ? क्या मन्त्री जी उक्त परियोजना से सम्बन्धित प्रगति विवरण सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां ।

अब तक करीब 59 लाख रुपया व्यय किया जा चुका है । इस राशि में 5 लाख सिंचाई विभाग का तथा 54 लाख उत्तर प्रदेश राज्य सीमेंट निगम का है । परियोजना पर किसी वित्तीय संस्था का कर्ज नहीं है ।

प्रगति विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 124 पर ।)

परिकल्प निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा राप्ती लिंक चैनल पर सुपरपैसेज

36—श्री सुखपाल पाण्डे—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मुख्य अभियन्ता सरजू नहर (फैजाबाद) को 30 लाख रुपये तक योजना स्वीकृत करने का अधिकार है और इससे अधिक की योजनायें परिकल्प निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा स्वीकृत की जाती हैं ? यदि हां, तो राप्ती लिंक चैनल पर 704 एवं 404 पर बनने वाले सुपर पैसेज का निर्माण 90 लाख रुपये का किसकी स्वीकृति से कराया जा रहा है ? उक्त योजना की प्रगति दिसम्बर, 1988 तक क्या है और कितना रुपया अब तक खर्चा किया गया है ? क्या मन्त्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त योजना के अतिरिक्त अन्य कितनी 30 लाख रुपये से अधिक की योजनायें मुख्य अभियन्ता सरजू नहर द्वारा स्वीकार की गयी हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हां ।

जी नहीं ।

राप्ती लिंक नहर के 704 एवं 404 पर नहीं बल्कि किमी0 404 तथा किमी0 800 पर सुपर पैसेज का निर्माण प्रस्तावित है और यह स्वीकृति सरयू नहर परियोजना प्राक्कलन के अनुसार कराया जाना है ।

प्रश्नगत सुपर पैसेज का निर्माण कार्य अभी प्रारम्भ नहीं किया गया है। अतः दिसम्बर, 1988 तक कोई धनराशि व्यय नहीं की गई है।

मुख्य अभियन्ता (सरयू) द्वारा किसी 30 लाख रुपये से अधिक योजना की स्वीकृति नहीं दी गई है।

लखनऊ में देशी शराब के ठेकेदारों के ऊपर आबकारी निर्गम मूल्य बकाया

37—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या आबकारी मन्त्री को ज्ञात है कि वर्ष 1987-88 में लखनऊ में देशी शराब के ठेकेदारों के ऊपर आबकारी ड्यूटी निर्गम मूल्य बकाया है? क्या मन्त्री जी यह भी बतलाने की कृपा करेंगे कि कितना मूल बकाया है? बकाया के क्या कारण हैं? क्या अधिकारियों की लापरवाही के कारण आबकारी ड्यूटी निर्गम मूल्य बकाया रही? यदि हां, तो अधिकारियों के प्रति क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जनपद लखनऊ में वर्ष 1987-88 में देशी मदिरा पर निर्गम मूल्य के मद में रु0 2,68,63,518 बकाया पड़ गया था। वस्तुतः अनुज्ञापियों ने माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल कर अक्तूबर, 1987 में यह स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया था कि केवल उठाये गये न्यूनतम गारन्टी कोटा पर ही निर्गम मूल्य वसूल किया जाय। दिनांक 26 अप्रैल, 1988 को माननीय उच्च न्यायालय का अन्तिम निर्णय राज्य सरकार के पक्ष में हुआ। अतः वर्ष 1987-88 में अनुज्ञापियों पर बकाया रह गया जिसकी वसूली संग्रह विभाग के सहयोग से भू-राजस्व की भांति की जा रही है।

माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन-आदेश के कारण वसूली नहीं की जा सकी। प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ में तहसील डीडीहाट के अन्तर्गत ग्राम सभा थल के जनजाति व हरिजनों के लोक गजिला में विद्युतीकरण

38—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या ऊर्जा मंत्री को ज्ञात है कि जनपद पिथौरागढ़ में तहसील डीडीहाट के अन्तर्गत ग्राम सभा थल के जनजाति व हरिजनों के लोक गजिला में 1984 से विद्युतीकरण के लम्बित प्रकरण के लिए धन स्वीकृत कब प्राप्त हुयी थी? इस हेतु विद्युत खम्भों को गाड़ने, विद्युत तार खींचने का कार्य कब पूरा किया गया इस कार्य में अपनाई गई अनियमितता के लिए कौन अधिकारी दोषी हैं? इस तरह की लापरवाही से किसी भी समय जान-माल को भारी क्षति होने की संभावना है तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

प्रश्नगत हरिजन व जनजाति लोक गजिला के विद्युतीकरण हेतु धनराशि वर्ष 1987-88 में उपलब्ध करायी गई।

उक्त लोक का विद्युतीकरण वर्ष 1987-88 में कर दिया गया था।

इस कार्य में अनियमितता नहीं अपनाई गई। अतः दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में मद्य-निषेध

39--श्री काशी सिंह ऐरी--

विधान सभा के दिनांक 23 मार्च, 1988 को विधायक श्री राम जन्म बख्श सिंह द्वारा पूछे गये अता0 प्रश्न सं0 24 के उत्तर के क्रम में क्या आबकारी मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जनपदों में मद्य-निषेध क्षेत्रों में किन-किन 21 अल्कोहल युक्त औषधियों को कब से प्रतिबंधित/नियंत्रित किया गया गया है ? इन औषधियों को प्रतिबन्धित/नियंत्रित करने के क्या-क्या प्रमुख कारण थे ? इनकी खपत बिक्री पर कठोर नियंत्रण के लिए क्रमशः क्या-क्या कदम उठाये गये हैं ? क्या यह सही है कि जनपद पिथौरागढ़ में मृत संजीवनीसुरा को छोटी-छोटी शीशियों में बहुत बड़े स्तर पर छुपकर बिक्री लगातार चालू है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसकी गुप्तचर विभाग से जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

उत्तर प्रदेश के मद्य-निषेध क्षेत्रों में अधिसूचना दिनांक 14 सितम्बर, 1978 तथा अधिसूचना दिनांक 2 दिसम्बर, 1985 द्वारा अल्कोहलयुक्त होम्योपैथिक औषधियों तथा निम्न 21 अल्कोहलयुक्त औषधियों को उनका दुरुपयोग रोकने के लिए आबकारी अधिनियम की धारा 4(1) के अधीन शराब घोषित करके उनके परिवहन, कब्जे में रखने तथा उनकी बिक्री प्रतिबंधित की गई है :--

1--मृत संजीवनी सुरा ।

2--मृत संजीवनी सुधा ।

3--मृत संजीवनी ।

4--स्प्रिट्स इथोरिस ।

5--स्प्रिट्स इथोरिस नाइट्रोसी ।

6--स्प्रिट्स क्लोरोफार्मी ।

7--स्प्रिट्स मेन्था पिपरेटी ।

8--टिंचर आर्सेंटी लक्षिया ।

9--टिंचर औरन्सियाई ।

10--टिंचर कार्डमम कम्पोस्टा ।

11--टिंचर चिर्नन्सी ।

12--टिंचर लिमोनिस ।

13--टिंचर चिल्ला ।

14--टिंचर टोलन्टना ।

15--टिंचर अरजीरिया ।

16--टिंचर जिंजर-ग्रेस ।

17--टिंचर चिरंता कम्पोजिटा

18—टिंचर कलापा ।

19—अशोका लिक्विड ।

20—अशोका लिक्विड एक्सट्रैक्ट ।

21—एबोफास एबोटान ।

माननीय उच्चतम न्यायालय के स्थगन आदेश दिनांक 28 जनवरी, 1988 द्वारा आयुर्वेदिक चिकित्सक की संस्तुति पर 90 मिली मात्रा तक मृत संजीवनी सुरा की बिक्री पर छूट है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

40—श्री [illegible] सेन—

[दिनांक 22 फरवरी, 1989 को अता० प्र० सं० 90 द्वारा उत्तरित]

लखनऊ ऐशबाग रोड में देशी मदिरा की दुकान खोलने विषयक खान अब्दुल वदूद खां, स० वि० प० का पत्र

41—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ ऐशबाग रोड में देशी मदिरा की दुकान खोलने के बारे में सदस्य विधान परिषद् खान अब्दुल वदूद खां का पत्र सं० 394 उनके कार्यालय में ता० 26 अप्रैल, 1988 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि पत्र पर क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां ।

जिलाधीकारी लखनऊ से जांचोपरान्त उक्त दुकान का खोला जाना उपयुक्त पाया गया ।

जनपद देवरिया में विद्युत् वितरण खण्ड का मुख्यालय बनाये रखने का औचित्य

42—श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद के विद्युत् वितरण खण्ड द्वितीय का कार्य क्षेत्र हाटा, पड़रौना, तमकुहीराज तहसील होने के बावजूद उसका मुख्यालय देवरिया में बनाये रखने का क्या औचित्य है ? क्या सरकार मुख्यालय और कार्य क्षेत्र के केन्द्र स्थान कसया में मुख्यालय बनाये जाने का निर्देश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

विद्युत् सम्बन्धी विविध परिवादों के समस्याओं के यथा-शीघ्र निराकरण हेतु अन्य विभागों के जिला-स्तरीय कार्यालयों व उनके अधिकारियों, जिनके मुख्यालय देवरिया में स्थित हैं, से सामयिक स्थिति के अनुसार आवश्यक समन्वय हेतु अविलम्ब सम्पर्क करना अपरिहार्य होता है । अतः बहुमुखी लोकहित व प्रशासनिक व्यवस्था को दृष्टिगत

करते हुए विद्युत् वितरण खण्ड द्वितीय का मुख्यालय भी देवरिया में ही बनाये रखना उचित है ।

उक्त कारणों से विद्यमान परिस्थितियों में ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है । प्रश्नगत सम्बन्धित क्षेत्रों की विद्युत् व्यवस्था हेतु कसया व पडरौना में स्थित एक-एक विद्युत् वितरण उपखण्ड के उपखण्डाधिकारी व उनके अन्तर्गत नियुक्त अन्य कर्मचारियों की सेवायें सदैव उपलब्ध रहती हैं ।

राज्य कर्मचारियों की भांति राज्य सरकार के विभिन्न उपक्रमों के कर्मचारियों की बढ़ती हुई महंगाई

43—श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री प्रदेश के राज्य कर्मचारियों की भांति राज्य सरकार के विभिन्न उपक्रमों (निगमों) के कर्मचारियों की भी बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए शुद्ध एवं सस्ती दर पर कर्मचारी कल्याण निगम के माध्यम से वस्तुयें उपलब्ध कराये जाने की घोषणा करेगी ? यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह—

जी नहीं ।

उपक्रमों के कर्मचारी राज्य कर्मचारी की श्रेणी में नहीं आते । य[illegible]म केवल राज्य कर्मचारियों के लिए है ।

दिनेश पुत्र श्री रामलखन, निवासी ग्राम बेलौउवा बरियारपुर, जनपद फैजाबाद की विद्युत् दुर्घटना

44—श्री अकबर हुसैन बाबर—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1988 के पहले बुधवार के लिए अतारांकित प्रश्न संख्या 81 के उत्तर के संदर्भ में क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री दिनेश पुत्र श्री राम लखन, निवासी ग्राम बेलौउवा बरियारपुर, जनपद फैजाबाद को विद्युत् दुर्घटना के मामले में परिषद् के कार्यालय द्वारा 29 अप्रैल, 1988 को स्वकृत क्षतिपूर्ति 5,000.00 रु० का भुगतान किया जा चुका है ? यदि नहीं, तो इस विलम्ब का दोषी कौन है ? उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

श्री दिनेश पुत्र श्री राम लखन, निवासी ग्राम बेलौउवा बरियारपुर, जिला फैजाबाद को 5,000.00 रु० (पांच हजार रुपये) का भुगतान अधिशासी अभियन्ता, विद्युत् वितरण खण्ड अकबरपुर के चेक संख्या 718475, दिनांक 3 अक्तूबर, 1988 द्वारा किया जा चुका है ।

गोरखपुर, सार्वजनिक नलकूप निर्माण मण्डल में सर्वेयर के पद रिक्त

45—श्री जवाहर सिंह यादव—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सार्वजनिक नलकूप निर्माण मण्डल गोरखपुर में सर्वेयर पद के कुल कितने स्थान रिक्त हैं ? क्या इन पद पर कोई नियुक्ति हुई है ? यदि हां, तो कितनी ?

श्री लोक पति त्रिपाठी—

पब्लिक नलकूप निर्माण मण्डल, गोरखपुर में सर्वेयर के कुल 6 पद रिक्त हैं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

एस0 डी0 ओ0 विद्युत् आपूर्ति (मेन्टीनेन्स) तथा एस0 डी0 ओ0 (ग्रामीण विद्युतीकरण) का कार्यालय जिला केन्द्र उन्नाव होना

46—श्री हृदय नारायण दीक्षित—

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने सभी माननीय विधायकों से इस आशय की जानकारी हेतु एक परिपत्र माह नवम्बर, दिसम्बर, 1988 में भेजा था कि सम्बन्धित एस0 डी0 ओ0/अवर अभियन्ता क्षेत्रों में निवास करते हैं ? यदि हां, तो क्या प्रश्नकर्ता द्वारा प्रश्नकर्ता के क्षेत्र के एस0 डी0 ओ0 विद्युत आपूर्ति (मेन्टीनेन्स) एस0 डी0 ओ0 (ग्रामीण विद्युतीकरण) के क्षेत्र में न रहकर जिला केन्द्र में रहने के सम्बन्ध में प्रेषित पत्र 19 दिसम्बर, 1988 पर क्या कार्यवाही की गई ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जी हां ।

दिनांक 19 दिसम्बर, 1988 के पत्र पर छानबीन करने पर यह विदित हुआ कि सम्बन्धित एस0 डी0 ओ0 विद्युत् आपूर्ति (मेन्टीनेन्स) का कार्य क्षेत्र पुरवा टाउन के अतिरिक्त मौरावां, नवाबगंज, भगवन्त नगर और बीघापुर 33 के0 वी0 उपकेन्द्र के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र भी हैं । अतएव उक्त एस0 डी0 ओ0 का कार्यालय जिला केन्द्र उन्नाव पर ही रखा गया है ।

इसी प्रकार एस0 डी0 ओ0 (ग्रामीण विद्युतीकरण) पूरे उन्नाव जनपद के ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य देखते हैं । इस कारण इनका कार्यालय जिला केन्द्र पर रखा गया है ।

गोंडा जनपद में भंभुवा बाजार में विद्युत् सब स्टेशन बनाने की योजना

48—श्री उमेश्वर प्रताप सिंह—

क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोंडा जनपद में भंभुवा बाजार में विद्युत् सब स्टेशन बनाने की योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक इसका निर्माण हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

भंभुवा बाजार में 33 के0 वी0 उपकेन्द्र बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि निकटवर्ती क्षेत्र का विद्युत् भार बहुत कम है और पास ही में 33 के0 वी0 कर्नलगंज उपकेन्द्र है ।

जनपद गोंडा के ग्राम सभा जेठ पुरवा परगना व तहसील गोंडा के दोषी कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही

48--श्री फसीउर्रहमान उर्फ मुन्नन खां--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगी कि जनपद गोंडा के ग्राम सभा जेठ पुरवा परगना व तहसील गोंडा के निवासी मोहम्मद दीन पुत्र मवारदीन की समस्त भूमि खाता संख्या-66 व 71 एक एकड़ इक्कीस डिसमिल, सरजू नहर के कर्मियों ने बरम मुआवजा दिये वर्ष 1981-82 में खुदवाकर मुहम्मद दीन को भूमि हीन बना दिया है ? यदि हां, तो क्या इसके लिये दोषी कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोक पति त्रिपाठी--

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद गोंडा के विकास खंड उपईडीह के ग्राम जेठ पुरवा के नलकूप को चलाने की व्यवस्था

49--श्री फसीउर्रहमान उर्फ मुन्नन खां--

क्या सिंचाई मन्त्री की जानकारी में है कि जनपद गोंडा के विकास खंड, उपईडीह के ग्राम सभा जेठ पुरवा का नलकूप जो0 जो0-38 की बोरिंग फरवरी, 1987 से खराब है ? यदि हां, तो किसानों के हित में नलकूप की कमियों दूर करके नलकूप को चलाने की व्यवस्था कब तक की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोक पति त्रिपाठी--

जी हां । यह नलकूप अपनी अवधि व्यतीत कर फेल हो गया है ।

इसका पुनर्निर्माण कार्य वर्ष 1989-90 में किया जाना प्रस्तावित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोंडा के विकास खंड हरैया सतघरवा में ग्राम सभा बहादुरगंज की ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

50--श्री फसीउर्रहमान उर्फ मुन्नन खां--

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोंडा के विकास खंड हरैया सतघरवा में ग्राम सभा बहादुरगंज बाजार को ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत विद्युतीकृत दर्शाया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या ग्राम में बिजली के खम्भे, तार, ट्रान्सफार्मर लगाने की कार्यवाही भी करायी गयी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो विद्युतीकृत दर्शाये जाने का क्या औचित्य है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोंडा के विकास खंड गैसड़ी का मजगवा बांध, की मरम्मत

51—श्री फैसीउर्रहमान उर्फ मुन्नन खां—

क्या सिंचाई मन्त्री की जानकारी में है कि जनपद गोंडा के विकास खंड गैसड़ी का मजगवा बांध, वर्ष 1983-84 से दारा नाला में पानी न आने के कारण निष्क्रिय हो गया है ? यदि हां, तो किसानों के हितार्थ बन्धे के चैनल फीडर की मरम्मत करायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोक पति त्रिपाठी—

मजगवा बांध पानी न आने के कारण निष्क्रिय नहीं हुआ है । दारा नाले पर बने वीयर के क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण मजगवा बांध में भरने वाले पानी की मात्रा कम हो गयी है ।

जी नहीं ।

क्योंकि फीडर चैनल पानी लाने योग्य है और वीयर ध्वस्त हो चुका है ।

सिम्भावली शुगर मिल की विद्युत् लाइन खींचने में भ्रष्टाचार विषयक शिकायती-पत्र

52—श्री कनक सिंह—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र 20 सितम्बर, 1988 व रिमाइन्डर 4 अक्तूबर, 1988 जो चेयरमैन उत्तर प्रदेश विद्युत् परिषद् को सम्बोधित था जिसके साथ सिम्भावली शुगर मिल की लाइन खींचने में भ्रष्टाचार सम्बन्धी श्री ज्ञान प्रकाश संरक्षक उत्तर प्रदेश विद्युत् कर्मचारी संघ हापुड़ का शिकायती-पत्र दिनांक 12 अगस्त, 1988 संलग्न था, पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

अध्यक्ष, राज्य विद्युत् परिषद् को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 20 सितम्बर, 1988 के साथ संलग्न श्री ज्ञान प्रकाश, संरक्षक, राज्य विद्युत् कर्मचारी संघ, हापुड़ गाजियाबाद के पत्र दिनांक 12 अगस्त, 1988 में उल्लिखित सिम्भावली शुगर मिल की लाइन खींचने में भ्रष्टाचार विषयक आरोपों की जांच मुख्य अभियन्ता (वितरण) पश्चिमी क्षेत्र, मेरठ से दिनांक 14 अक्तूबर, 1988 को सौंपी जा चुकी है ।

कानपुर में जिलापूर्ति अधिकारी द्वारा 1000 बोरी सीमेंट के परमिट के सम्बन्ध में प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही

53—श्री मूल चन्द्र एवं यदुनाथ सिंह—

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि उन्हें कानपुर में जिलापूर्ति अधिकारी द्वारा 1000 बोरी सीमेंट के परमिट के बारे में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 1377 उनके कार्यालय में ता0 16 जुलाई, 1985 को व पत्र सं0 2006 उनके कार्यालय में ता0 29 अक्तूबर, 1988 को व सदस्य विधान परिषद् खान अब्दुल वदूद खां का

पत्र संख्या 1163 उनके कार्यालय में ता0 18 अक्तूबर, 1988 को प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो इन पत्रों पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री हुकुम सिंह—

कानपुर में जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा 1000 बोरी सीमेंट के परमिट के बारे में प्रश्नकर्ता के पत्र सं0 1377 व 2006 प्राप्त नहीं हुए हैं। श्री खान अब्दुल वदूद खां, सदस्य विधान परिषद् के पत्र दिनांक 30 जुलाई, 1988, के साथ श्री यदुनाथ सिंह, सदस्य विधान सभा के पत्र सं0 1377 दिनांक 16 जुलाई, 1985 की प्रतिलिपि, 4 अगस्त, 1988 को शासन को प्राप्त हुई थी। श्री यदुनाथ सिंह, सदस्य, विधान सभा का पत्र सं0 2006, दिनांक 29 अक्तूबर, 1988 शासन को दिनांक 5 नवम्बर, 1988 को प्राप्त हुआ था। श्री खान अब्दुल वदूद खां, सदस्य विधान परिषद् का पत्र सं0 1168, दिनांक 15 अक्तूबर, 1988 शासन को 26 अक्तूबर, 1988 को प्राप्त हुआ।

जहां तक उक्त पत्रों में 1000 बोरी सीमेंट का परमिट प्रदान करने में हुई अनियमितता का प्रश्न है, इस प्रकरण की जांच कराई गई। जांच के फलस्वरूप सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

बिरजू पुत्र श्री इसरार ग्राम पेकोलिया तहसील टाण्डा फैजाबाद की भूमि को ड्रेन निर्माण हेतु अर्जित करना

54—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री बिरजू पुत्र श्री इसरार ग्राम पेकोलिया तहसील टाण्डा फैजाबाद की भूमि खाता नं0 275 गाटा संख्या 59 रकबा 111 बिस्वा बिस्वांसी ड्रेन निर्माण हेतु अर्जित कर ली गई है तथा करीब 3 वर्ष पश्चात् अभी तक उक्त अर्जित भूमि को प्रतिकर भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो कब तक अर्जित भूमि का प्रतिकर भुगतान करा दिया जायेगा ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हां। श्री बिरजू पुत्र श्री इसरार ग्राम पकोलिया, तहसील टाण्डा जनपद फैजाबाद की भूमि खाता संख्या 275 गाटा सं0 59 में 9 बिस्वा 10 बिस्वांसी बिरुवा नाला के निर्माण हेतु वर्ष 1984-85 में ली गई थी। उक्त भूमि के प्रतिकर का भुगतान अभी नहीं हुआ है।

भूमि अध्याप्ति प्रकरण दिनांक 21 फरवरी, 1989 को विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी फैजाबाद को भेजा गया है। भूमि अध्याप्ति के सम्बन्ध में विज्ञप्ति जारी होने के बाद प्रतिकर वितरण की कार्यवाही विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा की जायेगी।

55—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

[कई विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त।]

जनपद हमीरपुर में सिंचाई सुविधा के लिए टेल तक पानी पहुंचाना

56—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हमीरपुर की तहसील राठ के अन्तर्गत पुरैनी राजवहा (सपरार प्रखण्ड झांसी) के ग्राम पुरैनी राजवाहा तथा ग्राम

बिलगांव की सिंचाई सुविधा के लिये राजवाहा की सफाई करवा के टेल तक पानी पहुंचाया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोक पति त्रिपाठी—

पुरैनी राजवाहा सपरार प्रखण्ड, झांसी के कार्य क्षेत्र में बसान नहर प्रणाली की जलालपुर ब्रांच के मील 25–0–600 दायीं पटरी से निकलता है। इस राजवाहा के टेल भाग में पानी पहुंचने में पूर्व वर्षों में काफी कठिनाई होती थी। लगभग 10 वर्ष पूर्व नलकूप संगठन द्वारा राजवाहा के मील 6–4–0 के नीचे के क्षेत्र की सिंचाई सुविधा हेतु नलकूप लगाये गये थे। नलकूप बनवाने के बाद राजवाहा में केवल मील 6–4–0 तक नहर का पानी पहुंचाया जाना अपेक्षित है।

इस वर्ष नहर की सफाई भी की गई है एवं विशेष प्रयास करके मील 6–4–0 के नीचे मील 9–1–0 टेल तक पानी पहुंचाया जा सका व टेल क्षेत्र में सींच हुई है।

जनपद हमीरपुर के राठ तहसील के अन्तर्गत उपजाऊ भूमि को देखते हुए राजकीय नलकूप लगवाने की मांग

57—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हमीरपुर के राठ तहसील के अन्तर्गत ग्राम पुरैनी व मौजा निबौली की उपजाऊ भूमि को देखते हुए सिंचाई व्यवस्था के लिए राजकीय नलकूप लगवाने के लिये सर्वे कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक राजकीय नलकूप लग जायेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

ग्राम पुरैनी का संपूर्ण क्षेत्र जलालपुर ब्रांच नहर के बिलगांव माइनर के अन्तर्गत आता है, अतः वर्तमान नीति के अनुसार नहर कमाण्ड क्षेत्र होने के कारण नलकूप लगाया जाना सम्भव नहीं है।

प्रारम्भिक सर्वे के अनुसार ग्राम निबौली में नलकूप का निर्माण सम्भव है। अतएव प्रश्नगत ग्राम में नलकूप का निर्माण जिला प्लान में प्राविधान होने, जिला सिंचाई सलाहकार समिति में प्रस्ताव पारित होने तथा जिला स्थल चयन समिति के अनुमोदन के उपरान्त ही कराया जाना सम्भव है।

बांदा जनपद के महुआ ब्लाक के ग्राम प्रेमपुर की असिंचित भूमि की सिंचाई के लिए माइनर निकालना

58—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि संयुक्त सचिव श्री देवेन्द्र सिंह सिंचाई अनुभाग (4) उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ने अपने पत्रांक अर्धशा० प० सं०–3182/87—23–सि० 4—28 बी० आई० पी० दिनांक 23 जून, 1987 द्वारा प्रश्नकर्ता को अवगत कराया है कि बांदा जनपद के महुआ ब्लाक के ग्राम प्रेमपुर की असिंचित भूमि की सिंचाई के लिए माइनर निकालने के सम्बन्ध में बिन्दु नं० 2 पर जिस क्षेत्र के कुलावे से माइनर निकाल कर सिंचाई सुविधा प्रदान किये जाने की मांग कृषकों द्वारा की जा रही यह प्रश्नगत क्षेत्र कुलावे के कमाण्ड क्षेत्र के बाहर है ? यदि हां, तो क्या उस क्षेत्र की सींच वसूली विगत वर्षों में नहीं की गयी ? यदि की गयी है तो क्या इस सम्पूर्ण प्रकरण की जांच उच्च अधिकारियों द्वारा कराई जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् के अधीन लिपिक वर्ग

59—श्री हृदय नारायण दीक्षित—

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् के अधीन लिपिक वर्ग के कितने कर्मचारी न्यायालय से सम्बन्धित कार्य, पांच या उससे अधिक वर्षों से कर रहे हैं ? इन सहायकों में से कितने सहायक कानून की डिग्री या अन्य समकक्ष डिग्री रखते हैं ? क्या ऐसे लिपिकों को औद्योगिक विधि सहायक/विधि सहायक जैसे पदनाम देने पर विचार हो रहा है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

विद्युत् परिषद् के अधीनस्थ कार्यालयों से जो सूचना अब तक प्राप्त हुई है के आधार पर लिपिक वर्ग के 165 कर्मचारी न्यायालयों से सम्बन्धित कार्य कर रहे हैं। उक्त सहायकों में से 61 सहायक कानून की डिग्री रखते हैं।

विषय राज्य विद्युत् परिषद् के अर्हतानुसार विचाराधीन है।

विद्युत् सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा अवर अभियन्ता विद्युत् यांत्रिक तथा इलेक्ट्रानिक्स के रिक्त पद के लिए प्राप्त प्रार्थना—पत्र

60—श्री बहादुर द्विवेदी—

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1988 में विद्युत् सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा अवर अभियन्ता विद्युत् यांत्रिक तथा इलेक्ट्रानिक्स के रिक्त पदों हेतु कितने-कितने आवेदन-पत्र अन्तिम तिथि तक जमा कराये गये ? इससे आयोग को कितनी धनराशि प्राप्त हुई ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि जांचोपरांत किस-किस इन्जीनियरिंग शाखा के कितने-कितने अभ्यर्थियों के आवेदन-पत्र निरस्त कर उन्हें लिपिक परीक्षा में भाग लेने हेतु अयोग्य घोषित कर दिया गया ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

अवर अभियन्ता पद हेतु विद्युत् डिप्लोमा के 7193, यांत्रिक के 7056, इलेक्ट्रानिक्स के 1,331 तथा 3 अन्य, जिसमें इंजीनियरिंग ट्रेड स्पष्ट नहीं था, आवेदन-पत्र जमा कराये गये।

इन आवेदन-पत्रों से विद्युत् सेवा आयोग को रु0 7,20,891 की धनराशि प्राप्त हुई।

आवेदन-पत्रों के जांचोपरान्त विद्युत् डिप्लोमा के 264, यांत्रिक के 201 इलेक्ट्रानिक्स के 52 तथा 3 अन्य, निरस्त कर अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में भाग लेने हेतु अयोग्य घोषित किया गया।

बलिया नगर में विद्युत् आपूर्ति

61—श्री विक्रमादित्य पाण्डेय तथा श्री मैनेजर सिंह—

क्या ऊर्जा मंत्री को इस बात की जानकारी है कि 14, 15 एवं 16 दिसम्बर, 1988 को बलिया नगर में विद्युत् की आपूर्ति ठप्प थी, यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जी हां। बलिया नगर की विद्युत् आपूर्ति दिनांक 14-12-88 को 7 घन्टे, 15-12-88 को 24 घंटे तथा 17-12-88 को 17 घंटे बन्द रही।

ऐसा 14-12-88 को एच0 टी0 लाइन में ब्रेकडाउन होने और श्री गौतम राय, प्रवर अभियन्ता पर हमले के फलस्वरूप कर्मचारियों के आन्दोलन के कारण ब्रेकडाउन देर से ठीक होने के कारण हुआ।

जनपद गाजीपुर में अन्धऊ सब स्टेशन द्वारा विद्युत आपूर्ति

62—श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)—

क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर में अन्धऊ सब स्टेशन 132 के0 वी0 द्वारा अपने सम्बन्धित उप केन्द्रों को नवम्बर, 1988 से दिसम्बर, 1988 तक प्रतिदिन कितने घंटे विद्युत् आपूर्ति की गई ? क्या इस उप केन्द्र पर उक्त अवधि में कोई खराबी हो गयी थी ? यदि हां, तो उस खराबी को कब ठीक किया गया ?

132 के0 वी0 अन्धऊ जनपद गाजीपुर विद्युत् उपकेन्द्र से माह नवम्बर व दिसम्बर 1988 में संबंधित 33 के0 वी0 उपस्थानों को निम्न लिखित विद्युत् आपूर्ति की गई :

क्रम-संख्या	33 के0 वी0 उपकेन्द्र का नाम	औसत विद्युत् आपूर्ति घंटों में	
		नवम्बर, 1988	दिसम्बर, 1988
1	रौजा	23·5	23·54
2	यूसुफपुर	20·9	22 8
3	कासिमाबाद	22·16	22·00
4	दूल्हापुर	10·7	19·50

इस उपकेन्द्र (132 के0 वी0 गाजीपुर) में 20 एम0 वी0 ए0 क्षमता के दो ट्रान्सफार्मर लगे हुये हैं और कुल क्षमता 40 एम0 वी0 ए0 है। उपकेन्द्र की क्षमता 40 एम0 वी0 ए0 से 60 एम0 वी0 ए0 बढ़ाने के लिये वहां एक 20 एम0 वी0 ए0 की जगह 40 एम0 वी0 ए0 ट्रांसफार्मर लगाया जा रहा था। इस प्रक्रिया में कुछ तकनीकी कठिनाई के कारण ऐसा नहीं किया जा सका और वहां पुनः पुराना 20 एम0 वी0 ए0 ट्रान्सफार्मर लगा दिया गया। इस अवधि में एक 20 एम0 वी0 ए0 ट्रान्सफार्मर की ओवरहालिंग की गयी है। ओवरहालिंग के दौरान विद्युत् आपूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था कर दी गई जिसमें सम्बन्धित उपकेन्द्रों की आपूर्ति में कम से कम बाधा हो। उपकेन्द्र में इसके अतिरिक्त कोई खराबी नहीं हुई थी।

20 एम0 वी0 ए0 ट्रांसफार्मर को ओवरहालिंग करके दिनांक 6-1-89 को पुनः चालू कर दिया गया एवं उपकेन्द्र प्रणाली सामान्य कर दी गयी।

सिंचाई खण्ड, लखनऊ द्वारा बिना कोटेशन तथा निविदा आमंत्रित किये अनुबन्ध एवं कार्यादेश

63—श्री शारदा प्रताप—

क्या सिंचाई मन्त्री को जानकारी है कि वर्ष 1986-87 से वर्ष 1988-89 में 1 दिसम्बर, 1988 तक बिना कोटेशन तथा निविदा आमंत्रित किये अनुबन्ध एवं कार्यादेश सिंचाई खण्ड, लखनऊ में किन-किन व्यक्तियों से कराये गये तथा उनके नाम एवं स्थानीय पते क्या हैं ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

सिंचाई खंड, लखनऊ में वर्ष 1986-87 से वर्ष 1988-89 में दिसम्बर, 1988 तक कोई अनुबंध बिना निविदा आमंत्रित किये नहीं किया गया है। अधिकांशतः कार्यादेश भी कोटेशन आमंत्रित कराने के बाद ही किये गये हैं। आकस्मिक आवश्यकताओं के कारण बिना कोटेशन आमंत्रित किये, विभागीय स्वीकृत दर अनुसूची के अन्तर्गत संलग्न सूची में उल्लिखित व्यक्तियों के नाम कार्यादेश किये गये।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 125, 126 पर।)

जनपद फर्रुखाबाद की विद्युत् वितरण व्यवस्था

64—श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद की विद्युत् वितरण व्यवस्था में सुधार हेतु कोई व्यापक योजना का प्रारूप वर्ष 1988 में अधीक्षण अभियन्ता, राज्य विद्युत् परिषद्, फतेहगढ़ फर्रुखाबाद द्वारा शासन को भेजा गया है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

फर्रुखाबाद नगर की विद्युत् व्यवस्था में व्यापक सुधार हेतु विद्युत् सामग्री एवं उपकरण

65—श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

क्या ऊर्जा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें फर्रुखाबाद नगर की विद्युत व्यवस्था में व्यापक सुधार हेतु आवश्यक विद्युत सामग्री एवं उपकरण उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का कोई पत्र नवम्बर, दिसम्बर, 1988 में प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जी हां।

माननीय विधायक ने अपने पत्र दिनांक 9 दिसम्बर, 1988 में जो सामग्री उपलब्ध कराने हेतु लिखा था, उसमें से अधिकांश सामान विद्युत् वितरण खण्ड फर्रुखाबाद को उपलब्ध करा दिया गया है जिसका वितरण निम्नवत् है:

(1) ए0 सी0 एस0 आर डाग कन्डक्टर	8 कि0 मी0
(2) ए0 सी0 एस0 आर0 रैबिट कन्डक्टर	6 कि0 मी0
(3) स्टे राड	200 नग
(4) पी0 वी0 सी0 केबिल 3×185 एम एम	300 मी0
(5) 400 के0 वी0 ए0 ट्रान्सफार्मर	7 नग
(6) 250 के0 वी0 ए0 ट्रान्सफार्मर	3 नग

कुछ पी0 वी0 सी0 केबिल आदि रह गये है जो शीघ्र उपलब्ध कराये जा रहे हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

गोरखपुर जिले में आंधया-रसूलपुर-चन्दन चाफी को जोड़ने वाली सड़क

66--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जिले में आंधया-रसूलपुर-चन्दन-चाफी को जोड़ने वाली सड़क पर भिलउरा नाला पर पुल बनवाने का निर्माण विभाग ने लिया है . यदि हां, तो उक्त पुल की लागत कितनी होगी एवं पुल का निर्माण कब तक पूरा कर लिया जायेगा ।

श्री लोकपति त्रिपाठी--

आंधया-रसूलपुर-चन्दन-चाफी को जोड़ने वाली सड़क पर चिलुआ नाला । न कि भिलउरा नाला । के कि0 मी0 51·600 पर अगले वित्तीय वर्ष में ग्रामीण पथ सेतु बनाया जाना प्रस्तावित है । उक्त पुल की अनुमानित लागत 13 लाख रु0 है तथा इसका निर्माण जून, 1991 तक पूर्ण होने की सम्भावना है ।

तिब्बती उच्च शिक्षा संस्थान, सारनाथ, वाराणसी के आवासीय परिसर में बिजली की व्यवस्था न करने के कारण अनशन

67--श्री सूर्य प्रताप शाही--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद वाराणसी के सारनाथ में तिब्बती उच्च शिक्षा संस्थान के निदेशक जिन्हें केन्द्र सरकार ने कुलपति का दर्जा देते हुए पूर्वोक्त संस्थान को विश्वविद्यालय का स्तर प्रदान किया है, के आवासीय परिसर में बिजली सुलभ कराने तथा ट्रान्सफार्मर के लिए आवेदन-पत्र देते हुए आवश्यक धनराशि जमा कर दिया था . क्या यह सत्य है कि उक्त संस्थान में ट्रान्सफार्मर और बिजली सुलभ न कराने के कारण अगस्त, 1988 के अन्तिम पखवारे में अनशन करना पड़ा . क्या सरकार ने ऐसे शीर्ष व्यक्ति को अनशन पर बैठने के कारणों की जांच करते हुए दोषी विद्युत् विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो क्या यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

जी हां, तिब्बती उच्च शिक्षा संस्थान सारनाथ वाराणसी के आवासीय परिसर में 150 किलोवाट विद्युत् भार सुलभ कराने हेतु दिनांक 4 सितम्बर, 1987 को उक्त

संस्थान द्वारा आवश्यक धनराशि जमा की गई थी। निकटस्थ ट्रांसफार्मर के इस भार को सहन करने की स्थिति में न होने के कारण 250 के0 वी0 ए0 11/0·4 के0 वी0 के नये ट्रांसफार्मर की आवश्यकता थी। यह ट्रांसफार्मर 26 अगस्त, 1988 को उपलब्ध होते ही अगले दिन दिनांक (27 अगस्त, 1988) को कनेक्शन चालू कर दिया गया।

उक्त संस्थान के प्राचार्य प्रोफेसर एस0 रिनपोछ अनशन पर बैठे थे किन्तु इसकी सूचना प्राप्त होने पर विद्युत् विभाग के अधिकारी से वार्ता के उपरान्त उन्होंने यह अनशन समाप्त कर दिया।

उपरोक्त परिस्थितियों में इस विलम्ब के लिए कोई अधिकारी या कर्मचारी दोषी नहीं है।

निजी फीडर हेतु उद्योग विभाग, गाजीपुर द्वारा धन जमा करना

69—श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)—

क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के नन्दगंज औद्योगिक आस्थान के निजी फीडर हेतु उद्योग विभाग, गाजीपुर द्वारा धन जमा किया गया है? यदि हां, तो कब और कितना? उक्त फीडर लगाने हेतु क्या कार्यवाही की गई?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जी हां। नन्दगंज औद्योगिक आस्थान के निजी फीडर हेतु उद्योग विभाग, गाजीपुर द्वारा 4,88,808 रु0 मार्च, 1984 में जमा हुआ है। उक्त फीडर लगाने हेतु रेलवे क्रासिंग के सम्बन्ध में रेलवे विभाग से विचार-विमर्श करके नये सिरे से भूमिगत केबुल लगाने हेतु सर्वेक्षण कार्य कराया जा रहा है। वैसे इस आस्थान को 630 के0 वी0 ए0 की क्षमता का नया ट्रान्सफार्मर लगाकर अप्रैल, 1984 में ही ऊर्जीकृत कर दिया गया था।

विकास खण्ड हरिगटनगंज, फैजाबाद में बन्द नलकूपों के कारण किसानों की क्षति

69—श्री मिश्रसेन—

क्या सिंचाई मन्त्री को जानकारी है कि विकास खण्ड हरिगटनगंज, फैजाबाद में जनवरी, 1988 से जुलाई, 1988 तक कौन-कौन से राजकीय नलकूप कितने दिनों तक बन्द रहे? बन्द होने के क्या-क्या कारण थे? उसके लिये कौन दोषी है? प्रशासनिक तौर पर कितनों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई? बन्द नलकूपों के कारण किसानों की हुई क्षति के सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही तथा किस प्रकार की राहत देने पर विचार कर रही है?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

विकास खण्ड हरिगटनगंज, फैजाबाद में जनवरी, 1988 से जुलाई, 1988 तक संलग्न सूची के अनुसार 14 नलकूप यांत्रिक दोष से एवं 14 नलकूप विद्युत् दोष के कारण बन्द हुये इसमें से सभी नलकूप चालू स्थिति में हैं।

कारण संलग्न सूची में अंकित हैं। दोष अवर अभियन्ताओं को सचेत कर दिया गया है तथा सेक्शन मिस्त्रियों की निन्दा प्रविष्टि कर दी गई है।

कृषकों से क्षति के बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। अतएवं कोई कार्यवाही किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 128, 129, 130, 131 पर।)

ऊर्जा विभाग द्वारा अवर अभियन्ताओं के स्थानान्तरण

70—श्री अकबर हुसैन बाबर—

क्या ऊर्जा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि मुख्य अभियन्ता जल विद्युत द्वारा वर्ष 1988 के माह मई, जून, जुलाई में कुल कितने अवर अभियन्ताओं के स्थानान्तरण किये गये ? कितने स्थानान्तरण निरस्त या स्थगित कर दिये गये ? उनका क्या आधार था ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

वर्ष 1088 के माह मई, जून एवं जुलाई में कुल 949 अवर अभियन्ताओं के स्थानान्तरण आदेश किये गये।

कुल 567 स्थानान्तरण आदेश निरस्त/स्थगित किये गये।

स्थानान्तरण आदेश निरस्त/स्थगित किये जाने का मुख्य आधार उनके बच्चों की शिक्षा का मध्य सत्र होने के कारण, विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी होने के कारण, अवर अभियन्ताओं के प्रार्थना पर उनकी विषम परिस्थितियों को ध्यान में रखना है।

बस्ती में कार्यरत विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय अवर अभियन्ता पर 25 लाख रुपये के गबन का आरोप

71—श्री अकबर हुसैन बाबर—

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय बस्ती में कार्यरत अवर अभियन्ता हरीश चन्द्र श्रीवास्तव ने बिना ग्रामीण विद्युतीकरण किये 18 ग्रामों का विद्युतीकरण दिखा कर पचीस लाख रुपये का आहरण किया है ? क्या मन्त्री जी इस अवर अभियन्ता के कार्यकाल में विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय बस्ती द्वारा वर्ष 1984-85, 1985-86 1986-87 के विद्युतीकृत ग्रामों की सूची तथा मेजरमेन्ट के आधार पर व्यय धन व विभागीय सामानों का स्थल परीक्षण करवाने का आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जी नहीं।

प्रश्नगत अवर अभियन्ता द्वारा वर्ष 1984-85, 1985-86, 1986-87 के दौरान वर्षवार विद्युतीकृत ग्रामों की सूची एवं उन पर किये गये व्यय की राशि निम्नवत् है।

क्रम-सं0	वर्ष	विद्युतीकृत ग्रामों का नाम	व्यय की कुल धनराशि
1	2	3	4
1	1984-85 5 गांव	कुदारनबखारन मरमा गौरार मिठबल खुर्द बरगदवा	3,04,101·00
2	1985-86 11 गांव	सकराइचा जैराम पट्टी प्रसादीपुर बरौली पखिरया बंडाड बेलवा भरवटिया सनिचरा चकमहुआ जोग राजा	4,21,728·00
3	1986-87 2 गांव	फरेनियम मोलनापुर	49,977·00
		कुल योग 18 गांव ..	7,75,806·00

विभागीय सामानों का स्थल निरीक्षण कराया जा चुका है।

जनपद हमीरपुर के राठ तहसील के ग्राम पुरैनी परेछा में सिंचाई सुविधा

72—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हमीरपुर के राठ तहसील के ग्राम पुरैनी परेछा तथा मौजा निबोली की सिंचाई सुविधा के लिये नाला-मेरा-नाला से लिफ्ट व्यवस्था करके पुरैनी राजबहा में पानी डाल कर सिंचाई व्यवस्था की जायेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी नहीं।

जनपद हमीरपुर में प्रश्नगत ग्रामों के निकट भैरो नाला स्थित है। प्रश्नगत ग्रामों की सिंचाई वर्तमान में धसान नहर प्रणाली के पुरैनी राजबहा से की जाती है। पुरैनी राजबहा में जल आवश्यकतानुसार उपलब्ध न होने के कारण सिंचाई में अपेक्षित वृद्धि नहीं हो रही है।

भैरो नाला एक बरसाती नाला है और हर मौसम में विशेष रूप से रबी में इसमें पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं रहता है जिसके कारण इस नाले से किसी लिफ्ट योजना का प्रस्ताव करना सम्भव नहीं है।

मेहदावल विकास खण्ड, जनपद बस्ती के गांवों में विद्युतीकरण

73—श्री अफसर यू० अहमद—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेहदावल विकास खण्ड, जनपद बस्ती में कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया है और कितने गांव अवशेष हैं और क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

विकास खण्ड मेहदावल जनपद बस्ती में माह दिसम्बर, 1988 तक निम्नलिखित ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया है :—

एल० टी० मेन्स बिछाकर—55 ग्राम।

अवशेष ग्रामों की संख्या—174 है।

ग्रामों का विद्युतीकरण संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार व निर्धारित लक्ष्यों के अन्तर्गत किया जाता है।

बस्ती जनपद में विद्युतीकरण के वार्षिक लक्ष्य को बढ़ाया जाना

74—श्री अफसर यू० अहमद—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद में अभी ऐसे कितने गांव हैं जिनका विद्युतीकरण नहीं किया गया है ? क्या यह सही है कि शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार एक वर्ष में जिले में 100 या 103 गांवों का विद्युतीकरण होता है ? इस प्रकार बस्ती जनपद में गांवों का विद्युतीकरण अब से कितने वर्षों में पूरा हो जायेगा ? क्या सरकार बीसवीं सदी के अन्त तक समस्त ग्रामों का विद्युतीकरण किये जाने हेतु बस्ती जनपद के ग्रामों के विद्युतीकरण के वार्षिक लक्ष्य को बढ़ाने का कष्ट करेगी ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

31 दिसम्बर, 1988 की स्थिति के अनुसार बस्ती जनपद में एल0 टी0 लाइन बिछाकर 5490 ग्रामों का विद्युतीकरण शेष है।

वर्ष 1986–87 से 1988–89 तक जनपद में ग्रामों के विद्युतीकरण का लक्ष्य एवं उपलब्धि निम्नवत् रही है :—

वर्ष	एल0 टी0 लाइन बिछाकर	
	लक्ष्य	उपलब्धि
1986–87	125	116
1987–88	90	90
1988–89	76	48 (12/88 तक)

विद्युतीकरण संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

जनपद बिजनौर में विद्युत् के तार से मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता

75—श्री कौशिक रमाशंकर—

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि 18 फरवरी, 1988 को जनपद बिजनौर के अन्तर्गत ग्राम फीना में विद्युत् तार टूट जाने से श्री राम पाल सिंह पुत्र श्री मनोहर सिंह की मृत्यु हो गई ? यदि हां, तो मृतक के परिवार को विभाग ने आर्थिक सहायता प्रदान की ? यदि हां, तो कितनी ? यदि नहीं, तो लगभग एक वर्ष बीत जाने पर भी आर्थिक सहायता न दिये जाने का क्या कारण है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जी हां।

मृतक के परिवार को रुपये एक हजार की अन्तरिम अनुग्रह धनराशि स्वीकृत करके भुगतान हेतु भेज दी गयी है।

अनुग्रह धनराशि की स्वीकृति क्षेत्रीय समिति की संस्तुति तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस पंचनामा आदि के प्राप्त होने पर की जाती है, जो अभी परिषद् में प्रतीक्षित है।

विद्युत् विभाग द्वारा सदर गोला बाजार के लखनऊ कल्लूमल चौराहे पर ट्रान्सफार्मर की स्वीकृति

76—कुं0 मानवेन्द्र सिंह—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सदर गोला बाजार लखनऊ के कल्लूमल चौराहे पर नया ट्रान्सफार्मर लगाने की स्वीकृति बिजली विभाग द्वारा दी गयी

थी ? यदि हां, तो कब और अभी तक ट्रान्सफार्मर न लगाये जाने के क्या कारण हैं ? स्वीकृत किया गया धन एवं सामान का क्या हुआ ? क्या यह सही है कि ट्रान्सफार्मर लगवाने में स्थानीय लोगों द्वारा व्यवधान उत्पन्न किया गया था ? यदि हां, तो क्या सरकारी कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने के आरोप में उनके विरुद्ध पुलिस में मुकदमा कायम करवाया गया ? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

सदर गोला बाजार, लखनऊ के कल्लूमल चौराहे पर क्या ट्रान्सफार्मर लगाने हेतु विद्युत् विभाग द्वारा कोई भी स्वीकृति नहीं दी गयी ?

प्रश्न नहीं उठता ।

कोई प्रस्ताव न होने के कारण ट्रान्सफार्मर नहीं लगा है । शेष प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोण्डा के ग्राम सभा रनियापुर में ट्रान्सफार्मर लगाकर विद्युतीकरण

77--श्री फसीउर्रहमान (उर्फ मुन्नन खां)--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण विद्युतीकरण में जनपद गोण्डा में विकास खण्ड, गैसड़ी के ग्राम सभा रनियापुर में वर्ष 1985-86 में खम्भे गाड़े गये थे ? यदि हां, तो खम्भों पर तार खींचने व ट्रान्सफार्मर की व्यवस्था न किये जाने का क्या कारण है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

जी हां ।

वर्ष 1985-86 में ही तार खींचकर तथा ट्रान्सफार्मर लगाकर ग्राम का विद्युतीकरण कर दिया गया था ।

सिंचाई विभाग के विधि सहायकों को कम वेतन दिये जाने का औचित्य

78--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश सं0 123/ए/आई0 ए0, दिनांक 15 अप्रैल, 1969 द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग व सिंचाई विभाग के विधि सहायकों के कार्य एवं उत्तरदायित्व तथा वेतन समान रूप से निर्धारित किए गए थे ? यदि हां, तो सिंचाई विभाग के विधि सहायकों को कम वेतनमान क्यों दिया जा रहा है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जी हां । शासनादेश दिनांक 15 अप्रैल, 1969 में यह उल्लेख है कि सिंचाई विभाग के विधि सहायक की शैक्षिक व अन्य अर्हतायें वही होंगी जो कि सार्वजनिक निर्माण विभाग में विधि सहायक के पद के लिये शासन द्वारा निर्धारित है तथा यह प्रकोष्ठ वही कार्य करेगा जैसा कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के प्रकोष्ठ द्वारा मुख्य अभियन्ता के कार्यालय स्तर पर किया जा रहा है । समान वेतन का उल्लेख शासनादेश में नहीं है । सिंचाई विभाग के विधि सहायकों को शासन द्वारा स्वीकृत वेतन दिया जा रहा है ।

79—श्री मंगेजन सिंह—

[4थे सोमवार में अता0 प्र0 सं0 164 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

सिंचाई विभाग द्वारा देवरिया जनपद में नहरों, ड्रेनों की खुदाई और सफाई में हुई प्रगति

80—श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन का देवरिया जनपद में ग्राम ओलीपट्टी व वलीपट्टी माइनर की खुदाई एवं सेकलुई ड्रेन की खुदाई व सफाई कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 28 सितम्बर, 1987 प्राप्त हुआ था जिसे मुख्य अभियन्ता, गण्डक सिंचाई विभाग, उ0 प्र0, गोरखपुर को आवश्यक कार्यवाही एवं आख्या हेतु निर्देशित किया गया था ? यदि हां, तो उन नहरों एवं ड्रेनों की खुदाई और सफाई में अब तक क्या प्रगति हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या जनहित में सरकार अविलम्ब इस कार्य को ही सम्पादित कराने का निर्देश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हां ।

ग्राम ओलीपट्टी, जो वल्लीपट्टी के टेल पर स्थित है, में वल्लीपट्टी माइनर की सफाई करा दी गई है । जहां तक सेकलुई (सेखुई) ड्रेन की सफाई का प्रश्न है, इसकी सफाई का कार्य जून, 1989 तक कराया जाना प्रस्तावित है ।

81—श्री सूर्य प्रताप शाही—

[3रे शुक्रवार में अता0 प्र0 सं0 147 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

बांदा जनपद के ब्लाक महुवा तथा नरैनी में जल भराव के निकास का उपाय

82—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्रांक ए/75/सि0/87, दिनांक 29 अक्तूबर, 1987 बांदा जनपद के ब्लाक महुवा तथा नरैनी में जल भराव के कारण फसल के सड़ने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो जल निकास के कौन-कौन उपाय शासन द्वारा किये गये ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हां ।

प्रश्नगत क्षेत्र में जल निकासी हेतु अभी कोई योजना प्रस्तावित नहीं है । इस सम्बन्ध में विस्तृत सर्वेक्षण के पश्चात् यदि उपयुक्त हुआ तो प्रस्ताव बनाये जायेंगे ।

83—श्री अकबर हुसैन बाबर—

[दिनांक 15 फरवरी, 1989 को अता0 प्र0 सं0 72 द्वारा उत्तरित]

जनपद गाजीपुर को उद्योग शून्य क्षेत्र घोषित करना

84—श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)—

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर को उद्योग के क्षेत्र में शून्य घोषित कर तदनुसार सुविधा देंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी नहीं । शून्य उद्योग जनपद घोषित करने की कार्यवाही भारत सरकार द्वारा की जाती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गाजीपुर में चार वृहत् एवं मध्यम उद्योग तथा 2427 लघु स्तरीय इकाइयां पहले से स्थापित हैं ।

खन्ना की किताबें बांदा मुख्यालय के बजाय करबी मऊ द्वारा जारी करने पर रोक

85—श्री राम सजीवन—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले की करबी, मऊ तहसीलों में पत्थर की खादानों की निवासी सम्बन्धित खन्ना की किताबें खनन विभाग तहसील करबी मऊ द्वारा जारी करने पर रोक लगा दी गयी है ? खन्ना की किताबें बांदा मुख्यालय के बजाय करबी मऊ तहसीलों के मुख्यालय से जारी करने में क्या कठिनाई है ? जनसुविधा के दृष्टिकोण से क्या खन्ना की किताबें करबी—मऊ तहसीलों से जारी करने की पुरानी व्यवस्था लागू किया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां ।

खन्ना की किताबें बांदा मुख्यालय के बजाय करबी मऊ तहसीलों के मुख्यालय से जारी होने के कारण इन तहसीलों से प्राप्त खनिज आय (रायल्टी) की अद्यावधिक स्थिति बांदा मुख्यालय में नहीं रह पाती थी जिससे राजस्व की क्षति के साथ पट्टेदारों पर मुख्यालय का सीधा नियन्त्रण न रह पाने की कठिनायी है । जी नहीं । क्योंकि इससे खनन पट्टेदारों पर मुख्यालय का सीधा नियन्त्रण एवं खनिज आय की अद्यावधिक स्थिति नहीं रहती है ।

क्योंकि जनपद के समस्त तहसीलों के सम्बन्धित अधिकारियों से विचार—विमर्श के बाद समुचित विचारोपरान्त ही जिलाधिकारी द्वारा जिला मुख्यालय से खन्ना की किताबें राजस्व हित तथा खनन पट्टेदारों पर सीधा नियन्त्रण रखने के उद्देश्य से निर्गत करने का निर्णय लिया गया । निर्णय के फलस्वरूप विगत वर्षों की तुलना में 65 प्रतिशत राजस्व में वृद्धि हुयी है ।

जनपद बस्ती के ग्राम सोनहटी निवासी के चक में लगे ट्यूबवेल के लिये ली गयी भूमि के मुआवजे का भुगतान

86—डा0 बंगाली सिंह—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1988 के प्रथम बुधवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं0 21 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सिंचाई मन्त्री को जानकारी है कि ग्राम

सोनहटी खुर्द, तहसील व जनपद बस्ती के निवासी श्री सुशील चन्द्र श्रीवास्तव के चक में लगे ट्यूबवेल के लिये ली गयी भूमि के मुआवजे का भुगतान अभी तक नहीं किया गया ? यदि हां, तो अब तक मुआवजा न दिये जाने का दायित्व किस पर है और मुआवजे का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री लोक पति त्रिपाठी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

सिंचाई विभाग द्वारा उन्नाव जिले के लिये स्टेट ट्यूबवेल स्वीकृत होना

7--हृदय नारायन दीक्षित--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1987-88 और 1988-89 में उन्नाव जिले के लिये कितने स्टेट ट्यूबवेल स्वीकृत हुये हैं और कहां-कहां लगाये गये हैं या लगाये जा रहे हैं । स्थान चयन किन अधिकारियों ने किया है ? स्थान चयन में कौन से मानक अपनाये गये हैं ? क्या स्थान चयन के लिये कोई समिति है ? यदि हां, तो बिना समिति के अनुमोदन ही स्थान क्यों तय किये गये ?

श्री लोक पति त्रिपाठी--

उन्नाव जिले के लिये वर्ष 1987-88 में दो नग और वर्ष 1988-89 में दो नग ट्यूबवेल स्वीकृत हुये हैं ।

वर्ष 1987-88 में उन्नाव जिले के विकास खंड औरास के ग्राम पंचम खेड़ा व विकास खंड गंजमुरादाबाद के ग्राम कंथोली में तथा वर्ष 1988-89 में विकास खंड गंजमुरादाबाद के ग्राम मुस्तफाबाद तथा विकास खंड सिकन्दरपुर सिरौसी के ग्राम बनी में नलकूप लगाये गये हैं ।

वर्ष 1987-88 में ग्राम पंचम खेड़ा में ट्यूबवेल लगाने हेतु स्थान चयन माननीय सांसद श्री जगन्नाथ प्रसाद एवं ग्राम कंथोली में ट्यूबवेल लगाने हेतु स्थान का चयन माननीय सांसद श्री जियाउर्रहमान अन्सारी द्वारा तथा वर्ष 1988-89 में विकास खंड गंजमुरादाबाद के ग्राम मुस्तफाबाद में माननीय श्री अन्सारी जी के निर्धारित कोटे में किया गया है । विकास खंड सिकन्दरपुर सिरौसी के ग्राम बनी में ट्यूबवेल का निर्माण जिलाधिकारी, उन्नाव के आदेशानुसार किया गया है ।

विकास खंड सिकन्दरपुर सिरौसी के ग्राम बनी को छोड़कर अन्य तीनो हेतु स्थान चयन में शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6758-टी/85-23-सि-5-86 टी0 डब्लू/72, दिनांक 9 दिसम्बर, 1985 तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या-6760 टी/85-23-सि-5-86 टी0 डब्लू/72, दिनांक 9 दिसम्बर, 1985 में निर्देशित मानक अपनाये गये हैं ।

जी हां, सिंचाई सलाहकार समिति ।

उपरोक्त शासनादेशों के परिप्रेक्ष्य में समिति का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक नहीं है । विकास खंड सिकन्दरपुर सिरौसी के ग्राम बनी को आदर्श ग्राम के रूप में चयन के फलस्वरूप लगाया गया है ।

जनपद उन्नाव में पानी न पहुंचने वाले क्षेत्रफल को कमाण्ड एरिया से निकालना

88--श्री हृदय नरायन दीक्षित--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जनपद में प्रश्नकर्ता के क्षेत्र में नहरों के कमाण्ड में आने वाला कुल क्षेत्रफल कितना है ? इसमें से कितना क्षेत्रफल ऐसा

है जिसमें 1986-87 व 1987-88 में पानी नहीं गया है ? वर्ष 1986-87 व 1987-88 में पानी न पहुंचने के क्या कारण हैं ? क्या 5 साल से अधिक पानी न पहुंच पाने वाले क्षेत्रफल को कमाण्ड एरिया से निकाले जाने पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री लोक पति त्रिपाठी—

उन्नाव जनपद में प्रश्नकर्ता के क्षेत्र में नहरों द्वारा पोषित कुल कमाण्ड एरिया 32733 हेक्टेयर है। खरीफ तथा रबी में कुल 16088 हे0 क्षेत्र में सींच प्रस्तावित है।

नहरों से सिंचाई किये जाने वाले खरीफ एवं रबी के कुल प्रस्तावित क्षेत्र में से 14129 हेक्टेयर क्षेत्र में वर्ष 1986-87 । एवं 10731 हेक्टेयर क्षेत्र म वर्ष 1987-88 में सींच की गई है तथा शेष क्षेत्र में पानी नहीं गया है।

पुरवा शाखा एवं मौरावा राजबहा क्षेत्र जिससे प्रश्नकर्ता के क्षेत्र में सींच होती है, शारदा नहर प्रणाली के अन्तिम छोर पर होने के कारण इस क्षेत्र की नहरों पर जल की कमी रहना स्वाभाविक है। वर्ष 1986-87 में यद्यपि वास्तविक सींच प्रस्तावित से कम थी फिर भी इस वर्ष इस क्षेत्र में अधिकतम सीच दर्ज हुई। वर्ष 1987-88 में उक्त कारणों के अतिरिक्त अत्यन्त सूखे का वर्ष होने के कारण नदी में पानी की कमी रही है जिससे शारदा नहर के पूर्ण क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी कम उपलब्ध हुआ है।

जी नहीं।

89—श्री फसीउर्रहमान उर्फ मुन्नन खां—

[3रे सोमवार में अता0 प्र0 सं0 181 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

बलिया शहर के पास कदम दूबहर मार्ग का निर्माण

90—श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

क्या सिंचाई मंत्री को इस बात की जानकारी है कि बलिया जनपद में बलिया शहर के पास कदम दूबहर मार्ग का निर्माण अनेक वर्षों से हो रहा है ? उसके अब तक पूर्ण न होने के क्या कारण हैं ? क्या जनहित में आगामी वर्षा के पूर्व इसे पूण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोक पति त्रिपाठी—

जी हां।

बलिया शहर के पास कदम दूबहर मार्ग का निर्माण, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत वर्ष 1984-85 में आरम्भ हुआ था जो उच्चतम बाढ़ स्तर तक पूर्ण हो चुका है। अब इस पर कोई और कार्य किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

उच्चतम बाढ़ स्तर के ऊपर ऊंचा करने का प्रस्ताव टी0 ए0 सी0 द्वारा मार्च, 1988 में अस्वीकार किये जाने के फलस्वरूप शेष कार्य पूर्ण कराने का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देवरिया में ग्रामीण विद्युतीकरण का लक्ष्य

91—श्री बालेश्वर—

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जनपद में अब तक कितने प्रतिशत ग्रामीण विद्युतीकरण हुआ है ? क्या यह सत्य है कि मण्डल के अन्य जिलों की अपेक्षा जनपद में ग्रामीण विद्युतीकरण कम हुआ है तथा जिस गांव से विद्युत लाइन चली गयी है, उसे भी विद्युतीकरण में मान लिया गया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या मंत्री जी देवरिया जनपद के विद्युतीकरण का लक्ष्य आजमगढ़ (मऊ) के बराबर करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

माह दिसम्बर, 1988 तक देवरिया जनपद में 3538 आबाद ग्रामों में एल0 टी0 लाइन बिछाकर 1442 ग्रामों का विद्युतीकरण हुआ है जो 40.8 प्रतिशत है ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

गांवों का विद्युतीकरण जिला सलाहकार समिति के चयन एवं प्राप्त संसाधन पर निर्भर है ।

ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु आजमगढ़, गोरखपुर तथा देवरिया को सामान दिया जाना

92—श्री बालेश्वर—

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मार्च, 1988 से दिसम्बर, 1988 तक ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु कितना सामान आजमगढ़ (मऊ) को तथा गोरखपुर और देवरिया को ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु दिया गया है ? क्या यह सत्य है कि गोरखपुर और देवरिया से सामान उठाकर मऊ घोसी को भेजे जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

सूची संलग्न है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिए नत्थी "ङ" आगे पृष्ठ..132 पर)

सिंचाई खण्ड, लखनऊ में मिट्टी के कार्य तथा नहर की पटरियों को चौड़ा करना

93—श्री शारदा प्रताप—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि सिंचाई खण्ड, लखनऊ में वर्ष 1986 से वर्ष दिसम्बर, 1988 तक मिट्टी के कार्य एवं नहर की पटरियों को चौड़ा करने आदि के कार्य की माप क्रास सेक्सन से न करके स्टैक माप से की गयी ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह भी सही है कि सिंचाई खण्ड लखनऊ में वर्ष 1986 से वर्ष 1988 तक लाइनिंग

के कार्य के करोड़ों रुपये से अनुबन्ध सिंगिल निविदा पर विभागीय दर से अधिक दरों पर दिये गये ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

सिंचाई खण्ड, लखनऊ में आवश्यकतानुसार मस्टर रोल पर श्रमिकों को रखा जाना

94—श्री शारदा प्रताप—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई खण्ड, लखनऊ में सहायक अभियन्ता द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ के द्वारा पोषक नहर पर वर्ष 1986 से वर्ष 31 दिसम्बर, 1988 तक मस्टर रोल पर कितने व्यक्ति लगाये गये और उन पर कितना धन खर्च किया गया ? उक्त अवधि में मस्टर रोल द्वारा क्या-क्या कार्य कराये गये ? इतनी अधिक मात्रा में मस्टर रोल पर कर्मचारियों को रखने की आवश्यकता क्या थी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

सिंचाई खंड, लखनऊ में सहायक अभियन्ता द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ द्वारा वर्ष 1986 से 31 दिसम्बर, 1988 तक मस्टर रोल पर औसतन प्रतिदिन 72 व्यक्ति लगाये गये जिसमें कुल 78,588 मानव दिवस कार्य हुआ और उन पर कुल रु0 9,43,057 खर्च किया गया । उक्त अवधि में मस्टर रोल पर लगाये गये श्रमिकों को मुख्य शारदा सहायक पोषक नहर की देख-रेख मुख्य रूप से संवेदनशील ऊसर भागों में, नहर बंकों की मरम्मत, जंगल सफाई, भंडार गृहों की चौकीदारी तथा गेज लाने ले जाने के कार्यों पर लगाया गया । इन उपखंडों के कार्यक्षेत्र में पोषक नहर का 51·5 कि0 मी0 भाग है । इस विशाल क्षमता वाली नहर की देख-रेख तथा उसके सुचारु रूप से संचालन हेतु आवश्यकतानुसार श्रमिकों को रखा गया है ।

जनपद गोंडा के विकास खण्ड गुजाहमा का पच्चासी ग्रामों वाली ग्राम सभा उज्जैनी कला में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

95—श्री कसीउर्रहमान उर्फ मुन्नन खां—

क्या ऊर्जा मन्त्री को जानकारी है कि जनपद गोंडा के विकास खंड गुजाहमा का पच्चासी ग्रामों वाली ग्राम सभा उज्जैनी कला को ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में वर्ष 1986-87 से अभिलेखों में विद्युतीकरण दर्शाया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या ग्राम में बिजली के खम्भे तार, ट्रान्सफार्मर लगाकर बिजली जलाने की व्यवस्था कर दी गयी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह —

जी हां ।

यह ग्राम केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण की परिभाषा के अनुसार वर्ष 1985-86 से विद्युतीकृत है ।

जी नहीं ।

एल0 टी0 मेन्स द्वारा इस ग्राम का अभी विद्युतीकरण नहीं हुआ है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला विद्युत् सलाहकार समिति द्वारा ग्राम का चयन न होने के कारण ।

उन्नाव जिले के चिरंया नाला पर लखनऊ–कानपुर रोड के पुल के नीचे नाले के कारण आवागमन बाधित रहना

96––श्री हृदय नरायन दीक्षित––

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि उन्नाव जिले के चिरंया नाला पर लखनऊ–कानपुर रोड के पुल के नीचे करीब 5 कि0 मी0 दूरी पर स्थित सहरावा बेगम–खेड़ा दरियार खेड़ा, असरी खेड़ा, काशीपुर, बीकामऊ आदि दर्जनों गांवों की एक लाख जनता को राजधानी लखनऊ आने, पुलिस स्टेशन, सोहरामऊ तथा उन्नाव जिला केन्द्र तक पहुंचने के लिए नाले के कारण आवागमन बाधित रहता है तथा बारिश के 5 माह तक इस मार्ग से आवागमन बिल्कुल बन्द हो जाता है ? यदि हां, तो उक्त नाले पर क्या सिंचाई विभाग पुल बनाने पर विचार कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी––

ऐसी स्थिति नहीं है । चिरंया नाला पर कानपुर–लखनऊ रोड पर पुल के नीचे मात्र 3–9 कि0 मी0 की दूरी पर सद्दी खेड़ा का पुल है । इसके अतिरिक्त अन्य सम्पर्क मार्ग तथा निर्माणाधीन सड़कों से आवागमन सम्भव रहता है ।

ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

माननीय सदस्य द्वारा इंगित स्थल से एक ओर 1·5 कि0 मी0 तथा दूसरी ओर 2·4 कि0 मी0 की दूरी पर पुल बने हुये हैं एवं इससे अधिक नजदीक पुल बनाये जाने का औचित्य नहीं है ।

विद्युत् वितरण खंड उन्नाव के अन्तर्गत दुर्घटनाग्रस्त विभागीय कर्मचारियों के आश्रितों को क्षतिपूर्ति

97––श्री हृदय नरायन दीक्षित––

क्या ऊर्जा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि विद्युत् वितरण खण्ड उन्नाव के अन्तर्गत कितने विभागीय कर्मचारी वर्ष 1975 के बाद से अब तक विद्युत् दुर्घटना के शिकार हो चुके हैं और इनमें से कितनों के आश्रितों को मुआवजा, पेंशन, ग्रेच्युटी व सामूहिक बीमा की धनराशि का भुगतान किया जा चुका है ? क्या यह सच है कि बहुत से भुगतान अभी शेष हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह––

प्रश्नगत अवधि में 6 कर्मचारियों की घातक दुर्घटना हुई । घातक दुर्घटना से सम्बन्धित कर्मचारियों के आश्रितों के दावों का भुगतान किया जा चुका है, केवल श्री छोटे लाल, पेट्रोलमैन जिनकी घातक दुर्घटना दिनांक 8 फरवरी, 1985 को घटित हुई थी, अभी क्षतिपूर्ति नहीं हुई है । सम्बन्धित कर्मकार आयुक्त के पास आश्रितों को क्षतिपूर्ति वितरित करने हेतु धनराशि जमा करने के आदेश दे दिए गए हैं । विलम्ब के लिए दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही के भी आदेश दे दिए गये हैं ।

ग्राम सभा चन्दनी, जिला फर्रुखाबाद का विद्युतीकरण किये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त-पत्र पर कार्यवाही

98---श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी---

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें मा0 ग्राम्य विकास मंत्री को सम्बोधित ग्राम सभा चन्दनी, जनपद फर्रुखाबाद में विद्युतीकरण किये जाने के सम्बन्ध में कोई प्रार्थना-पत्र मा0 सदस्य, विधान सभा, कन्नौज की सबल संस्तुति सहित जून, 1988 में प्राप्त हुआ यदि हां, तो इस पर अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो इसे कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह---

पत्र उपलब्ध नहीं है ।

ग्राम सभा चन्दनी का विद्युतीकरण जिला सलाहकार समिति के द्वारा चयन किए जाने पर निर्भर है ।

99---श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी---

[3रे सोमवार में अता0 प्र0 सं0 162 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

फैजाबाद में इण्डो-डच नलकूप परियोजना के अन्तर्गत कलस्टर लगाने के सम्बन्ध में प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

100---श्री मित्रसेन---

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का कोई पत्र विधान सभा क्षेत्र मिल्कीपुर, फैजाबाद में इन्डोडच परियोजना के अन्तर्गत कम से कम दो कलस्टर नलकूप बनाने विषयक दिनांक 8 जुलाई, 1988 का प्राप्त हुआ है जो सचिव, सिंचाई को सम्बोधित था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में श्री लक्ष्मी नारायण कुरील उपसचिव के अर्धशा0 पत्र सं0 569-टी0 एम/88-23-सिं0-5 लखनऊ, दिनांक 14 जुलाई, 1988 के सन्दर्भ में अब तक की गई कार्यवाही की प्रगति आख्या क्या है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी---

जी हां ।

उत्तर प्रदेश नलकूप निगम द्वारा प्रश्नगत क्षेत्र के प्रारम्भिक सर्वेक्षण के उपरान्त दी गई रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत क्षेत्र में इन्डोडच नलकूप परियोजना के मानक के अन्तर्गत कलस्टर लगाये जाने की संभावना प्रतीत नहीं होती है ।

उन्नाव जिले के असोहा ब्लाक केन्द्र पर प्रस्तावित पावर हाउस का निर्माण न किये जाने का कारण

101---श्री हृदय नरायन दीक्षित---

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि उन्नाव जिले के असोहा ब्लाक केन्द्र पर प्रस्तावित 33/11 के0 वी0 ए0 के पावर हाउस का निर्माण क्यों नहीं प्रारम्भ कराया जा रहा है ? समय पर कार्य प्रारम्भ न करने के दोषी लोगों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

उन्नाव जिले के असोहा ब्लाक केन्द्र पर प्रस्तावित 33/11 के0 वी0 सब-स्टेशन का निर्माण अभी आवश्यक नहीं है, इस कारण कार्य अभी प्रारम्भ नहीं किया गया है। इस क्षेत्र को विद्युत आपूर्ति हेतु एक 33/11 के0 वी0 सब स्टेशन पुरवा लगभग बनकर तैयार है और इसके चालू हो जाने से क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति काफी सुव्यवस्थित हो जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद में ग्राम बेवाना में विद्युत् उपकेन्द्र के निर्माण के सम्बन्ध में प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही

102--श्री अकबर हुसैन बाबर--

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र जो ग्राम बेवाना, जनपद फैजाबाद में एक विद्युत् सब-स्टेशन बनाने के सम्बन्ध में है और इसकी प्राप्ति की सूचना पत्र सं0 डी0 563/एम0/एम0 ई0/87, दिनांक 22 अप्रैल, 1987 तथा अर्द्ध शा0 प0 सं0-21 वी0 आई0 पी0-1/87, 23-2431/87, दिनांक 28 अप्रैल, 1987 द्वारा प्रश्नकर्ता को दी गई है ? उनमें अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? इस क्षेत्र में कनेक्शनों की संख्या क्या है और लाइन की लम्बाई क्या है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

जी हां। बेवाना में 33 के0 वी0 उपकेन्द्र के निर्माण हेतु सर्वेक्षण करा लिया गया है और वहां पर उपकेन्द्र के निर्माण की आवश्यकता पाई गई है। अगले वर्षों में सभी प्रस्तावित उपकेन्द्रों की वरीयता एवं संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर इस उपकेन्द्र का निर्माण आरम्भ कराया जा सकेगा। इस क्षेत्र में कनेक्शनों की सं0 514 है तथा लाइन की लम्बाई एच0 टी0 90 कि0 मी0 व एल0 टी0 95 कि0 मी0 है।

ग्राम मोहिद्दीनपुर, जनपद फैजाबाद में नहर की खुदाई सम्बन्धी पत्र पर कृत कार्यवाही

103--श्री अकबर हुसैन बाबर--

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 20 मई, 1988 जो ग्राम मोहिद्दीनपुर, जनपद फैजाबाद में नहर की खुदाई से सम्बन्धित था और जिसकी प्राप्ति की सूचना प्रश्नकर्ता को सं0 बी 986/88, दिनांक 27 मई, 1988 को दी गई है पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

माननीय विधायक के पत्र दिनांक 20 मई, 1988 में लक्ष्मनपुर माइनर जो ग्राम मोहिद्दीनपुर, जनपद फैजाबाद से जाती है की खुदाई करने का अनुरोध किया गया था। लक्ष्मनपुर माइनर 3.485 कि0 मी0 लम्बी है जिसमें से 2.4 कि0 मी0 लम्बाई में कार्य पूर्ण है। कृषकों के अवरोध के कारण शेष लम्बाई में कार्य प्रगति में कठिनाई हो रही है। विशेष प्रयास करके इस कार्य को माह अप्रैल/मई, 1989 में नहर के वार्षिक बन्दी के समय पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित है।

दाऊद नाला जनपद फैजाबाद के नाले की सफाई के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र पर कृत कार्यवाही

104—श्री अकबर हुसैन बाबर—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दाऊद नाला जनपद फैजाबाद के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 20 मई, 1988 जिसकी प्राप्ति की सूचना शासन ने बी0-986/88, दिनांक 27 मई, 1988 द्वारा दी है, की जांच में अब तक क्या प्रगति हुयी है ? नाले की सफाई का कार्य कब तक आरम्भ होगा ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हां ।

दाऊदपुर नाले के पुनरोद्धार हेतु स्थल की जांच करके सम्बन्धित अनुमोदित किया जा चुका है । नाले के पुनरोद्धार का कार्य माह अप्रैल, 1989 में प्रारम्भ किया जायेगा तथा वर्षा से पूर्व पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है ।

ग्राम बबुआ जनपद फैजाबाद में नहर पर पुलिया तथा कुलावा बनाने के सम्बन्ध में प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही

105—श्री अकबर हुसैन बाबर—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 19 मई, 1988 जिसकी प्राप्ति की सूचना पी-990/88, दिनांक 27 मई, 1988 द्वारा दी गयी है, जो ग्राम बबुआ, जनपद फैजाबाद में नहर पर पुलिया और कुलावा बनाने के सम्बन्ध में है, पर क्या कार्यवाही की गई ?

माननीय विधायक का पत्र दिनांक 19 मई, 1988 जिसमें ग्राम बबुआ, जनपद सुल्तानपुर, ग्राम बबुआ, जनपद फैजाबाद नहीं, जिसमें नहर का कार्य पूर्ण कराकर पुलिया एवं कुलावों का निर्माण कराने का अनुरोध किया गया था, प्राप्त हुआ है बबुआ राजबहा 12,200 किमी0 लम्बा प्रस्तावित है जिसमें किमी0 8,950 तक कार्य पूर्ण हो चुका है शेष भाग में चकबन्दी का कार्यवाही प्रगति में होने के कारण निर्माण अभी पूर्ण नहीं हो सका है । नहर के किमी0 8,100 पर पुलिया का निर्माण जून, 1989 तक करने का प्रस्ताव है । चकबन्दी की कार्यवाही पूर्ण हो जाने के बाद नहर का निर्माण पूर्ण करके कुलाओं को व्यवस्थित कर दिया जायेगा ।

जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड पिपराइच पुल के रैम्प पर मिट्टी डलवाना

106—श्री सैयद जावेद अली सब्जपोश—

क्या सिंचाई मंत्री को यह जानकारी है कि जनपद गोरखपुर, विकास खण्ड पिपराइच में एक पुल जहबी नाले पर गढ़वा, पिपराइच, हरखापुर के बीच कई वर्षों से निर्माण होकर पड़ा हुआ है ? पुल के दोनों ओर रैम्प पर मिट्टी का कार्य न किये जाने जाने से आवागमन रुका हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार पुल के रैम्प पर तत्काल मिट्टी डलवायेगी ? यदि नहीं, तो पुल के निर्माण का क्या औचित्य है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जनपद गोरखपुर विकास खण्ड पिपराइच में पुल जहबी नाले पर नहीं बल्कि हरखापुर के किमी0 0.47 पर बना हुआ है पुल के दोनों ओर रैम्प पर मिट्टी का कार्य पूर्ण करा दिया गया है तथा पुल जनता के आवागमन हेतु उपलब्ध हो गया है ।

विकास खण्ड बिधूना, जनपद इटावा की विद्युत आपूर्ति में अनावश्यक व्यवधान

107—श्री औसान सिंह—

क्या ऊर्जा राज्य मंत्री को प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 26 सितम्बर, 1988 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, उक्त पत्र में वर्णित ग्रामों में निरन्तर विद्युत आपूर्ति सम्बन्धी क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? कब तक आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जायगी ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जी हां।

ग्राम पुर्वा पीताराम, विकास खण्ड बिधुना, जनपद इटावा की विद्युत आपूर्ति में जो व्यवधान होते हैं। उनका कारण मुख्यतः ग्राम रुहगंज के पास स्थित बूचड़खाना पर बड़ी-बड़ी चिड़ियों का लाइन से टकराना है । इन व्यवधानों को शीघ्र ठीक कर दिया जाता है । लाइन की शिफ्टिंग तकनीकी कारणों से व्यहारिक नहीं है । जिस लाइन का तार चोरी गया था, उसे ठीक करके चालू कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ऊर्जा विभाग द्वारा औरैया नगर की विद्युत समस्याओं विषयक ज्ञापन तथा कृत कार्यवाही

108—श्री औसान सिंह—

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के संस्तुति सहित पत्र दिनांक 26 सितम्बर, 1988 औरैया नगर की विद्युत समस्याओं से सम्बन्धित ज्ञापन प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जी हां, उसमें उल्लिखित समस्याओं के निवारणार्थ निम्न कदम उठाये गये हैं :

1—औरैया नगर की पुरानी लाईनों में सुधार किया जा रहा है । जिन स्थानों पर उच्च शक्ति के ट्रांसफार्मर की आवश्यकता है उन स्थानों पर उच्च शक्ति के ट्रांसफार्मर लगाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

2—सत्तेश्वर मोहाल हेतु स्थित पावर सब-स्टेशन पर 400 के0 वी0 ए0 का ट्रांसफार्मर जल गया था । उसके स्थान पर दूसरा 400 के0 वी0 ए0 का ट्रांसफार्मर लगा दिया गया है जिसके फलस्वरूप विद्युत आपूर्ति नियमित रूप से हो रही है । नगर की विद्युत वोल्टेज की कमी में भी काफी सुधार हुआ है ।

3—औरैया नगर के विद्युत उपभोगताओं की परेशानी व राजस्व हानि को ध्यान में रखकर अवैध रूप से कटिया डाल कर विद्युत चोरी को रोकने हेतु प्रभावी कार्यवाही की जा रही है ।

4—औरैया नगर के विद्युत उपभोक्ताओं के विद्युत बिलों की त्रुटियों को सुधारने हेतु ध्यान दिया जा रहा है तथा मीटर रीडिंग नियमित रूप से लेने की व्यवस्था की गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

फैजाबाद के अधिशासी अभियन्ता तथा सहायक अधिशासी अभियन्ता पर फिजूल खर्ची का आरोप

109—श्री मित्रसेन—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नलकूप खण्ड द्वितीय फैजाबाद के अधिशासी अभियन्ता तथा सहायक अधिशासी अभियन्ता ने मार्च, 1988 से 4 जनवरी, 1989 तक क्षेत्रीय दौरे पर कितना यात्रा भत्ता प्राप्त किया है और गाड़ी के डीजल पेट्रोल तथा मरम्मत में कुल कितना खर्च दिखाया है ? क्या यह सही है कि जिन नलकूपों के निरीक्षण के नाम पर मात्र भत्ता तथा गाड़ियों की मरम्मत और डीजल पेट्रोल का व्यय दिखाया गया है वह फर्जी एवं फिजूलखर्ची का है । क्या इसकी जांच कराकर कृषकों और प्रतिनिधियों से इसे सत्यापित कराने की कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोक पति त्रिपाठी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

नलकूप खण्ड प्रथम-द्वितीय, फैजाबाद में अधिक रेट पर सामान क्रय किया जाना

110—श्री मित्रसेन—

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि नलकूप खण्ड प्रथम-द्वितीय, फैजाबाद में माह अगस्त, 1988 से पूर्व वर्कशाप हेतु सामानों के सप्लाई अर्डर फैजाबाद की ही फर्मों से कम रेट पर लिए जाते रहे हैं और माह अगस्त, 1988 के बाद से वही सामान जैसे वारनिस टी0 एण्ड पी0 पाइप रिंच बियरिंग स्टार्टर पार्ट्स ब्लाक, स्पेयर किट, पी0वी0सी0 7/20 तार की जगह 7/22 आदि लखनऊ की आर0 के0 ट्रेडर कम्पनी से अधिक रेट पर लिए जा रहे हैं ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री लोक पति त्रिपाठी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

111—श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी—

[5वें बुधवार के लिए स्थगित ।]

वर्षाकाल में ब्रेक डाउन अधिक होने के कारण उन्नाव-मौरावां पावर हाउस में नियमित विद्युत् आपूर्ति न होना

112—श्री हृदय नारायन दीक्षित—

क्या ऊर्जा मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि माह जुलाई, अगस्त, 1988 में विधान सभा क्षेत्र पुरवा (उन्नाव) में स्थित पावर हाउस मौरावां में कुल कितने घन्टे विद्युत् आपूर्ति रही है ? इस अवधि में मौरावां पावर हाउस से कुल कितने घन्टे की विद्युत् आपूर्ति शासन के निर्देशों के अनुसार होनी चाहिये थी ? उक्त पावर हाउस से विद्युत् आपूर्ति नियमित न होने के मुख्य कारण क्या हैं और उन बाधाओं को दूर करने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है ? क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र ऊर्जा मंत्री को 4 अगस्त, 1988 को मिला है ? यदि हां, तो इसपर क्या कार्यवाही की गई ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

माह जुलाई, 1988 में कुल 516 घण्टे तथा माह अगस्त, 1988 में कुल 348 घण्टे विद्युत् आपूर्ति रही।

इस अवधि में निर्धारित 10 घण्टे प्रति दिन के अनुसार कुल 310 घण्टे प्रति माह विद्युत् आपूर्ति होनी चाहिये थी।

उक्त अवधि में आपूर्ति नियमित न होने का मुख्य कारण वर्षाकाल में ब्रेकडाउन अधिक होना था। इस पर प्राथमिकता से कार्यवाही करके आपूर्ति में सुधार की व्यवस्था की गई है।

प्रश्नगत पत्र उपलब्ध नहीं है।

ओल्ड टाउन सीतापुर में पक्का बाग व दुर्गापुरवा में ट्रांसफारमर लगाने की आवश्यकता

113—श्री बुनियाद हुसैन अंसारी—

क्या ऊर्जा मन्त्री को जानकारी है कि जनपद सीतापुर के ओल्ड टाउन सीतापुर में पक्का बाग दुर्गापुरवा में एक ट्रान्सफारमर लगने की आवश्यकता है जिसके अभाव में विद्युत् आपूर्ति नहीं हो पा रही है? यदि हां, तो ट्रान्सफारमर कब तक लगा दिया जायेगा?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जी नहीं, ओल्ड टाउन सीतापुर मे पक्का बाग व दुर्गापुरवा में ट्रान्सफारमर लगाने की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर में बीस सूत्रीय आदि से सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा अनियमिततायें और भ्रष्टाचार की शिकायत

114—श्री अर्जुन सिंह यादव—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 16 अक्तूबर, 1985, जो कि जनपद जौनपुर में बीस सूत्रीय आदि से सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा की जा रही अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार सम्बन्धी शिकायतों के जांच कराये जाने के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो जांच कब एवं किस अधिकारी द्वारा करायी गयी, तथा जांच रिपोर्ट क्या है?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

माननीय प्रश्नकर्ता सदस्य का शिकायती-पत्र दिनांक 16 अक्तूबर, 1985 प्राप्त नहीं हुआ था, बल्कि शिकायती पत्र दिनांक 16 दिसम्बर, 1985 प्राप्त हुआ था। इस शिकायती-पत्र में सामान्य रूप से शिकायतें की गई थी तथा इसमें किसी विशिष्ट, शिकायत का उल्लेख नहीं है। फिर भी माह जनवरी, 1986 में मंडलायुक्त वाराणसी को निर्देश दिया गया कि वे इसकी जांच किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा कराकर जांच आख्या शासन को भेजें। मंडलायुक्त, वाराणसी के निर्देशानुसार जिलाधिकारी जौनपुर ने माह सितम्बर, 1988 में जिला विकास अधिकारी से जांच कराई। जिला विकास अधिकारी की जांच रिपोर्ट के अनुसार चूंकि शिकायती-पत्र में किसी विशिष्ट शिकायत/प्रकरण का उल्लेख नहीं था, अतएव जांच करना सम्भव नहीं हो पाया।

विधूना, इटावा की विद्युत् समस्याओं के सम्बन्ध में प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही

115—श्री औसान सिंह—

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शासन को प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 7 जनवरी, 1988 विधूना, इटावा की विद्युत् समस्याओं विषयक प्राप्त हुआ था ? उक्त पत्र के क्रम में मुख्य क्षेत्रीय अभियंता (हाइडिल), कानपुर द्वारा क्या प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों तथा कब तक किए जाने की सम्भावना है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जी हां। पत्र में वर्णित विद्युतीकृत ग्रामों में विद्युत् आपूर्ति हेतु कार्यवाही की गई है। जले हुये ट्रांसफार्मरों को बदल दिया गया है। ग्राम भिखरा (कोड नं0 142 ब्लाक विधूना) का विद्युतीकरण किया जा चुका है। शेष ग्रामों के विद्युतीकरण हेतु कार्यवाही तभी सम्भव हो सकेगी जब विद्युत् सलाहकार समिति द्वारा इन ग्रामों का चयन विद्युतीकरण हेतु कर लिया जायेगा।

सिंचाई विभाग, उन्नाव के सिंचाई कर्मी के विरुद्ध पुलिस रिपोर्ट

116—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि सिंचाई विभाग, उन्नाव के सिंचाई कर्मी के विरुद्ध पुलिस रिपोर्ट विभागीय रिपोर्ट आदि से उत्पन्न विषय परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए प्रश्नकर्ता का मुख्य मंत्री को सम्बोधित पत्र दिनांक 26 अगस्त, 1988 जिसकी प्राप्ति विषयक कोष्ठक मुख्य मंत्री सचिवालय के सं0 सचिव बाबू राम यादव द्वारा 31 अगस्त, 1988 को स्वीकार की गयी है, मिला है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री लोक पति त्रिपाठी—

जी हां।

स्थानान्तरण के उपरान्त बरोली कोठी पर स्थित सरकारी आवास (आउट हाउस) पर कर्मचारी द्वारा अनधिकृत कब्जा बनाये रखने के विरुद्ध पुलिस में रिपोर्ट लिखाई जा चुकी है।

विद्युत् विभाग में पदोन्नति के सिलसिले में परिणाम घोषित न करना

117—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या विद्युत् मंत्री कृपया बतायेंगे कि विद्युत् विभाग में आपरेटर से जूनि0 इंजी0 के पद पर पदोन्नति के सिलसिले में 13 दिसम्बर, 1986 को परीक्षा का आयोजन किया गया था ? यदि हां, तो परिणाम घोषित न किये जाने के क्या कारण हैं तथा परिणाम कब तक घोषित कर दिया जायेगा ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जी हां।

परीक्षा का परिणाम घोषित न करने का कारण यह है कि लोक सेवा अधिकरण (चतुर्थ), लखनऊ द्वारा मौखिक एवं प्रयोगात्मक परीक्षा को सम्पन्न न किये जाने हेतु स्थगन आदेश दिये गये हैं तथा माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ द्वारा भी परिचालन संवर्ग से प्रोन्नति पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है।

न्यायालय द्वारा दिये गये स्थगन आदेशों को समाप्त कराने हेतु प्रयास किया जा रहा है। अतः न्यायालय के आदेशों के उपरान्त ही परीक्षा का परिणाम घोषित करना सम्भव है।

जनपद फतेहपुर में विकृत स्प्रिट पीने से मृत्यु

118--श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी--

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर में वर्ष 1987-88 एवं 1988-89 में विकृत स्प्रिट पीने से कितने लोगों की जान गयी ? उपरोक्त जनपद में कितने स्प्रिट के थोक व फुटकर विक्रेता हैं ? क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि 23 दिसम्बर, 1988 को स्प्रिट पीने से एक ही परिवार के चार सदस्यों की दुःखद मृत्यु हो गयी ? यदि हां, तो जांच के बाद क्या तथ्य सामने आये ? जिसके विरुद्ध अब तक कार्यवाही की गयी ? मृतकों को कोई आर्थिक सहायता उपलब्ध न करायें जाने का कारण क्या है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद मथुरा के कुछ पवित्र कुण्डों में पानी भरवाने की व्यवस्था

119--श्री सरदार सिंह--

क्या सरकार की जानकारी में है कि जनपद मथुरा मे प्रश्नकर्ता के निर्वाचन क्षेत्र के कस्बा बल्देव, महाबन एवं गोकुल में कुछ पवित्र कुण्ड हैं जिनमे प्रति वर्ष तीर्थ यात्री आकर स्नान करते हैं व आचमन ग्रहण करते हैं ? यदि हां, तो शासन इन कुण्डों का जीर्णोद्धार कर प्रति वर्ष सफाई कर मांट ब्रान्च गंगा नहर के राजबहों व माइनरों के द्वारा नया पानी (ताजा पानी) प्रति वर्ष भरवाने की व्यवस्था स्थायी रूप से करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

गोकुल विधान सभाई निर्वाचन क्षेत्र के कस्बा बलदेव में क्षीर सागर कुण्ड, कस्बा गोकुल में सूकरा कुण्ड, पतित पावन कुण्ड व गोप तलाई कुण्ड हैं किन्तु कस्बा महाबन (महाजन नदी) में कोई पवित्र कुण्ड नहीं हैं। इन पवित्र कुण्डों में प्रति वर्ष तीर्थ यात्री आकर स्नान व आचमन ग्रहण करते हैं।

इन कुण्डों के जीर्णोद्धार व सफाई कार्य का सम्बन्ध सिंचाई विभाग से नहीं है। सिंचाई विभाग में इन कुण्डों को भरे जाने सम्बन्धी कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

तकनीकी दृष्टिकोण से राजबहों व माइनरों के कुण्डों को भरना व्यवहारिक नहीं है।

120--श्री सरदार सिंह--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद गोरखपुर के ग्रा0 डुमारी नं0 बाजार टोलों में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत विद्युत् कनेक्शन हेतु प्रार्थना-पत्र

121--श्री सैयद जावेद अली सब्जपोश--

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर, विकास खण्ड भटहट के ग्राम ज0 डोमरी नं0 1 बाजार टोला में विद्युत् कनेक्शन हेतु एक प्रार्थना-पत्र दिनांक 30-2-88 को अधिशासी अभियंता, विद्युत् वितरण खण्ड प्रथम, गोरखपुर को विधायक पिपराईच की संस्तुति के साथ दिया गया था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

जी हां ।

ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत मुख्य राजस्व ग्राम का ही विद्युतीकरण किया जाना है । इसके मुख्य राजस्व ग्राम पर विद्युतीकरण किया जा चुका है । प्रश्नगत टोले का विद्युतीकरण नहीं किया जा सका है ।

बलिया जनपद के विकास खण्ड सोयर, नगरा आदि गांवों का विद्युतीकरण

122--श्री शारदा नन्द अंचल--

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि बलिया जनपद के विकास खण्ड सोयर, नगरा, रतनपुरा नवानगर में कितने-कितने गांवों का विद्युतीकरण पूर्ण हो चुका है कितने-कितने गांवों का विद्युतीकरण अधूरा तथा कितने गांवों के विद्युतीकरण हेतु शेष हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि आगामी वित्तीय वर्ष में उक्त विकास खण्डों के कितने ग्रामों के विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

प्रश्नगत विकास खण्डों में एल0 टी0 मेन्स द्वारा ग्रामों के विद्युतीकरण की 31-1-89 तक की स्थिति निम्नवत् है :

विकास खण्ड	विद्युतीकृत	शेष
सोयर	91	60
नगरा	126	38
रतनपुर	52	97
नवानगर	20	72

विकास खण्ड सोयर में 3, नगरा में 3, रतनपुरा में 33 और नवानगर में 3 ग्रामों में विद्युतीकरण का कार्य प्रगति पर है ।

आगामी वित्तीय वर्ष के लिये ग्रामों के विद्युतीकरण का लक्ष्य अभी निर्धारित नहीं किया गया है ।

जनपद गोरखपुर, विकास खण्ड भटहट के ग्राम पिपरी में श्री महातम सिंह की बिजली के पोल के स्पर्श से मृत्यु

123--श्री सैयद जावेद अली सब्जपोश--

क्या ऊर्जा मंत्री को यह जानकारी है कि जनपद गोरखपुर, विकास खण्ड भटहट के ग्राम पिपरी के स्व0 महातम सिंह पुत्र श्री दल सिंगार सिंह का बिजली के पोल के स्पर्श से दिनांक 15-4-83 को कब्रहरा चौराहा, गोरखपुर पर मृत्यु हो गई थी ? यदि हां, तो क्या मुख्य मंत्री विद्युत निरीक्षक श्री वी0 पुलर, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ द्वारा दिनांक 10-2-84 को सूचना दी गयी थी कि क्षतिपूर्ति के संबंध में उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् को दिनांक 9-2-1984 को आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्र प्रेषित कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार मृतक की पत्नी श्रीमती लालदेई को तत्काल क्षतिपूर्ति की धनराशि दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

जी हां ।

जी हां ।

इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

लखनऊ के बांट तथा माप निरीक्षक द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ का निरीक्षण

124--श्री यदुनाथ सिंह--

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को ज्ञात है कि ता0 11-7-84 को लखनऊ के बांट तथा माप निरीक्षक ने उ0 प्र0 आवश्यक वस्तु एवं खाद्य निगम में छापा मारा था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि विशेष न्यायिक दंड अधिकारी श्री एस0 के त्रिपाठी ने प्रबन्ध निदेशक, अतिरिक्त निदेशक व मंडलीय प्रबन्धक को कम वजन के बांटों को प्रयोग करने के आरोपों में दोषी पाया ? यदि हां, तो इन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? इस सम्बन्ध में सदस्य, विधान परिषद्, खान अब्दुल वहूद खां का पत्र सं0 237, जो मुख्य मंत्री जी को ता0 17-3-88 को मिला है, पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री हुकुम सिंह--

ता0 11-7-84 को लखनऊ के बांट तथा माप निरीक्षक, उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड में छापा नहीं मारा था, बल्कि उसके क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ का निरीक्षण किया था। ऐसा नहीं है बल्कि विशेष न्यायिक दण्डाधिकारी के न्यायालय में मुकदमा कायम हुआ था, जिसमें न्यायालय द्वारा तत्कालीन मण्डलीय प्रबन्धक, श्री आर0 एस0 गहरवार तथा अतिरिक्त मण्डलीय प्रबन्धक, श्रीमती रश्मि कुमार को कम वजन के बांटों का प्रयोग करने का दोषी नहीं पाया बल्कि एक बांट के मुद्रांकन तथा नवीनीकरण न कराने का दोषी पाया गया और उन्हें रु0 20-20 जुर्माना किया गया ।

उपरोक्त के आधार पर विभागीय जांच की गई, जिसमें श्री श्रीराम, तत्कालीन स्टोर कीपर को दोषी पाया गया क्योंकि बांटों के रख रखाव, नवीनीकरण एवं मुद्रांकन की

जिम्मेदारी उसी की थी। उसकी लापरवाही के लिए श्री श्रीराम, स्टोर कीपर को सचेत कर दिया गया है और उसमें जुर्माने की धनराशि रु0 40 की वसूली के आदेश कर दिये गये हैं।

अधिकारियों के विरुद्ध कोई विभागीय कार्यवाही की आवश्यकता नहीं थी।

श्री खान अब्दुल बदूद खां, सदस्य, विधान परिषद् को स्थिति से अवगत करा दिया गया है।

उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विक्रय निगम में अनियमित ढंग से नियुक्तियां

125—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या उद्योग मन्त्री को ज्ञात है कि अक्तूबर, 1986 के बाद उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विक्रय निगम में अनियमित ढंग से नौकरी देने के बारे में विधान परिषद्, सदस्या खान अब्दुल बदूद खां का पत्र सं0 37, मुख्य मन्त्री जी को तारीख 10 फरवरी, 1988 को मिला है ? यदि हां, तो पत्र पर कोई जांच करायी गयी ? यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम रहा ? यदि नहीं, तो जांच कब तक करायी जायेगी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां।

जी हां।

प्राप्त जांच आख्या के कुछ बिन्दुओं पर पुनः सूचना प्राप्त की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

126—श्री यदुनाथ सिंह—

[दिनांक 23 फरवरी, 1989 को अता0 प्र0 सं0 68 द्वारा उत्तरित।]

127—श्री यदुनाथ सिंह—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

वैयक्तिक सहायक, सपरार प्रखण्ड, झांसी का अनियमितता के आरोप में निलम्बन

123—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख अभियन्ता कार्यालय के वैयक्तिक सहायक श्री जे0 एस0 भटनागर, जब सपरार प्रखण्ड, झांसी में कार्यरत थे तो उस समय उन्हें किस अनियमितता के आरोप में निलम्बित किया गया था तथा साथ में और कौन-कौन से अधिकारी/कर्मचारी निलम्बित किये गये थे ? क्या यह सही है कि कालान्तर में निलम्बित अधिकारियों को बिना गुरुतर दण्ड दिये ही बहाल कर दिया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त प्रकरण की जांच हेतु अधीक्षण अभियन्ता स्तर के अधिकारी को नियुक्त करने की कृपा करेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

श्री जे0 एस0 भटनागर, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, सपरार प्रखण्ड, झांसी को हमीरपुर में यमुना नदी के दायें किनारे पर नगर की सुरक्षा हेतु पत्थर की पीचिंग

का कार्य अनुबंध में निर्धारित विशिष्टियों के अनुसार न कराने के आरोप में निलम्बित किया गया था ।

इस जांच के सम्बन्ध में श्री उमाशंकर लखड़किया, तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता, श्री जगदीश स्वरूप भटनागर, अधिशासी अभियन्ता श्री ज्ञानेन्द्र स्वरूप भटनागर, तत्कालीन सहायक अभियन्ता तथा श्री बाबू सिंह एवं श्री प्रेम सागर शुक्ला, अवर अभियन्ता निलम्बित किये गये थे ।

अधिकारियों को जांच पर्यन्त निलम्बित रखने के आदेश थे । जांच पूर्ण होने के बाद प्रकरण में नियुक्त जांच अधिकारी से प्राप्त जांच आख्या पर विचार कर अधिकारियों को निलम्बन से मुक्त किया गया तथा सिद्ध पाये गये आरोपों की गुरुता को ध्यान में रखकर दंडित भी किया गया ।

अधिकारियों को निलम्बन से मुक्त करने में कोई अनियमितता न बरतने की स्थिति में जांच का प्रश्न नहीं उठता है ।

विद्युत विभाग द्वारा मऊनाथ भंजन के उपकेन्द्र मधुबन में विद्युत आपूर्ति में गड़बड़ी एवं सिपाह में विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण

129—श्री विष्णु देव—

क्या विद्युत मन्त्री को जानकारी है कि जनपद मऊ पहले आजमगढ़ के विद्युत वितरण खण्ड मऊनाथ भंजन के उपकेन्द्र मधुबन में कई फीडर खराब रहने के कारण विद्युत आपूर्ति में गड़बड़ी बनी हुई है और अधिकारियों द्वारा वर्षों से माँग के बावजूद धन के अभाव में नये फीडर प्राप्त होने में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है ? क्या मन्त्री जी को जानकारी है कि उसी क्षेत्र में नये विद्युत उपकेन्द्र, जो ग्राम मर्यादपुर व दरगाह में प्रस्तावित थे, स्वीकृति न देकर ग्राम सिपाह में नये उपकेन्द्र की स्थापना की गयी है ? यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जी नहीं ।

मधुबन उपकेन्द्र में फीडर चैनलों की मरम्मत करके विद्युत वितरण सुचारु रूप से किया जा रहा है ।

ग्राम मर्यादपुर व दरगाह में नये विद्युत उपकेन्द्र प्रस्तावित नहीं थे । ग्राम सिपाह में तकनीकी दृष्टि से उपयुक्त होने के कारण विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण किया गया है ।

सिंचाई विभाग द्वारा सूखा राहत कोष से ड्रेन तथा गूल का निर्माण

130—श्री औसान सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे प्रश्नकर्ता के मुख्य मंत्री को सम्बोधित सूखा राहत कोष से ड्रेन निर्माण के विषयक एवं सूखा राहत कोष से गूल निर्माण के विषयक पत्र दि० 3 अक्तूबर, 1987 प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी नहीं ।

श्री ओसान सिंह, माननीय विधायक का पत्र दिनांक 3 अक्तूबर, 1987 प्राप्त न होकर उनका पत्र दिनांक 2 अक्तूबर, 1987 प्राप्त हुआ है। सूखा राहत कोष से वर्ष 1987-88 एवं 1988-89 में इंगित कार्यों के लिए कोई धन उपलब्ध नहीं हुआ है। अतः इस मद में कोई नाला अथवा पुल निर्माण कराने का प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

ऊर्जा विभाग द्वारा जिला बस्ती के विकास खण्ड खलीलाबाद के ग्रामों में विद्युत आपूर्ति

131—श्री द्वारिका प्रसाद—

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जिला बस्ती को विकास खण्ड, खलीलाबाद के ग्राम उमरी कला, मैनसिर, सियरा साथा विकास खण्ड नाथ नगर के ग्राम सनिचरा चक महुआ, ओन बिलाई विकास खण्ड बघौली के ग्राम सिटीफर हटवा बार व्यास, वि० खण्ड सनिचरा के ग्राम चंगेरा मंगेरा में विद्युत् आपूर्ति कब तक करा दी जायेगी ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

प्रश्नगत ग्रामों के विद्युतीकरण की स्थिति निम्नवत् है :—

1—विकास खण्ड खलीलाबाद—

(1) उमरी कला— एल० टी० मेन्स द्वारा विद्युतीकरण हो चुका है।

(2) मैनसिर— तदेव

(3) सियरा साथा— तदेव

2—विकास खण्ड नाथ नगर—

(1) सनिचरा— तदेव

(2) चकमहुआ— तदेव

(3) ओन-बिलाई— एल० टी० मेन्स द्वारा विद्युतीकरण नहीं हुआ।

3—विकास खण्ड बघौली—

(1) सिटीपर— एल० टी० मेन्स द्वारा विद्युतीकरण का कार्य मार्च, 1989 तक पूर्ण होने की आशा है।

(2) हटवा— एल० टी० मेन्स द्वारा विद्युतीकरण नहीं हुआ।

(3) बार व्यास— एल० टी० मेन्स द्वारा विद्युतीकरण हो चुका है।

4—विकास खण्ड सेमरियावां

चंगेरा मंगेरा एल० टी० मेन्स द्वारा विद्युतीकरण नहीं हुआ।

विकास खण्ड नाथ नगर के ग्राम ओन बिलाई विकास खण्ड बघौली के ग्राम हटवा और विकास खण्ड सेमरियावां के ग्राम चंगेरा मंगेरा का एल० टी० मेन्स द्वारा विद्युतीकरण आने वाले वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

132—श्री सूर्य प्रताप शाही—

[दि० 22 फरवरी, 1989 को अता० प्र० सं० 53 द्वारा उत्तरित]

जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड पिपराइच, ग्राम बसडीहा रौसड़ की हरिजन बस्ती में स्थित पुलिया चौड़ा करने की मांग

133--श्री सैयद जावेद अली सब्जपोश--

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर, विकास खण्ड पिपराईच के ग्राम बंसडीहा रौसड़ की हरिजन बस्ती के पास नहर पर पैदल पुलिया को चौड़ा किये जाने के सम्बन्ध में कई बार विभाग को ध्यान उस ओर दिलाया गया है ? क्या यह सही है कि पुलिया की चौड़ाई न बढ़ने से हरिजन बस्ती में बैलगाड़ी, रिक्शा इत्यादि भी नहीं जा सकता है जिसके कारण हरिजन बस्ती के लोग कठिनाई महसूस कर रहे हैं ? यदि हां, तो सरकार उपरोक्त पुलिया को चौड़ा करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जी हां, जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड पिपराइच, ग्राम बंसडीहा रौसड़ के हरिजन बस्ती के पास पैदल पुलिया को चौड़ा करने के सम्बन्ध में कई बार मांग की गई है। वर्ष 1988-89 के गंडक परियोजना कार्यक्रम के अन्तर्गत उक्त पुल को चौड़ा करने का कार्य प्रगति में है जिसके मार्च, 1989 तक पूर्ण हो जाने की आशा है।

जनपद गोरखपुर के सोनवरसा राजबहा पर बनी हुई तीन नीची पुलियों को ऊंचा किया जाना

134--श्री सैयद जावेद अली सब्जपोश--

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद गोरखपुर के सोनवरसा राजवाहा पर सोनवरसा ग्राम बसडीहा रोड तक नहर की तीन पुलिया धंस गयी हैं जिसके कारण नहर का पानी उन पुलियों के नीचे से न बहकर ऊपर से बह रहा है तथा खेतों में जल जमाव हो रहा है और फसलें भी नष्ट हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार तीनों पुलियों को ऊंचा कराकर अथवा नई पुलिया निर्माण कराकर इस समस्या का समाधान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

सोनवरसा राजवाहा पर सोरवरसा ग्राम से ग्राम बसडीहा रौसड़ तक नहर की तीन पुलिया क्रमशः किमी0 1 सितम्बर, 1985 एवं 3-2 पर नहर निर्माण के वर्ष से ही नीची बनी हुई हैं। उन पुलियों पर कोई धसान नहीं हुआ है और इनके कारण जल जमाव या फसल नष्ट नहीं हो रही है।

इन पुलियों को ऊंचा करने का कार्य आगामी खरीफ से पूर्व पूर्ण कर लिया जायेगा। कि0 मी0 3.2 पर स्थित पुलिया का कार्य प्रगति में है।

135--श्री सैय्यद जावेद अली सब्जपोश--

[तीसरे सोमवार में अता0 प्र0 सं0 163 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद गोरखपुर सोनवरसा राजवहा के साईफन की मरम्मत न होने से फसल को नुकसान

136--श्री सैय्यद जावेद अली सब्जपोश--

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद गोरखपुर सोनवरसा राजवहा के 2.850 कि0 मी0 पर एक साईफन कई वर्षों से टूट कर धंस गया है जिसके कारण

पानी का निकास नहीं हो पा रहा है और जल जमाव के कारण फसल का नुकसान हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस साइफन की मरम्मत अथवा नया साइफन लगवायेगी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जनपद गोरखपुर के सोनबरसा राजबहा के कि0 मी0 2.850 पर निर्मित साईफन टूटा नहीं है । पानी का निकास ग्राम सभा द्वारा चकरोड की पटाई एवं साईफन के डाऊन स्ट्रीम में ड्रेन न होने एवं कुछ काश्तकार, जिनके खेतों से पानी निकलता है, द्वारा अवरोध करने के कारण, सुविधापूर्वक नहीं हो पाता है । अतएव फसल का नुकसान इस साईफन के कारण नहीं वरन् अवरोधों के कारण हो रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री उमाशंकर लखटकिया, अधीक्षण अभियन्ता, सप्तम मंडल सिंचाई कार्य, लखनऊ के विरुद्ध फैक्ट-फाइन्डिंग इन्क्वायरी

137—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान मुख्य अभियन्ता (शारदा सहायक) श्री उमाशंकर लखटकिया जब अधीक्षण अभियन्ता पद पर सप्तम मंडल सिंचाई कार्य लखनऊ में कार्यरत थे, तब क्या उनके द्वारा शारदा सहायक खण्ड 16 सुल्तानपुर में पालिथीन लाइनिंग का टेस्टवर्क बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के कराया गया था ? क्या उक्त अनियमितता सम्बन्धी प्रकरण श्री लखटकिया के विरुद्ध वर्तमान में भी शासन स्तर पर प्रचलित है ? यदि हां, तो उक्त अनियमितता के प्रकरण में श्री लखटकिया के विरुद्ध क्या आरोप है तथा उन्हें उक्तांकित खण्ड/मण्डल के इंचार्ज मुख्य अभियन्ता (शा0 स0) के पद से अन्यत्र पद स्थापित करके, परिकल्प संगठन के किसी अधीक्षण अभियन्ता स्तर के अधिकारी के माध्यम से, फैक्ट-फाइन्डिंग इन्क्वायरी कराने की कृपा करेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

श्री उमाशंकर लखटकिया, वर्तमान मुख्य अभियंता (शारदा सहायक) के अधीक्षण अभियंता, सप्तम मण्डल सिंचाई कार्य, लखनऊ के कार्यकाल में शारदा सहायक खण्ड 16, सुल्तानपुर में पालीथीन लाइनिंग के कार्य हेतु तत्कालीन अधिशासी अभियंता, शारदा सहायक खण्ड 16, सुल्तानपुर तथा खण्ड के दो सहायक अभियंताओं द्वारा माह अप्रैल एवं मई, 1982 में सक्षम अधिकारी द्वारा पूर्व अनुमोदित उद्देश्य के आधार पर अनुबंध किये गये । कार्य का प्राक्कलन सक्षम अधिकारी द्वारा जून, 1982 में स्वीकृत किया गया ।

इस कार्य से संबंधित महालेखाकार, उ0 प्र0 का वर्ष 1984-85 (सिविल) का ड्राफ्ट पैरा संख्या एन 16 (शारदा सहायक खण्ड 16 सुल्तानपुर) प्रचलित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर श्री लखटकिया को अन्यत्र पदस्थापित करने एवं फैक्ट-फाइन्डिंग इन्क्वायरी कराने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

अकबरपुर, जनपद फैजाबाद में हरिजन आबादी के निकट पुलिया के निर्माण में विलम्ब के कारण

138—श्री अकबर हुसैन बाबर—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 13 मार्च, 1988 जो ग्राम चम्बनपारा विकास खण्ड, अकबरपुर, जनपद फैजाबाद में हरिजन आबादी

के निकट नाले पर पुलिया बनाने के सम्बन्ध में है, प्राप्त हो गया है ? यदि हां, तो उक्त पुलिया बनाने में विलम्ब क्यों हो रहा है ? पुलिया निर्माण का काम कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जी हां । माननीय विधायक का पत्र दिनांक 16 मार्च, 1988 (13 मार्च, 1988 नहीं) प्राप्त हुआ है ।

पुलिया के निर्माण की कार्यवाही की जा रही है तथा इसका निर्माण-कार्य जून, 1989 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है ।

विद्युत् वितरण खंड सुल्तानपुर के ग्रामीण थानों में विद्युत् कनेक्शनों की संख्या का ब्योरा

139--श्री अकबर हुसैन बाबर--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत् वितरण खण्ड, सुल्तानपुर में कुल कितने थानों में विद्युत् कनेक्शन हैं ? उनका कुल लोड किलोवाट में अलग-अलग क्या अनुबंधित है तथा जनवरी, 1988 से दिसम्बर, 1988 तक माहवार कितनी यूनिट विद्युत् खपत हुई है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

विद्युत् वितरण खण्ड, सुल्तानपुर में कुल 9 थानों में विद्युत् कनेक्शन हैं ।

सभी 9 थाने ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित हैं तथा हर थाने का अनुबंधित लोड 2 किलोवाट है । चूंकि समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत् आपूर्ति बिना मीटर के हो रही है और प्रत्येक 2 किलोवाट कनेक्शन का रु0 17.00 प्रतिमाह के हिसाब से विद्युत् बिल वसूल किया जा रहा है, अतः प्रश्नगत अवधि में माहवार विद्युत् खपत यूनिटों में किया जाना सम्भव नहीं है ।

जनपद गोरखपुर में पुलों का एवं पुलियों का निर्माण-कार्य का विवरण

140--श्री सैय्यद जावेद अली सब्जपोश--

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर, विधान सभा क्षेत्र पिपराइच के पिपरी राजबहा ग्राम तरकुलहा पर गोरखपुर राजबहा ग्राम आबादी सखनी पर गोरखपुर राजबहा पर ग्राम फलवरिया पर छपिया नहर ग्राम बरसौनी पर जगदीशपुर माइनर ग्राम पिपरा बसन्तपुर तथा रमवापुर राजबहा ग्राम रमवापुर पर पैदल पुलिया और बसन्तपुर राजबाहा 18 कि0 मी0 पर पैदल पुलिया और ग्राम बनचरा हरिजन बस्ती नहर पर पैदल पुलिया का निर्माण न होने के कारण ग्रामीण जनता को कठिनाई है ? सरकार कब तक उक्त निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

केवल रमवापुर राजबाहा के ग्राम रमवापुर जो राजबहा के कि0 मी0 15·100 से 15·700 तक स्थित है तथा बसन्तपुर राजबाहा के ग्राम बरसौनी जो कि0मी0 17·200 से कि0 मी0 18 030 तक स्थित है पुल के अभाव में असुविधा है । इन स्थलों पर

पुलों का निर्माण प्रगति में है और इनके इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण हो जाने की आशा है।

रमवापुर राजवाहा के ग्राम रमवापुर व बसन्तपुर राजवाहा के कि0 मी0 18·00 पर ग्राम बरसौनी के अतिरिक्त अन्य स्थलों पर पुलिया का निर्माण कराया जाना विभाग के प्राविधान के अनुसार नहीं है।

जनपद गोरखपुर के पिपराइच में नहरों पर ठोकर निर्माण न होने के कारण किसानों को सिंचाई में असुविधा

141--श्री सैयद जावेद अली सब्जपोश--

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर विधान सभा क्षेत्र पिपराइच में दो ग्रामों में नहरों पर ठोकर निर्माण न होने के कारण वहां के किसान अपना खेत सींचने से वंचित हैं जिसके सम्बन्ध में सिंचाई विभाग गोरखपुर को कई बार लिखा जा चुका है ? यदि हां, तो क्या सरकार किसानों की सुविधा के लिए गोरखपुर राजवाहा ग्राम करमहा बुजुर्ग के पास ठोकर एवं छपिया नहर ग्राम बरसौनी पर ठोकर निर्माण तत्काल करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

इन ग्रामों में फाल बनाने हेतु माननीय विधायक के पत्र प्राप्त हुए थे। तकनीकी दृष्टि से फाल का निर्माण औचित्यपूर्ण नहीं है। नहर के पास कुछ भू-भाग ऊंचा होने के कारण डाल सिंचाई ही सम्भव है।

जनपद गोरखपुर विकास खण्ड पिपराइच में ड्रेन को चौड़ा करना

142--श्री सैयद जावेद अली सब्जपोश--

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर विकास खण्ड पिपराइच में जगदीशपुर माइनर 5·00 कि0 मी0 से फरेन नाले तक ड्रेन को चौड़ा कराने के सम्बन्ध में विधायक पिपराइच ने अधिशासी अभियन्ता, गण्डक नहर निर्माण खण्ड प्रथम, गोरखपुर को कितने पत्र किन-किन दिनांक को लिखे थे और उन पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस ड्रेन की खुदाई कराकर ग्राम जगदीशपुर कोनी, सिहोरिया, मोहनपुर इत्यादि ग्रामों की फसल डूबने से बचायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

गण्डक नहर निर्माण खण्ड प्रथम गोरखपुर नाम से कोई खण्ड गोरखपुर में नहीं है प्रश्न से सम्बन्धित खण्ड का नाम सिंचाई खंड-प्रथम/गोरखपुर है। जगदीशपुर माइनर के सम्बन्ध में माननीय विधायक जी पत्र दिनांक 8 मार्च, 1988 प्राप्त हुआ था। निरीक्षण से यह तथ्य सामने आया है कि इस माइनर के टेल गूल पर बने गूल कार्यों को जगदीशपुर से पिपराइच तक सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सड़क बनाते समय क्षतिग्रस्त हो गया है जिससे टेल गूल का पानी फरेन नाले तक न जाकर सड़क के ऊपर के क्षेत्र में फैलता है। इस सम्बन्ध में सार्वजनिक निर्माण विभाग, गोरखपुर से इस स्थान पर कल्वर्ट बनाने हेतु अनुरोध किया गया है।

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ताड़ी के उत्पादन व विपणन पर रोक

143—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या आबकारी मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जनपद में ताड़ी के उत्पादन व विपणन पर कोई रोक नहीं है और ताड़ी का विपणन खुले आम किसी भी स्थल/बाग दूकान/चलता फिरता फेरी की दूकानों से होता है ? यदि हां, तो उन्नाव जिलों में ऐसे उत्पादन और विपणन पर रोक के क्या कारण हैं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

लखनऊ जनपद में ताड़ी के उत्पादन एवं विपणन पर इस प्रतिबन्ध के साथ रोक है कि केवल नियमों के अन्तर्गत आबकारी विभाग से लाइसेन्स प्राप्त अनुज्ञापी ही ताड़ी का उत्पादन एवं विपणन कर सकता है ।

ताड़ी का विपणन केवल अनुमोदित स्थलों से ही किया जा सकता है ।

हां, उन्नाव जनपद में ताड़ी के उत्पादन एवं विपणन पर रोक है । यह रोक शासन की नीति के अनुसार है । यह नीति ताड़, खजूर के पेड़ों की उपलब्धता पर आधारित है । जहां पेड़ प्रचुर संख्या में उपलब्ध हैं वहीं पर ताड़ी के उत्पादन व विपणन की व्यवस्था है ।

144—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

[5वें बुधवार के लिये स्थगित]

मुख्य अभियन्ता श्री रमा शंकर वार्ष्णेय द्वारा बाढ़ सुरक्षा के कार्यों पर धन व्यय करने हेतु निर्देश

145—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि तत्कालीन मुख्य अभियन्ता (पूर्वी नहर बाढ़) श्री रमा शंकर वार्ष्णेय ने अपने अ0 शा0 पत्रांक-208/अनिम/यू-10, दिनांक 19 मई, 1986 द्वारा समस्त मुख्य अभियन्ताओं/अधीक्षण अभियन्ताओं को बाढ़ सुरक्षा के कार्यों पर धन व्यय करने हेतु निर्देश जारी करते हुये कतिपय मापदण्ड निर्धारित किये थे, जिनके अनुसार ही केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत बाढ़ सुरक्षा कार्यों के प्राक्कलनों की स्वीकृति दी जानी थी ? यदि हां, तो क्या तत्कालीन मुख्य अभियन्ता (शारदा सहायक) श्री के0 जी0 गोयल द्वारा बाढ़-सुरक्षार्थ कार्यों हेतु 4,25,47,551 रु0 (पांच खंड में) के प्राक्कलन पहले तदर्थ स्वीकृति के उपरान्त बाद में दिनांक 13 अक्तूबर, 1986 जो अन्तिम रूप से, बिना आधार के ही, स्वीकृत किये गये थे ? यदि हां, तो माह अक्तूबर 1986 में स्वीकृत प्राक्कलन के विरुद्ध धन का अवंटन/व्यय कब और कैसे किया गया जबकि वर्ष 1986 से प्रदेश गम्भीर सूखे की चपेट में था तो बाढ़ सुरक्षा से सम्बन्धित कार्य श्री गोयल द्वारा कहां कराये गये तथा बिना बाढ़ आये ही बाढ़ सुरक्षा से सम्बन्धित प्राक्कलनों की स्वीकृति किन परिस्थितियों में प्रदान की गयी ?

श्री लोक पति त्रिपाठी—

तत्कालीन मुख्य अभियन्ता, अनुसन्धान एवं नियोजन, सिंचाई विभाग, लखनऊ तत्कालीन मुख्य अभियन्ता, पूर्वी नहर एवं बाढ़, श्री रमा शंकर वार्ष्णेय नहीं, ने अपने

अ0 शा0 पत्रांक 89(अनिशास) यू-10, दिनांक 15 मार्च, 1986 द्वारा वर्ष 1986-87 में राजस्व लेखे से पोषित व्यय में जल निकास कार्य एवं बाढ़नियन्त्रण कार्यों के लिये अनुरक्षण करने (अवाणिज्यिक) में की गयी पर्याप्त वृद्धि परिपेक्ष्य में इन कार्यों से सम्बन्धित स्वीकृत प्राक्कलनों की वांछित धन आवंटन हेतु की। भारत सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति की संस्तुति में निर्धारित मापदन्डों के आधार पर प्राक्कलन स्वीकृत किये जाने थे। मुख्य अभियन्ता (शारदा सहायक) द्वारा इन्हीं माप दन्डों के अनुरूप जल निकास कार्य एवं बाढ़ नियन्त्रण कार्यों के अनुरक्षण के लिये प्राक्कलन स्वीकृत किया गया। स्वीकृत प्राक्कलन अनुरक्षण कार्यों से सम्बन्धित हैं न कि बाढ़ सुरक्षा कार्यों से तथा इसके अन्तर्गत वर्ष 1986-87 से वास्तविक धन आवंटन के आधार पर बाढ़ नियन्त्रण एवं जल निकासी कार्यों पर रख-रखाव कार्य कराया गया। कार्य का निष्पादन आवश्यकता को देखते हुये उपलब्ध वित्तीय संसाधनों की सीमा तक ही कराया जाता है।

बलिया जनपद जिला पूर्ति विभाग के आपूर्ति निरीक्षकों द्वारा व्यापारियों व लाइसेन्सियों के विरुद्ध मुकदमा

146--श्री शारदानन्द अंचल--

क्या खाद्य एवं रसद मन्त्री को जानकारी है कि बलिया जनपद जिलापूर्ति विभाग के आपूर्ति निरीक्षक द्वारा क्षेत्रवार वर्ष 1984-85, 1985-86, 1986-87, 1987-88 में कितने-कितने व्यापारियों व लाइसेन्सियों के विरुद्ध दफा 3/7 ई0 सी0 एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया है और उनमें से कितने मुकदमों में फाइनल रिपोर्ट लगा दी गयी है ?

श्री हुकुम सिंह--

बलिया जनपद जिला पूर्ति विभाग के आपूर्ति निरीक्षकों द्वारा क्षेत्रवार 1984-85 में 14, 1985-86 में 27, 1986-87 में 13 एवं 1987-88 में 37 व्यापारियों व लाइसेन्सियों के विरुद्ध दफा 3/7 ई0 सी0 एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया गया है और इनमें से वर्ष 1984-85 में शून्य, 1985-86 में तीन, 1986-87 में दो, एवं 1987-88 में एक मामले में फाइनल रिपोर्ट लगा दी गयी है।

बिल्थरा रोड, बलिया में तापीय विद्युत् गृह स्थापना विषयक फिजीबिलटी रिपोर्ट उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा विद्युत् प्राधिकरण, भारत सरकार को प्रेषित

147--श्री शारदानन्द अंचल--

क्या ऊर्जा मन्त्री बतायेंगे कि जनपद बलिया में प्रस्तावित तापीय विद्युत् गृह, जिसके स्थापना हेतु बिल्थरा रोड में सर्वेक्षण हुआ है, को कब तक स्थापित कर दिया जायेगा ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

जनपद बलिया में बिल्थरा रोड, रेलवे स्टेशन के निकट 3×210 मेगावाट क्षमता का तापीय विद्युत् गृह स्थापित करने हेतु "फिजीबिलटी रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश, राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा माह दिसम्बर, 1988 में केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण योजना आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली को भेजी जा चुकी है। इस परियोजना पर कार्य केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण तथा योजना आयोग की स्वीकृति प्राप्त होने तथा आवश्यक संसाधन उपलब्ध होने पर ही प्रारम्भ हो सकेगा।

स्वीकृति प्राप्ति के उपरान्त 48 से 60 माह की अवधि में इस परियोजना की तीनों इकाइयों को चालू किया जाना अनुमानित है।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् के अधीनस्थ नियुक्तियों में पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को आयु में छूट देने के नियम

148--श्री गोपी नाथ वर्मा--

क्या ऊर्जा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि राज्य विद्युत् परिषद्, उत्तर प्रदेश के अधीनस्थ नियुक्ति करते समय पिछड़े वर्ग अभ्यर्थियों हेतु 5 वर्ष की छूट दिये जाने का नियम है ? यदि हां, तो टांडा तापीय परियोजना, फैजाबाद से प्रभावित परिवारों को परियोजना में नियुक्त किये जाने के समय पिछड़े वर्ग के परिवारों को उम्र में 5 वर्ष की छूट दी जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद गाजीपुर के विकास खण्ड मरदह के सिंगेरा में राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा 33 के0 वी0 उपकेन्द्र लगाने का प्रस्ताव

149--श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)--

क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के विकास खण्ड मरदह के सिंगेरा में 33 के0 वी0 उपकेन्द्र लगवाने का राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा कोई प्रस्ताव है ? यदि हां, तो उस उपकेन्द्र पर कब तक धन स्वीकृत करके उक्त कार्य को चालू किया जायेगा ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

जी हां।

उपकेन्द्र का कार्य आवश्यक संसाधन प्राप्त होने पर वर्ष 1989-90 में आरम्भ होने की सम्भावना है।

जनपद गाजीपुर में स्थित रामगढ़ पम्प नहर को स्वतन्त्रा फीडर से जोड़ने हेतु प्राक्कलन की स्वीकृति

150--श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)--

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रामगढ़ लिफ्ट नहर जनपद गाजीपुर को चलाने हेतु विद्युत् की उपलब्धता हेतु अलग से फीडर बनाने का विभाग द्वारा कोई प्रस्ताव है ? यदि हां, तो इस फीडर को कब तक बना दिया जायेगा ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जनपद गाजीपुर में स्थित रामगढ़ पम्प नहर को स्वतंत्र फीडर से जोड़ने हेतु विद्युत् विभाग ने लगभग 4·05 लाख का प्राक्कलन मुख्य अभियन्ता नलकूप (पूर्व) को भेजा है जो उनके स्तर पर विचाराधीन है। प्राक्कलन स्वीकृत होने के पश्चात् ही फीडर बनाया जाना सम्भव है।

जनपद गाजीपुर के रामगढ़ लिफ्ट नहर की सीपेज को देखते हुये लाइनिंग की योजना

151—श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)—

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर में रामगढ़ लिफ्ट नहर की सीपेज को देखते हुए हेड से लेकर कम से कम दो किमी0 लाइनिंग (पक्का) की कोई योजना है? यदि हां, तो यह योजना कब तक क्रियान्वित कर दी जायेगी?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हां।

प्रश्नगत लाइनिंग की योजना जिला ग्राम्य विकास अभिकरण गाजीपुर के स्तर पर विचाराधीन है।

जनपद इलाहाबाद के उमरनताल तथा दायनताल में जलभराव के कारण निकास की योजना

152—श्री भोला सिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री को जानकारी है कि जनपद इलाहाबाद के विधान सभाई क्षेत्र सोरांव एवं जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र बीरापुर के बीच में बाके दो बड़ ताल (1) उमरनताल व (2) दायनताल में बारह महीनों पानी भरा रहने के कारण हजारों बीघा कृषि योग्य भूमि पानी में डूबी रहती है? यदि हां, तो क्या उक्त जल भराव के निकास की कोई योजना लम्बित है? यदि हां, तो यह योजना कब तक कार्यान्वित होगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

इलाहाबाद जनपद के विधान सभा क्षेत्र सोरांव एवं जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र बीरापुर के बीच में उमरनताल व दायनताल नाम के दो प्राकृतिक ताल हैं। उमरनताल व दायनताल में वर्षा ऋतु में क्रमशः लगभग 650 हेक्टेयर व 250 हेक्टेयर क्षेत्र में जल जमाव हो जाता है, जो ग्रीष्म ऋतु में घटकर क्रमशः लगभग 250 हे0 व 25 हे0 रह जाता है। उमरनताल में जल भराव की निकासी हेतु उमरनताल ड्रेन बनाई जा चुकी है व दायनताल में जल भराव की निकासी हेतु दायनताल ड्रेन भी निर्मित हो चुकी है। इन तालों से जल निकासी की कोई अन्य योजना विचाराधीन नहीं है। उमरनताल ड्रेन व दायनताल ड्रेन द्वारा वर्तमान क्षमता से अधिक जल निकासी तकनीकी दृष्टिकोण से सम्भव नहीं है।

अधीक्षण अभियन्ता, पब्लिक नलकूप मण्डल, मुरादाबाद के विरुद्ध कार्यवाही

153--श्री कौशिक रमा शंकर--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् 1984-87 में तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता, पब्लिक नलकूप मण्डल, मुरादाबाद ने घोर अनियमितताएं बरतते हुए भारी धनराशि के क्रय आदेश निर्गत किये ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फर्रुखाबाद के विकास खण्ड राजेपुर में नलकूपों को कलस्टर योजना स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही

154--श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी--

क्या सिंचाई मन्त्री को जानकारी है कि जनपद फर्रुखाबाद के विकास खण्ड, राजेपुर में विश्व बैंक की नलकूप कलस्टर योजना स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का मुख्य मन्त्री को सम्बोधित एक पत्र मार्च, 1988 में प्राप्त हुआ था जिसकी प्राप्ति सूचना संयुक्त सचिव ने अपने पत्रा0 सं0 सी0 एम0 वि0 को0 3/31-228/ई/88, दिनांक 13 अप्रैल, 1988 द्वारा भेजी थी ? यदि हां, तो शासन स्तर से इस सम्बन्ध में अब तक क्या निर्णय लिया गया है ?

श्री लोक पति त्रिपाठी--

जी हां ।

क्षेत्र अपर्याप्त एवं अनुपयुक्त होने के कारण 25 नलकूपों को कलस्टर में लगाना सम्भव नहीं है ।

इन्दिरानगर, लखनऊ में ऊर्जा विभाग द्वारा विभागीय औपचारिकताएं पूर्ण न करने के कारण कनेक्शन न दिया जाना

155--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 10 सितम्बर, 1981 को शासन द्वारा विद्युत् परिषद् को सर्विस लाइन लगाने हेतु रसीद नं0 30/14820, दिनांक 14 सितम्बर, 1981 को ए0 ब्लाक, सेक्टर-4, ई-1 इन्दिरा नगर, लखनऊ के सभी क्वार्टरों के सर्विस कनेक्शन लगाने हेतु शासन की तरफ से चेक सं0 0033/168082, दिनांक 10 सितम्बर, 1981 को दिया गया था ? यदि हां, तो अभी तक सभी आवासों में सर्विस कनेक्शन न लगाये जाने का क्या कारण है ? क्या विद्युत् परिषद् शेष मकानों में कनेक्शन लगायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

जी हां, दिनांक 14 सितम्बर, 1981 को चेक द्वारा कुल 40,684·00 रु0 की धनराशि प्राप्त हुई ।

कुल 121 नं0 ई–1 टाइप के मकानों को सर्विस लगाने का कार्य होना था। जिनमें से 57 अध्यासियों द्वारा 31 जनवरी, 1989 तक प्रतिभूति की धनराशि जमा करके अनुबन्ध कर लिए गये। तदनुसार 53 कनेक्शन माह जनवरी 1989 तक दे दिये गये व शेष 4 फरवरी माह में दिये गये हैं।

शेष 64 मकानों के अध्यासियों को विभागीय औपचारिकताएं पूर्ण न करने के कारण कनेक्शन नहीं दिया जा सका।

इन्दिरा नगर, लखनऊ के अध्यासियों द्वारा विद्युत् मीटर लगने के लिए जमा पैसों को वापस करना

156—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या शासन को इस बारे में कोई जानकारी है कि ए0 ब्लाक सेक्टर 4–ई–1 इन्दिरा नगर के अध्यासियों ने विद्युत् मीटर की अग्रिम धनराशि जमा कर दी है किन्तु अभी तक मीटर नहीं लगाये गये हैं ? क्या यह सही है कि अध्यासियों से स्वयं मीटर खरीद कर लगाने को कहा जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार अध्यासियों का पैसा जमा है उसे वापस करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

विद्युत् मीटर की अग्रिम धनराशि परिषद् द्वारा जमा नहीं कराई जाती है। जिन अध्यासियों ने प्रतिभूति की धनराशि जमा करके अनुबन्ध कर लिया है उनसभी के यहां मीटर लगा दिये गये हैं। किसी भी अध्यासी से मीटर खरीद कर लाने को नहीं कहा गया है।

उत्तर प्रदेश राज्य कताई मिल, अकबरपुर, फैजाबाद में घटी घटना में विभाग द्वारा अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही

157—श्री नत्थू लाल विकल—

क्या उद्योग मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 29 दिसम्बर, 1985 को सी0 बी0 सी0 आई0 डी0 गोरखपुर के एस0 के0 मलिक ने अपराध संख्या 528/85 यू0 एस9 धारा 120 की 408/201/218/167 आई0 पी0 सी0 थाना अकबरपुर में उत्तर प्रदेश राज्य कताई मिल अकबरपुर, फैजाबाद में घटी घटना की जांच कर रिपोर्ट लिखायी है ? यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट में कौन–कौन अधिकारी व कर्मचारी मुलजिम हैं तथा उनमें से कौन–कौन अधिकारी व कर्मचारी उत्तर प्रदेश राज्य कताई की किन–किन मिलों में अभी भी कार्यरत हैं ? उनके विरुद्ध विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि श्री एस0 के0 सिंह ने उक्त मिल के प्रबन्धक पद का कार्यभार किस तिथि में ग्रहण किया था ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां।

दिनांक 29 दिसम्बर, 1985 को निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध रिपोर्ट लिखाई गई थी :—

1—श्री बाबू राम त्रिपाठी,

2—अतर हुसैन,

3—श्री राम जनम श्रीवास्तव,

4—श्री एस0 एन0 कटियार,

5—श्री एस0 के0 सिंह,

निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारी कम्पनी की निम्न इकाईयों में कार्यरत हैं :—

नाम	पद	इकाई
1—श्री एस0 के0 सिंह	मुख्य अधिशासी	मऊनाथ भंजन ।
2—श्री एस0 एन0 कटियार	स्पिनिंग सुपरिंटेन्डेन्ट	तवेव
3—श्री बाबूराम त्रिपाठी	सुरक्षा कर्मी	अकबरपुर ।

विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है ।

केवल प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर विभागीय कार्यवाही का कोई औचित्य नहीं था ।

श्री एस0 के0 सिंह द्वारा अकबरपुर इकाई के मुख्य अधिशासी के पद पर दिनांक 14 सितम्बर, 1981 को कार्यभार ग्रहण किया गया था ।

जनपद आगरा के ब्लाक फतेहपुर सीकरी के शुष्क क्षेत्र को सिंचित करने की योजना

158—श्री बदन सिंह—

क्या नियोजन मंत्री बतायेंगे कि जनपद आगरा के ब्लाक फतेहपुर सीकरी के शुष्क क्षेत्र को सिंचित करने की योजना बनाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता द्वारा लिखा पत्र जनवरी, 1988 में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पत्र पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

सिंचाई विभाग में चयनित आशुलिपिकों को कार्य पर रखा जाना

159—श्री महाराज सिंह यादव—

क्या सिंचाई मंत्री को विदित है कि सिंचाई विभाग में बिना परीक्षा पास किये ही एडहाक बेसिस पर कितने आशुलिपिक/लिपिक कार्यरत हैं ? उन्हें हटाकर चयनित आशुलिपिकों को कब तक रखा जायेगा ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

विभाग में 52 लिपिक एवं 6 आशुलिपिक तदर्थ आधार पर कार्यरत हैं इनमें से दो आशुलिपिकों को टिहरी डूब क्षेत्र के निवासी होने के कारण समायोजन संख्या

4112/28-10-88-15(433)-1981, दिनांक 7 दिसम्बर, 1988 में निहित प्राविधानों के अनुसार एक वर्ष के लिये तदर्थ आधार पर नियुक्ति की गई है ।

नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् के अधिकारियों की सतर्कता विभाग द्वारा की गई जांच पर निर्णय लिया जाना

160—श्री सुखपाल पाण्डे—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1985 के तीसरे शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 73 के उत्तर के संदर्भ में क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत् परिषद् के 225 अधिकारियों के विरुद्ध विजिलेन्स की जो जांच चल रही थी तथा 136 मामलों की जांच पूरी होकर परिषद् एवं शासन के विचाराधीन थी, पर अब तक क्या निर्णय लिया गया ? कौन-कौन अधिकारी दोषी पाये गये और किन अधिकारियों की जांच सतर्कता विभाग कर रहा है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् के 225 अधिकारियों के विरुद्ध विजिलेन्स की जांच पूर्ण की जा चुकी है जिन पर राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा कार्यवाही की जानी है ।

136 मामलों, जिनकी जांच पूर्ण हो चुकी थी, में से 57 अधिकारी दोषी पाये गये जिनके विरुद्ध राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा यथोचित कार्यवाही की जा चुकी है ।

उत्तर प्रदेश नलकूप निगम लि० द्वारा अवर अभियन्ता के रिक्त पदों के लिए चयन

161—श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश नलकूप निगम लि० द्वारा जनवरी, 1987 में अवर अभियन्ता (विद्युत्/इलेक्ट्रानिक्स) के कितने रिक्त पदों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये थे एवं इन पदों हेतु कुल कितने आवेदन पत्र अंतिम तिथि तक प्राप्त हुए ? इनमें से कुल कितने अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु बुलाया गया तथा किन-किन अभ्यर्थियों को चयन कर उन्हें नियुक्ति पत्र अब तक जारी कर दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब होने का कारण क्या है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

उत्तर प्रदेश नलकूप निगम लि० द्वारा जनवरी, 1987 में अवर अभियन्ता (विद्युत्/इलेक्ट्रानिक्स) का एक-एक पद कम्प्यूटर केन्द्र औरैया, रुड़की एवं लखनऊ हेतु विज्ञापन द्वारा आमंत्रित किये गये थे ।

अंतिम तिथि दिनांक 5 फरवरी, 1987 तक कुल 463 आवेदन पत्र प्राप्त हुये थे ।

किसी भी अभ्यर्थी को साक्षात्कार हेतु नहीं बुलाया गया । अतः नियुक्ति पत्र जारी करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

क्योंकि शासन द्वारा ओखला एवं रुड़की कम्प्यूटर केन्द्र का कार्य नलकूप निगम को आवंटित नहीं किया गया। बाद में लखनऊ में भी कम्प्यूटर केन्द्र में अवर अभियन्ता विद्युत/इलेक्ट्रिकल के पद की कोई आवश्यकता नहीं समझी गई।

बरेली मुरादाबाद तथा पूर्वी क्षेत्र के राजकीय साधनों द्वारा सींचित क्षेत्र तथा आठवीं योजना के लिए योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा कार्यकारी दल का गठन

162—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली तथा मुरादाबाद मंडल के क्षेत्रफल का राजकीय साधनों द्वारा सिंचित प्रतिशत क्षेत्रफल पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल के राजकीय साधनों द्वारा सिंचित प्रतिशत क्षेत्रफल के मुकाबले सप्तम पंचवर्षीय योजना के अंत तक कितना-कितना होगा? क्या बरेली और मुरादाबाद मंडल के क्षेत्रफल में राजकीय साधनों द्वारा सिंचित क्षेत्रफल के प्रतिशत को पिछड़े हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल में राजकीय साधनों द्वारा सिंचित क्षेत्रफल के प्रतिशत के बराबर लाने के लिए आठवीं योजना में कोई प्राविधान किया है? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

बरेली, मुरादाबाद मण्डलों एवं पूर्वी क्षेत्र के कृषि योग्य क्षेत्रफल का वर्ष 1988-89 तक राजकीय साधनों द्वारा सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत निम्नानुसार है:

('000 हेक्टेयर)

मण्डल/क्षेत्र	कृषि योग्य क्षेत्रफल	वर्ष 1988-89 तक सिंचन क्षेत्र	सिंचन क्षेत्र का कृषि योग्य क्षेत्र से प्रतिशत
बरेली मण्डल	1422.89	567.92	39.91
मुरादाबाद मण्डल	1070.56	493.99	46.14
पूर्वीक्षेत्र	6543.11	3834.96	58.61

आठवीं योजना के लिये योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा कार्यकारी दल गठित किया गया है जो आठवीं योजना में सम्मिलित की जाने वाली योजनाओं को तय करेगा।

ग्राम रिछपाल, जनपद गाजियाबाद के निकट बहने वाले डासना नाले पर पुल का निर्माण

163—श्री महेन्द्र भाटी—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम रिछपाल गढ़ी विकास खण्ड बिसरख जनपद गाजियाबाद के निकट बहने वाले डासना नाले में 6 अबोध बच्चे एवं 4 भैंसें डूब कर मर गयी हैं? क्या यह भी सही है कि ग्राम के निकट उपरोक्त नाले पर कोई पुल भी नहीं है? यदि हां, तो क्या शासन उक्त नाले पर पुल का शीघ्र निर्माण करायेगी?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी नहीं। नाले में इस स्थल पर सीमेन्ट के पाइप डालकर अस्थाई रूप से रास्ता बनाकर आवागमन चालू रखा हुआ है। यह अवश्य है कि अत्यधिक वर्षा में जब नाले में बाढ़ आती है उस समय क्षेत्र के निवासियों के पशुओं व बच्चों को नाला पार करने में कठिनाई होती है।

डासना नाले के पुनरोद्धार हेतु सिंचाई विभाग द्वारा एक परियोजना बनाई गई है जिसके अन्तर्गत इस स्थल पर एक पुल का निर्माण प्रस्तावित है। यह परियोजना सिंचाई विभाग में परीक्षण में है। परियोजना स्वीकृत होने एवं धन उपलब्ध होने पर पुल का निर्माण कराया जायेगा।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद में राजकीय नलकूप खराब होने के कारण किसानों के लिए गम्भीर संकट

164—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद में 50 प्रतिशत से अधिक राजकीय नलकूप काफी अरसे से खराब पड़े हैं जिससे किसानों के सामने गम्भीर संकट पैदा हो गया है और खरीफ में काफी क्षति होने के साथ रबी की बोआई भी न हो पाने का खतरा पैदा हो गया है? क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन को सम्बोधित दिनांक 27 सितम्बर, 1988 का पत्र मिल गया है? यदि हां, तो इस बारे में अब तक की कृत कार्यवाही और सही तथ्यों के विवरण को सदन के पटल पर रखने में सरकार को क्या कठिनाई है?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी नहीं।

जनपद फैजाबाद में 1 अप्रैल, 1988 को सिंचाईरत 670 राजकीय नलकूपों द्वारा खरीफ 1988 में 2,08,146 घंटे चल कर 7,255 हेक्टेयर सिंचाई हुई है तथा रबी 1988–89 में 31 जनवरी, 1989 तक 2,33, 259 घंटे चल कर 11,715 हेक्टेयर सिंचाई हुई है।

जी हां।

इस पत्र द्वारा निम्नलिखित नलकूपों की बन्दी के बारे में शिकायत की गई थी जिनकी वर्तमान स्थिति निम्न प्रकार है।

1—1 ए0 जी0 रोहनपारा	चालू है।
2—1 ए0 ए0 जी0 ऊंची पारा	तदेव
3—3 ए0 जी0 रनौवा	तदेव
4—280 ए0 जी0 अहिरौली	तदेव
5—224 ए0 जी0 बसोहटी	ट्रांसफार्मर के खराबी से 26 दिसम्बर, 1988 से बन्द है।

6—258 ए0 जी0 नसीरपुर	8 अगस्त, 1988 से अधिक बालू देने के कारण बन्द है। अतः पुनः विकासन हेतु प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।
7—257 ए0 जी0 बलईपुर	चालू है।
8—223 ए0 जी0 अर्जुनपुर	1 फरवरी, 1989 से पम्प खराबी से बन्द है।
9—334 ए0 जी0 पाण्डे पकौली	चालू है।
10—2 ए0 ए0 जी0 पाण्डे पकौली	चालू है।
11—203 ए0 जी0 प्रतापीपुर	7 फरवरी, 1989 से पम्प दोष से बन्द है।

विद्युत् दोष से बन्द नलकूप के लिये विद्युत् अधिकारियों से निरन्तर संपर्क किया जाता रहा है। शेष यांत्रिक दोष से बन्द नलकूपों को एक सप्ताह में चालू किये जाने की आशा है।

मेरठ जनपद में परतापुरा को औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया जाना

165—श्री राजेन्द्र शर्मा—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ जनपद में परतापुरा को औद्योगिक क्षेत्र को घोषित किया गया था ? क्या यह सही है कि इस क्षेत्र की जमीन का उद्देश्य आज भी खेती ही है उद्योग नहीं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

नियम 311 के अन्तर्गत दी गई सूचना के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

311 की हमारी एक सूचना है, उस पर.....।

श्री उ[illegible]क्ष—

1 की सूचना हमने अग्राह्य कर दी है, 301 ले रहा हूं....।

श्री र[illegible] कुमार गुप्त—

[illegible] विपक्षी दलों पर आपके प्रधान मंत्री राजीव गांधी ने इतना बड़ा आरोप लगा दिया....

(व्यवधान)

पंजाब में आतंकवाद के बढ़ावा देने की बात कह दी....

(घोर व्यवधान)

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

मैंने भी 311 में दिया था....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

कुछ नहीं अब बैठिए....

(व्यवधान)

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—

नियम 301 में 26 सूचनाएं प्राप्त हुई थीं, जिसमें से श्लाका द्वारा 7 स्वीकार की गई हैं। यह स्वीकृत सूचनाएं श्री रामआसरे वर्मा, श्रीमती विजय लक्ष्मी, डाक्टर दिनेश औहरी, कर्नल केसरी सिंह, श्री राम बदन एडवोकेट, श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी और श्री श्याम बिहारी सिंह की हैं और शेष सभी सूचनाएं अग्राह्य की गई हैं। इनको पढ़ा हुआ माना गया है। मैं....

(व्यवधान)

(सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गई।)

चिड़ियाघर लखनऊ के कर्मचारियों में असन्तोष के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम आसरे वर्मा—

[मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से निम्नांकित लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं।

जनता को पशुपक्षियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने और जनता का मनोरंजन करने के लिए लखनऊ चिड़ियाघर सरकार की सहायता से संचालित है किन्तु चिड़ियाघर के निदेशक के पक्षपातपूर्ण व्यवहार और नियम विरुद्ध कामों से चिड़ियाघर घाटे में है। चिड़ियाघर में रिटायर हुए तथा अन्य कर्मचारी चिड़ियाघर के मकानों में अवैधानिक रूप से रहते हैं जब कि कर्मचारियों को रहने हेतु पर्याप्त मकान नहीं हैं। घाटे का बहाना लेकर पुराने कर्मचारी निकालकर नये भर्ती किए हैं। चार अस्थाई नियुक्त व्यक्तियों में से एक को बोनस दिया गया है। शेष तीन को बोनस न देकर पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया है जिससे कर्मचारी असन्तुष्ट हैं। निदेशक ने अपने बंगले की सफेदी, रंग तथा नक्शा बदलने में तीस हजार रुपए खर्च किए। डिप्टीरेंजर को एक मोटर साइकिल चिड़ियाघर देखने हेतु खरीदी गई जबकि चिड़ियाघर इतना विस्तृत नहीं है कि मोटर साइकिल से देखा जाय अर्दली एवं खलासी का पद न होते हुए भी निदेशक स्वयं अपने लिए अर्दली एवं खलासी तथा उप निदेशक के लिए अर्दली का पद सैंक्शन किए हुए हैं।

उक्त चिड़ियाघर की बिगड़ती हुई व्यवस्था से लोकमहत्व के प्रश्न पर मैं माननीय वन मंत्री से जांच की मांग करता हूं।]

नोट :—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जिला बलिया में ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती विजय लक्ष्मी--

[मान्यवर जनपद बलिया में ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग में काफी बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है । विभाग में किए जा रहे कार्यों का अनुबन्ध अन्य किसी व्यक्ति के नाम होकर श्री परमेश्वर नाथ तिवारी व श्री रामपूजन तिवारी के नाम ही विभागीय अधिकारियों द्वारा निहित स्वार्थवश किया जा रहा है जिसकी जानकारी होने पर विभागीय वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा न तो जांच कराई गई और न आडिट ही किया गया । विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इस प्रकार की उपेक्षापूर्ण रवैया के परिणाम स्वरूप विभागीय कर्मचारियों द्वारा खुलेआम धन का दुरुपयोग किया जा रहा है तथा कम कार्य का अधिक भुगतान कर दिया जाता है । इसी प्रकार से बैरिया-मधुबनी सम्पर्क मार्ग पर अधिकारियों द्वारा मनमाने तरीके से 1,10,000 रुपये का भुगतान करवा गया और सड़कों के निर्माण में भी व्यापक रूप से धांधली की जा रही है जिसके परिणाम स्वरूप सड़कों की हालत काफी खराब है । सड़कों के खराब होने एवं विभाग द्वारा व्यापक धन दुरुपयोग से स्थानीय जनता में काफी रोष एवं क्षोभ व्याप्त है ।

अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को आपकी अनुज्ञा से सदन के संज्ञान में लाते हुए सम्पूर्ण मामले की उच्चस्तरीय जांच कराए जाने की मांग करती हूं ।]

प्रदेश की नगर पालिका व टाउन एरिया द्वारा ट्रकों व मिनी ट्रकों पर तहबजारी लगाए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डाक्टर दिनेश जौहरी--

[मान्यवर, प्रदेश की नगरपालिका एवं नगर क्षेत्र समितियों में अवैध रूप से ट्रकों से ट्रैफिक तहबाजारी वसूल करने की शिकायत मिली । नगर क्षेत्र व प्राधिसूचित क्षेत्र समितियां बैरियर लगा कर वाहनों से ट्रैफिक तहबाजारी वसूल कर रही हैं । बरेली जनपद की अनेक नगर पालिकाओं व जिला परिषद् भी अवैध रूप से ट्रक मालिकों से पथ कर वसूली कर रहे हैं । जबकि मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश व अपने वर्ष 1987 व 88 में प्रदेश में इस प्रकार की वसूली को अवैध घोषित करते हुए रोकने के आदेश दिए हैं ।

अतः मैं मांग करता हूं कि बरेली जनपद तथा प्रदेश की अन्य नगर पालिकाओं व जिला परिषद् द्वारा ट्रक मालिकों से अवैध रूप से वसूली किया जा रहा पथ कर समाप्त कराया जावे ।]

जिलों में सैनिक विश्राम गृहों पर अवैधानिक कब्जों के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

कर्नल केशरी सिंह--

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदन का ध्यान एक लोक महत्व के विषय पर आकृष्ट करना चाहता हूं । प्रदेश के जिलों में सेवारत एवं भूतपूर्व सैनिकों

नोट :--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

के लिए सैनिक विश्राम गृह निर्मित है इनमें से कई जिलों में इन विश्राम गृहों पर सिविलियन अधिकारियों ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है और सैनिकों के लिए वहां स्थान नहीं मिलता है उदाहरणार्थ हमीरपुर के विश्राम गृह पर एक अधिकारी ने कब्जा किया हुआ है। इसी प्रकार बरेली, मुरादाबाद, फैजाबाद के सैनिक विश्राम गृह में भी सैनिकों के लिए स्थान नहीं है।

अतएव इस सम्मानित सदन के माध्यम से मैं शासन से अनुरोध करता हूं कि हर जिले के सैनिक विश्राम गृह को अवैध कब्जे से मुक्त कराया जाय सैनिकों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए सुरक्षित रखा जाय।]

जिला गाजीपुर के ब्लाक विरनो से रामपुर-पन्सेरवा तक के मार्ग को लेवल स्तर तक बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम बदन एडवोकेट--

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान जनहित में अविलम्बनीय लोक महत्व के जनपद गाजीपुर के विकास खण्ड विरनो से रायपुर, बोगना, विपनगर होते हुये पन्सेरवा तक मार्ग की स्वीकृति की ओर आकृष्ट करता हूं। इस सड़क की स्वीकृति आर0 एल0 ई0 जे0 सी0 के अन्तर्गत स्वीकृति की गई थी। जिससे सा0 नि0 वि0 के द्वारा कार्य करवाया गया, लेकिन इस सड़क का कार्य मिट्टी, पुलिया तथा गिट्टी की जो मात्रा दी गई इसमें उचित मात्रा में नहीं दी गई है, जिससे यह सड़क खराब बनी हुई है। इसमें भूमि भी स्थानीय लोगों ने विभाग को प्राप्त करा दिया है। लेकिन अभी तक सड़क का कार्य पूरा नहीं किया गया है। इस सड़क का कार्य पूरा लेवल स्तर तक धन आवंटित कराकर पूरा होना चाहिए, क्योंकि इस सड़क के न बनने से हजारों लोगों के मन में रोष एवं असंतोष व्याप्त है। इस सड़क के न बनने से कई बार हजारों लोगों ने धरना एवं प्रदर्शन भी किया, क्योंकि यह सड़क उस क्षेत्र के लिए प्रमुख मार्ग है।

अतः आपसे निवेदन है कि सरकार को निर्देशित करके उक्त सड़क के अधूरे कार्य को पूरा करके लेवल स्तर तक पूरा किया जाय। जिससे सड़क से वहां के हजारों लोगों को सुविधा प्राप्त हो सके।]

उत्तर प्रदेश जल निगम के अस्थायी कर्मचारियों को विनियमित किए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

[मान्यवर, 6 हजार वर्कचार्ज और 7 हजार दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के विनियमितीकरण की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश जल निगम कर्मचारी संगठन के लोग 25 अक्तूबर, 1988 से जल निगम मुख्यालय, लखनऊ पर क्रमिक अनशन पर हैं। 15 वर्ष से 25 वर्ष तक की अवधि से जल निगम में अनवरत सेवारत रहने के बावजूद इन कर्मचारियों को नियमित न किया जाना बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है।

जल निगम के निदेशक मण्डल द्वारा 5 नवम्बर, 1984 को पांच वर्ष या उससे अधिक समय से लगातार सेवारत कर्मचारियों के विनियमतीकरण का निर्णय लिया गया,

---

नोट :--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

था, लेकिन बाद में प्रशासन द्वारा केवल 2163 पदों का सृजन किया जाना आवश्यक माना है।

अब जल निगम प्रशासन ने कार्यालय ज्ञाप संख्या 135/प्र0-42--ज0प्र0 ल0-विनियमितीकरण, दिनांक 9 फरवरी, 1989 द्वारा 2,500 लोगों का नियमित कार्य प्रभारित अधिष्ठान बनाने के आदेश दिए हैं जिससे न तो जल निगम में सेवारत सभी कर्मचारियों की सेवाओं का विनियमितीकरण होगा और न उन्हें जी0 पी0 एफ0, ग्रेच्युटी पेंशन तथा फण्ड आदि की सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा।

इस विषय को सदन के संज्ञान में लाकर कर्मचारियों के लिए न्याय की मांग करता हूं।]

जिला बरेली में बरेली-बदायूं रूट पर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अवैध रूप से भूमि अर्जन के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री श्याम बिहारी सिंह--

[मान्यवर, बरेली-बदायूं रूट से रामपुर दलीगंज की ओर आने जाने वाले मार्ग पर परागंव के पास अनाधिकृत रूप से एक किसान जिसके खेत से सड़क गुजरती है। न अभी तक अपनी जमीन का सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अर्जित किये जाने के बाद मनमाने ढंग व नाम लेने से रूट होकर बैरियर लगाकर 5 से 10 रु0 तक प्रति वाहन वसूल कर रहा है। इसके कारण सरकारी रोडवेज की बसों को आवागमन बन्द हो गया है। 6 मार्च को गुहिया-गौरीराक में होने वाले मेले में जिसमें 2-3 धर्म यात्री जाते हैं उनके पहुंचने में अवरोध पैदा होने की आशंका है।

अतः मैं मांग करता हूं कि अवैध बैरियर हटवाये जावें न कि संदर्भित किसान की जमीन का मुआवजा दिलवाया जावे।]

नियम 311 के अन्तर्गत दी गई सूचना के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

(क्रमागत)

(घोर व्यवधान के साथ)

श्री उपाध्यक्ष--

मैं नहीं सुन रहा हूं, उसको मैं नहीं सुन रहा हूं। कुछ नहीं सुन रहा हूं। यह कुछ लिखा नहीं जायेगा। एक सदन की कार्यवाही से दूसरे सदन का कोई सम्बन्ध नहीं है।

(व्यवधान)

श्री नरेन्द्र देव--

प्रस्ताव आप अस्वीकार कर चुके हैं, अब किसी को भी आप सुनने का अवसर न दें....

(घोर व्यवधान)

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

(भारतीय जनता पार्टी के समस्त सदस्य और कांग्रेस व शेष विपक्ष के कतिपय सदस्य अपने स्थानों पर खड़े हो गये और बोलने का प्रयास करते रहे ।)

श्री उपाध्यक्ष—

अब मैं 300 को ले कर बोल रहा हूं, 311 को पूरी तरह अस्वीकार कर चुका हूं । दूसरे सदन में क्या हो रहा है, इसका कोई वास्ता नहीं है ।

(व्यवधान)

300 की जो सूचनाएं मुझे मिली हैं, मैं उनको ले रहा हूं ।

(व्यवधान)

(श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी अपने स्थान पर बोलने हेतु खड़े हुए ।)

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, आप मुझे सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने 311 को अस्वीकार कर दिया है, उससे हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है ।

*श्री नरेन्द्र देव—

उसको आप किस प्रकार सुनेंगे, सदन नियमों के अन्तर्गत चलेगा ।

(व्यवधान)

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

पहले आपको प्रस्ताव सुनना चाहिए । मैं 311 में दे रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने सुनने से पहले ही अग्राह्य कर दिया है ।

*श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । आपने 311 में श्री गुप्त जी की सूचना को अग्राह्य किया है, उसको मैं शिरोधार्य करता हूं, लेकिन मैं विनती करता हूं कि अगर किसी घटना से हमारी भावना को ठेस लगे और हम उस पर विरोध या खेद....

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं ।

(घोर व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, सुन लें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं नियम 311 पर नहीं सुनूंगा। सूर्य प्रताप शाही जी आपको 300 पर कुछ कहना हो, तो कहें।

(श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी, डाक्टर बंगाली सिंह, डाक्टर विनय जोहरी तथा श्री भगवान दीन कुशवाहा एवं अन्य सदस्यों के सदन के फ्लोर पर आ जाने से घोर व्यवधान)।

श्री उपाध्यक्ष—

आप लोग आसन ग्रहण करें। मैं 311 पर अध्योहार कर सकता हूं। मैं उस पर नहीं सुनूंगा।

प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 299-क के अन्तर्गत श्री भगवानदीन कुशवाहा को सदन से निलम्बन

(श्री भगवानदीन कुशवाहा द्वारा एजेण्डा माननीय उपाध्यक्ष की ओर फेंके जाने पर।)

श्री उपाध्यक्ष—

कुशवाहा जी, आप कागज क्यों फेंक रहे हैं?

(घोर व्यवधान)

(श्री भगवानदीन कुशवाहा जी ने सदन के बैल म आकार कागज फका ह इसलिए यह नियम 299-क के अन्तर्गत निलंबित करते गये)

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

मैं 311 से सम्बन्धित कोई व्यवस्था नहीं सुनूंगा।

(घोर व्यवधान)

मैं 300 पर सुनना चाहता हूं आप सब लोग बैठ जायें।

(सभी सदस्य अपने-अपने आसन पर वापस चले गये।)

*श्री किरनपाल सिंह—

इतना गम्भीर मामला है और आप सुन नहीं रहे हैं।

(घोर व्यवधान)

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

[× × ×]

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं क्या।

नोट—[×××] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

[× × ×]

(शोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

इसको नहीं लिखा जाएगा मैं नियम 311 पर नहीं सुनूंगा।

(शोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

मैं हाउस को 15 मिनट के लिए स्थगित करता हूं।

(इस समय 12 बजकर 30 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी। 12 बजकर 45 मिनट पर मार्शल ने सूचित किया कि माननीय उपाध्यक्ष ने सदन का स्थगन 1 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है। 1 बजे मार्शल ने पुनः सूचित किया कि माननीय उपाध्यक्ष ने सदन का स्थगन 15 मिनट और बढ़ा दिया है।

1 बजकर 15 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

निलम्बन के सम्बन्ध में श्री भगवानदीन कुशवाहा द्वारा जानकारी की मांग

* श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री भगवान दीन कुशवाहा—

मान्यवर, आपके मार्शल ने सूचना दी है कि भगवान दीन कुशवाहा का निलम्बन कर दिया गया है, इसकी स्थिति स्पष्ट करें।

श्री उपाध्यक्ष—

इसकी कोई जरूरत नहीं है।

* श्री भगवान दीन कुशवाहा—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि आपके मार्शल ने सूचना दी है कि भगवान दीन कुशवाहा का निलम्बन कर दिया गया है। मैं इस चीज को स्पष्ट करवाना चाहता हूं कि क्यों निलम्बित कर दिया गया है?

(व्यवधान)

मान्यवर, मैं इस चीज को स्पष्ट करवाना चाहता हूं कि आपके मार्शल ने सूचना दी है कि हमको निलम्बित कर दिया गया है तो क्यों किया गया है, इसको स्पष्ट कर दें?

श्री उपाध्यक्ष—

अभी स्पष्ट किए देता हूं?

"299-क—यदि कोई सदस्य सदन के किसी उपवेशन में सभा मण्डप के मध्य रिक्त स्थान में आकर सदन के सेवकों की मेज पर रखे पत्रादि को छीनता है या छीनने

नोट—[×××] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

का प्रयास करता है अथवा उन्हें फाड़ता है या फाड़ने का प्रयास करता है अथवा कोई कागज, पत्रावली आदि अध्यक्ष पीठ की ओर फेंकता है या फेंकने का प्रयास करता है अथवा अध्यक्ष पीठ पर चढ़ता है या चढ़ने का प्रयास करता है तो अध्यक्ष अथवा पीठासीन सदस्य द्वारा ऐसे सदस्य का नाम पुकारे जाने पर, ऐसा सदस्य उक्त उपवेशन के लिए सदन की सेवा से निलम्बित समझा जायेगा ।"

नियम 311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना के सम्बन्ध में जानकारी की मांग (क्रमागत)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, इसे वापस ले लीजिये ।

(व्यवधान के मध्य)

* श्री कौशिक रमाशंकर--

मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि इसको वापस ले लीजिये ।

* श्री देवेन्द्र पाण्डेय--

मान्यवर, [× × ×] आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं और [× × ×] बात कर रहे हैं । यह सदन की नियमावली में कोई परिवर्तन नहीं होगा ।

* श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, कभी-कभी बड़े जिम्मेदार व्यक्तियों के मुख से गैर जिम्मेदारी की बात निकल जाती है ।

(व्यवधान)

* श्रीमती प्रेमवती तिवारी--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष--

गुप्त जी वास्तव में बात यह है . . . ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, जिसका पूरे राष्ट्र पर बड़ा दुष्परिणाम होता है ।

* श्री पूरन सिंह माहरा--

मान्यवर, इसे बिल्कुल न लिखा जाय ये गलत बात कह रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

गुप्त जी, पार्लियामेन्ट में किसी ने कुछ कहा तो उस पर यहां कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता ।

नोट :--[× × ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

* वक्ताओं के भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

(समय 1 बजकर 20 मिनट)

(घोर व्यवधान)

चूंकि सदन में कोई कुछ कहता है, उस पर दूसरे सदन में व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है, चूंकि इससे हमारे बोलने की व्यवस्था समाप्त हो जायगी ।

(घोर व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त ने कुछ बोलना आरम्भ किया किन्तु वह घोर व्यवधान के कारण सुनाई नहीं पड़ा।)

श्री उपाध्यक्ष—

मैं गुप्त जी को इजाजत नहीं दे रहा हूं ।

(घोर व्यवधान)

आप सब आसन ग्रहण करें ।

(घोर व्यवधान)

* श्री नरेन्द्र देव—

हम नहीं बोलने देंगे ।

श्री उपाध्यक्ष—

जब कोई बात होगी तो रोक देंगे । माननीय तिवारी जी व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते हैं तो उन्हें उठा लेने दीजिए । जब कोई बात होगी तो मैं स्वयं रोक दूंगा । तिवारी जी को व्यवस्था का प्रश्न उठाने दीजिए । ये अगर कुछ कहेंगे तो रोक दूंगा । व्यवस्था का प्रश्न तो सुन लूं ।

(घोर व्यवधान)

तिवारी जी का व्यवस्था का प्रश्न तो सुन लेने दीजिए । क्या कहना चाहते हैं, पता तो लगे,

(घोर व्यवधान)

वह क्या कहना चाहते हैं, मुझे पता नहीं लगा है ।

* श्री जयनारायण तिवारी—

इस सन्दर्भ में कोई बात नहीं सुनी जा सकती ।

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय तिवारी जी को व्यवस्था का प्रश्न उठाने दीजिए । एक मिनट के लिए आसन ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान)

---

* वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

वह क्या कहना चाहते हैं ? तिवारी जी को एक मिनट अपना सवाल उठाने तो दीजिए । क्या कहते हैं पता चल जाय । आप तिवारी जी को एक मिनट बोलने दीजिए । पता चल जाय, क्या कहना चाहते हैं ?

(घोर व्यवधान)

श्री देवेन्द्र पाण्डेय—

मान्यवर, यह गलत बात है । मान्यवर, किसी हालत में बोलने नहीं दिया जायेगा ।

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो पता चल जाय कि किस विषय को उठाना चाहते हैं ?

(श्री राम शरण दास सदन के फ्लोर पर आ गये और विपक्ष के अनेक सदस्य नारे लगाने लगे ।)

श्री उपाध्यक्ष—

मैं सदन को 15 मिनट के लिए स्थगित करता हूं ।

(इस समय 1 बजकर 23 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी । 1 बजकर 38 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सूचित किया कि माननीय उपाध्यक्ष ने सदन का स्थगन 2 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है ।

2 बजे सदन की कार्यवाही श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री भगवानदीन कुशवाहा के निलम्बन के निर्णय पर पुनः विचार हेतु अनुरोध तथा सदन के व्यवस्थित चलाने हेतु दोनों पक्षों के दायित्व सम्बन्धी व्यवस्था का प्रश्न

(माननीय उपाध्यक्ष द्वारा श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी का नाम पुकारे जाने पर ।)

श्री पूरन सिंह माहरा—

दूसरे सदन की हम कोई भी बात यहां नहीं सुनेंगे ।

(सत्ता पक्ष के अनेकों माननीय सदस्यों के खड़े होकर एक साथ बोलने का प्रयास करने पर घोर व्यवधान ।)

सार्वजनिक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, जिस बात को आपने अस्वीकार कर दिया, वह बात यहां नहीं हो सकती, यह परम्परा बिल्कुल सही नहीं है कि दूसरे सदन की बात की यहां पर चर्चा की जाय । उसके अतिरिक्त माननीय तिवारी जी अगर कुछ कहना चाहें, तो वह कहें लेकिन उससे सम्बन्धित कोई बात यहां पर नहीं की जानी चाहिए, यह मेरा हाथ जोड़ कर उनसे विनम्र निवेदन है ।

* श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

श्रीमन्, मेरे व्यवस्था के दो प्रश्न हैं । एक तो आपने व्यवस्था दी और नियमों का हवाला देते हुए एक माननीय सदस्य को निष्कासित कर दिया । श्रीमन्, इसके पहले भी

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इस तरह की घटनायें हुई हैं, लेकिन तब आपने कुछ नहीं कहा। तो श्रीमन्, अगर आप नियमों का कड़ाई से पालन करने की बात करना चाहते हैं तो हम उसका स्वागत करेंगे लेकिन श्रीमन्, आपके आसन से जब पहले ढील दी गयी, अब जब इस तरह की बात यहां पर हुई और आपने मन बनाया कि नियमों का कड़ाई से पालन करना है, तो हम उसके लिए बधाई देते हैं। लेकिन मैं अनुरोध करता हूं कि अपने इस निर्णय पर पुनर्विचार कर के कम से कम आज उस निर्णय को निरस्त कर दें और उसके बाद ही कार्यवाही प्रारम्भ करें।

दूसरी बात श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से अपने सत्ता पक्ष के मित्रों से निवेदन करना चाहूंगा कि हम सारे लोगों का यह दायित्व है कि सदन कायदे से चले। हमारी वहीं भावना हो सकती है, जिससे आप असहमत हों लेकिन हमने ब्रिटिश पार्लियामेन्ट से इस सिस्टम को फालो किया है, जिसकी इमारत पर लिखा हुआ है कि "मैं तुम्हारे विचारों से असहमत हूं लेकिन तुम्हारे अधिकार के लिए, कि तुम अपने विचारों को व्यक्त कर सको, जिन्दगी की आखिरी बूंद तक लड़ाई लड़ूंगा।" श्रीमन्, यह आधार है। श्रीमन् आज जो भी घटना हुई है, उससे समूचा विषय अपने को आहत महसूस कर रहा है। श्रीमन्, हमें किसी ने कुछ कहा, चाहे वह कितना भी बड़ा आदमी क्यों न हो ?

(श्री तिवारी जी के भाषण के मध्य ही सत्ता पक्ष के अनेकों सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होकर जोर-जोर से अपनी बात कहने का प्रयास करने एवं एजेन्डा इत्यादि कुछ कागजों को सदन के फ्लोर पर फेंके जाने से घोर व्यवधान)

*श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, इन लोगों को बाहर निकालिये।

(विपक्ष के कई सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये और नारे लगाने लगे।)

श्री उपाध्यक्ष--

मैं सदन को 15 मिनट के लिये स्थगित करता हूं।

(इस समय 2 बजकर 4 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिये स्थगित कर दी। 2 बजकर 19 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सूचित किया कि माननीय उपाध्यक्ष ने सदन का स्थगन 3 बजे तक के लिये बढ़ा दिया है। 3 बजे डिप्टी मार्शल ने पुनः सूचित किया कि श्री उपाध्यक्ष ने सदन का स्थगन 3 बजकर 15 मिनट तक के लिये और बढ़ा दिया है। 3 बजकर 15 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने पुनः सूचित किया कि माननीय उपाध्यक्ष ने सदन का स्थगन 3 बजकर 30 मिनट के लिये और बढ़ा दिया है।

3 बजकर 30 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

सत्तापक्ष की तरफ से कुछ कागजात सदन के फ्लोर पर फेंके जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर घोर व्यवधान)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, हमारा एक व्यवस्था का प्रश्न है, जिस समय आपने सदन को स्थगित किया, आपके सामने उस पक्ष के माननीय सदस्यों ने कुछ कागज फेंके और यहां पर एक फाइल है वह फेंकी जो माननीय रघुवर दयाल वर्मा को लगी।

(कई सदस्यों के एक साथ पुनः खड़े होकर बोलने से व्यवधान हुआ, जिस कारण कुछ सुनाई नहीं पड़ा।)

मान्यवर, यह सदन की खुलेआम अवमानना है और यह अवमानना सभी के सामने यहां पर हुई है और नियमों में है कि जब सदन की अवमानना सभी के समक्ष हो तो इस पर किसी सूचना व जांच की आवश्यकता नहीं होती है, इस पर तुरन्त विचार होता है। इसलिये मान्यवर, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि नियमों के तहत आज सदन की कार्यवाही स्थगित कर पहले इस पर चर्चा करावें।

(घोर व्यवधान)

मान्यवर, एक तरफ तो आप हमसे अच्छे आचरण की अपेक्षा करेंगे, संसदीय परम्पराओं के पालन की अपेक्षा करेंगे वहीं पर दूसरी तरफ उस पक्ष के लोग इस प्रकार का काम करेंगे। इसलिए मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी और उस पक्ष के माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि आज सदन में जो कुछ घटा क्या उससे भी इंकार कर सकेंगे, अगर इसका भी इंकार आप करेंगे तो एक प्रकार से सत्य का गला घोटना आप चाहते हैं। मान्यवर, बहुमत के बल-बूते पर जो चाहे कर लें, सत्य को असत्य बना दें, लेकिन यह घटना आज सभी के सामने घटी है। इसलिये इस पर आपकी व्यवस्था चाहते हैं कि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ जो सदन की परम्पराओं व सदन की मर्यादा से भिन्न है और जब सदन के सामने कोई विशेषाधिकार हनन हो तो ऐसी स्थिति में सदन की कार्यवाही रोक कर पहले उस पर चर्चा करायी जाती है, इसलिये पहले आज इस पर चर्चा करायें, बाद में दूसरे कामों को लें।

(शोर)

श्री उपाध्यक्ष—

आप लोग अपना-अपना आसन ग्रहण करें। जिस समय उधर से कागज फेंके गये उस समय सदन दोनों तरफ से व्यवस्थित नहीं था, वैसे जो कुछ भी हुआ है वह नहीं होना चाहिये।

(शोर)

सार्वजनिक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

तिवारी जी ने जो बात कही है।

(विरोध पक्ष के कई सदस्य एक साथ खड़े होकर जोर-जोर बोलने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान हो गया)

औचित्य के प्रश्नों की सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष—

नियम 300 के अन्तर्गत आज 10 सूचनायें प्राप्त हुयी हैं और यह सभी सूचनायें अस्वीकृत की गयीं।

(घोर व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कार्यस्थगन प्रस्तावों की सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष--

आज नियम 56 के अन्तर्गत कुल 28 सूचनायें प्राप्त हुईं। सभी सूचनायें अस्वीकृत की गयीं।

(घोर व्यवधान)

सत्ता पक्ष की तरफ से कुछ कागजात सदन के फ्लोर पर फेंके जाने सम्बन्धी व्यवस्था का प्रश्न (क्रमागत)

सार्वजनिक निर्माण एवं संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, माननीय तिवारी जी ने जो बात कही है, वह बात यहां पैदा कैसे हुई और फ्लोर पर आकर कौन लोग बैठे थे।

(घोर व्यवधान)

चाहे नियम 311 के अन्तर्गत कोई मामले आये या न आयें ...

(व्यवधान)

लेकिन इनकी हर बात हर नियम के अन्तर्गत उठायी जा सकती है...

(घोर व्यवधान)

"हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम,
वह कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती"

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय तिवारी जी यह घटना उस समय घटी जब सदन दोनों ओर से व्यवस्थित नहीं था, वैसे जो कुछ भी हुआ है, वह नहीं होना चाहिये।

(विरोध पक्ष के अधिकांश सदस्यों के सदन के फ्लोर पर जाने से घोर व्यवधान)

वित्तीय वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या 71--सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान), अनुदान संख्या 71--सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावसिक भवन, अनुदान संख्या 73--सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन), अनुदान संख्या 74--सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन), अनुदान संख्या 75--सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन), अनुदान संख्या 75-क--सार्वजनिक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय), अनुदान संख्या 62--विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग (विधान मण्डल)

सार्वजनिक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि विधान सभा की आज दिनांक 1 मार्च, 1989 की कार्य सूची की मद संख्या 9 की उपमदों--

(1) अनुदान संख्या 71--सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान), के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु

लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 68,05,42,000 रुपये से अनधिक धनराशि,

(2) अनुदान संख्या 72--सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 26,93,32,000 रुपये से अनधिक धनराशि,

(3) अनुदान संख्या 73--सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 6,82,54,000 रुपये से अनधिक धनराशि,

(4) अनुदान संख्या 74--सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा धनराशि के अतिरिक्त 12,55,20,000 रुपये से अनधिक धनराशि,

(5) अनुदान संख्या 75--सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,63,54,69,000 रुपये से अनधिक धनराशि,

(6) अनुदान संख्या 75-क--सार्वजनिक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों के चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,76,000 रुपये से अनधिक धनराशि, तथा

(7) अनुदान संख्या 62--विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग (विधान मण्डल) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 49,33,000 रुपये से अनधिक धनराशि, दिनांक 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में उक्त अनावश्यक धनराशियों की पूर्ति के लिये जो मांगें सदन के पटल पर रख दी गयी हैं उनमें क्रमशः अंकित लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशियों के अतिरिक्त धनराशियां जिनका कुल योग 2 अरब 78 करोड़ 45 लाख 26 हजार रुपये हैं,

से अनधिक धनराशियां स्वीकृत की जायें ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय राणा जी, कटौती का प्रस्ताव करें ।

(कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया ।)

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि विधान सभा की आज दिनांक 1 मार्च, 1989 की कार्यसूची की मद संख्या 9 की उपमदों--

(1) अनुदान संख्या 71--सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की

पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 68,05,42,000 रुपये से अनधिक धनराशि,

(2) अनुदान संख्या 72--सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 26,93,32,000 रुपये से अनाधिक धनराशि,

(3) अनुदान संख्या 73--सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 6,82,54,000 रुपये से अनधिक धनराशि,

(4) अनुदान संख्या 74--सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 12,55,20,000 रुपये से अनधिक धनराशि,

(5) अनुदान संख्या 75--सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,63,54,69,000 रुपये से अनधिक धनराशि,

(6) अनुदान संख्या 75-क--सार्वजनिक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,76,000 रुपये से अनधिक धनराशि, तथा

(7) अनुदान संख्या 62--विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग (विधान मण्डल) अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 49,33,000 रुपये से अनधिक धनराशि दिनांक 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशियों की पूर्ति के लिये जो मांगें सदन के पटल पर रख दी गयी हैं, उनमें क्रमशः अंकित लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशियों के अतिरिक्त धनराशियों जिनका कुल योग 2 अरब 78 करोड़ 45 लाख 26 हजार रुपये हैं,

से अनधिक धनराशियां स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(व्यवधान)

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1989

श्री उपाध्यक्ष--

राजेन्द्र कुमार गुप्त जी, अननुमोदन का संकल्प प्रस्तुत करें।

(किसी ने अननुमोदन का संकल्प प्रस्तुत नहीं किया)

*ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्री श्याम सूरत उपाध्याय)--

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1989 जैसा उत्तरप्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष--

संशोधन प्रस्तुत किया जाय।

(किसी के द्वारा संशोधन प्रस्तुत नहीं किया गया।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1989 जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 2, 3 तथा खण्ड 1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1989

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1977 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के चालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1989 कहा जायगा ।

(2) यह 31 दिसम्बर, 1988 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 1977 की धारा 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1977 को, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, उपधारा (1) में, शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1988" के स्थान पर शब्द और अंक "30 अप्रैल, 1989" रख दिये जायेंगे ।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 19 सन् 1988 निरसन और अपवाद

3—(1) उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1988 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानो यह अधिनियम सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त था ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 व 3, खण्ड 1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

*श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय में आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1989 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ?

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक 1989 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(विरोध पक्ष के कई सदस्य आ गये और प्रतिवेदकों के पास रखे माइक को नीचे फेंक दिया । कुछ सदस्य सदन के फ्लोर पर प्रतिवेदकों की मेज पर चढ़ गये और नारे लगाने लगे [× × ×] जिससे सदन में घोर व्यवधान हो गया ।)

(कुछ उत्तेजित सदस्यों ने अध्यक्ष पीठ की ओर कागज के पुलिन्दे बनाकर फेंके जिन्हें डिप्टी मार्शल तथा विधान सभा रक्षकों ने रोक लिया ।)

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1989

श्री उपाध्यक्ष--

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त...(व्यवधान)

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त के खड़े न होने पर और अननुमोदन का संकल्प प्रस्तुत न किये जाने पर)

*सार्वजनिक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1989 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ?

श्री उपाध्यक्ष--

संशोधन प्रस्तुत किये जायं ।

(किसी के द्वारा संशोधन प्रस्तुत नहीं किया गया)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1989 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट--[× × ×] यह अंश मा० अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

खण्ड 2 से 5, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1989

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1977 और उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 1978 का अग्रेतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के चालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1989 कहा जायगा। — संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह 28 दिसम्बर, 1988 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

2—उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1977 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, जहां कहीं भी शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1988" आये हों, उनके स्थान पर शब्द और अंक "30 जून, 1989" रख दिये जायेंगे। — उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 1990 की धारा 2 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 3 में, शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1988" के स्थान पर शब्द और अंक "30 जून, 1989" रख दिये जायेंगे। — धारा 3 का संशोधन

4—उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 94 में, शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1988" के स्थान पर शब्द और अंक "30 जून, 1989" रख दिये जायेंगे। — उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 35 सन् 1978 की धारा 24 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 17 सन् 1988

5—(1) उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1988 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। — निरसन और अपवाद

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित धारा 2 और 4 में निर्दिष्ट अधिनियमों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित उक्त अधिनियमों के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 2 से 5, खंड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंश माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

*सार्वजनिक निर्माण एवं संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1989, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाये ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1989 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—

नियम 51 के अन्तर्गत आज कुल 5 सूचनायें प्राप्त हुई सभी को अस्वीकार किया जाता है ।

अब हम उठते हैं कल 11 बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 3 बजकर 40 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
1 मार्च, 1989

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी
देखिये अता० प्र० सं० 23 का
शारदा सहायक खण्ड

शारदा सहायक खण्ड 4 फैजाबाद 5 विधान सभा क्षेत्र मिल्कीपुर में वर्ष 1986-87

क्रमांक	नाम ड्रेन	विकास खंड का नाम	स्वीकृत लम्बाई	नये नालों का निर्माण		
				निर्मित लम्बाई	पक्का कार्य	धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	उचौला ताल	मिल्कीपुर	32·00	..	1	53052·00
2	सरूरेपुर	,,	7·90	..	2	24913·00
3	गोवुला	,,	4·00	..	1	4232·00
4	लिंक ड्रेन 53.20 सुल्तानपुर शाखा	,,	1·00	..	..	..
5	महोली	कमानीगंज	6·40	..	2	44853·00
6	नन्दौली ड्रेन	,,	8·60	..	..	..
7	कन्जी	,,	8·40	..	1/4	2194·00
8	कोपला ताल	,,	12·20	..	..	..
9	चमरूपुर	,,	2·30	..	..	..
10	लिंक ड्रेन 31.700	,,	2·50	..	..	..
11	बिरोली ग्राम	,,	2·60	1·30	..	20335·00
12	बिनायकपुर	,,	1·00	0·90	2	57874·00
13	कंजी लिंक	,,	3·10	1·50	1	93683·62
14	कटघर लिंक ड्रेन	,,	3·00	1·80	..	18930·00
15	मानूडीह	,,	5·90	2·00	..	18240·00
16	चकारा कल्यानपुर	हरिंगटनगंज	4·80	1·80	1	128678·66
17	रामपुर जोहन लिंक ड्रेन	,,	2·58	1·10	..	14160·00
18	रामपुर जोहन	,,	1·00	1·00	..	15350·00
19	मलेथू लिंक	,,	1·50	0·80	..	12140·00
	योग	..	110·78	12·20	10 1/4	508635·28

'छ'

उत्तर पीछे पृष्ठ 41 पर)

43 फैजाबाद

में नये नालों की खुदाई तथा सफाई का विवरण

नालों का पुनरोद्धार			नालों की सफाई कार्य		
लम्बाई	पक्का कार्य	धनराशि	लम्बाई	धनराशि	कुल व्यय की गयी धनराशि
8	9	10	11	12	13
20·30	..	575019·00	..	..	628071·00
0·825	..	5584·00	..	..	30497·00
2·60	..	7799·00	..	..	12031·00
0·80	..	9178·00	..	..	9178·00
1·18	..	18209·00	..	..	63062·00
5·00	..	47124·00	..	..	47124·00
4·85	..	42115·00	..	..	44309·00
8·90	..	105623·00	..	..	105623·00
1·80	..	7748·00	..	..	7748·00
2·00	..	5687·00	..	..	5687·00
..	..	..	..	..	20335·00
..	..	..	..	..	57874·00
..	..	..	..	..	93683·62
..	..	..	..	..	18930·00
..	..	..	..	..	18240·00
..	..	..	..	..	128678·66
..	..	..	..	..	14160·00
..	..	..	..	..	15350·00
..	..	..	..	..	12140.00
48·259	..	824086·00	..	..	1332721·28

(तुला राम)

अधिशासी अभियन्ता ।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

शारदा सहायक खण्ड-
के नये नालों की खुदाई एवं

नाले का निर्माण

क्र0सं0	ड्रेन का नाम	विकास खंड का नाम	स्वीकृति लम्बाई	निर्मित लम्बाई	पक्का कार्य	धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
						रु0
1	कोयला ताल	अमानीगंज	12.20	..	..	..
2	नन्दौली	,,	8.60	..	1	32,558.00
3	नहोली	,,	6.40	..	..	..
4	चमरुपुर	,,	2.30	..	1	12,324.60
5	कंजी लिंक	,,	8.40	..	..	..
6	लिंक ड्रेन 31.700 सुलतानपुर शाखा	,,	2.00	..	1	12,324.60
7	कटघर लिंक	,,	3.00	1.15	..	35,235.00
8	मानूडीह	,,	5.90	3.85	1	42,566.60
9	बिरौली झाम	,,	2.60	1.28	..	23,920.00
10	कंजो लिंक	,,	3.10	1.60	..	41,825.00
11	नन्दौली लिंक	,,	..	..	1	32,558 40
12	सदरपुर	मिल्कीपुर	7.80	..	2	1,04,205.80
13	पाराधनेथुवा	,,	2 20	..	..	..
14	उर्वला ताल	,,	32.00	..	..	..
15	बजरौली	,,	1.00	..	..	..
16	रामपुर जोहन	लिंक हरिश्चन्द्र गंज	2.58	1.48	..	5,681.00
17	मलेथ लिंक	,,	1.50	0.69	..	3,162.50
18	चशारी कल्यानपुर	,,	4.80	3.00	..	82,176.50
	योग	..	106.38	12.96	7	4,28,638.40

43, फैजाबाद

सफाई का विवरण

नालों का पुनरोद्धार			नाले की सफाई का कार्य		
लम्बाई	पक्का कार्य	व्यय	लम्बाई जिसमें कार्य हुआ	व्यय	योग
8	9	10	11	12	13
		रु0		रु0	रु0
9.20	1	4,13,523.00	..	..	4,13,523.00
5.30	1	49,831.00	..	..	82,389.40
3.60	..	32,288.00	..	..	82,288.00
1.20	..	6,402·00	..	..	18,726.60
6.45	..	60,332.00	..	..	60,332.00
..	..	..	2.00	4,956.00	17,280.00
..	..	..	..	..	35,235.00
..	..	..	..	..	42,566.60
..	..	..	..	..	23,920.00
..	..	..	..	..	41,825.00
..	..	..	..	..	32,558.40
4.935	..	36,012.00	..	..	1,40,217.80
..	..	..	2.00	13,771.00	13,771.00
15.0	..	7,63,622·50	..	..	7,63,622.50
..	..	..	1.00	3,100.00	3,100.60
..	..	..	..	..	5,681.00
..	..	..	..	..	3,162.50
..	..	..	..	..	82,176.50
44.585	2	13,62,010.50	5.00	21,827.00	18,12,475.90

ह0 अस्पष्ट,

अधिशासी अभियन्ता,

शारदा सहायक खंड 43, फैजाबाद ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये अता० प्र० सं० 35 का उत्तर पीछे पृष्ठ 47 पर)

प्रगति विवरण

लखवाड़ व्यासी परियोजना के अन्तर्गत लघु सीमेंट संयंत्र स्थापित करने का निर्णय शासन द्वारा फरवरी, 1980 में लिया गया था। इस परियोजना पर अब तक कुल रु० 58.41 लाख व्यय हो चुका है। इस राशि में से रुपया 5 लाख सिंचाई विभाग उ० प्र० ने एवं शेष धनराशि उ० प्र० राज्य सीमेन्ट निगम ने लगाया। परियोजना पर किसी वित्तीय संस्था का कोई कर्ज नहीं है।

लघु सीमेन्ट संयन्त्र मूलतः देहरादून जनपद म चल रही सिंचाई विभाग को परियोजनाओं को सीमेंट देने के लिए लगाया जा रहा था। सिंचाई विभाग ने फरवरी, 1982 में केवल 5 लाख रुपया का योगदान कर सका। सीमेंट निगम जून, 1982 में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने का अनुरोध किया। इसी बीच देहरादून की कुछ स्थानीय संस्थाओं ने तत्कालीन प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरागांधी को देहरादून घाटी में हो रहे प्रदूषण से अवगत कराया। प्रधान मंत्री जी ने इस तथ्य को सही पाकर तत्कालीन उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री को इस परियोजना न लगाने का परामर्श किया। इस कारण प्रदूषण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण-पत्र न मिल पाया।

विधान परिषद सचिवालय

नत्थी "ग"

(देखिये अता0 प्र0 सं0 63 का उत्तर पीछे पृष्ठ 59 पर)

अतारांकित प्रश्न संख्या 63 में उल्लिखित सूची संलग्न-ह

क्र0 सं0	ठेकेदार का नाम	पता
	सर्वश्री--	
1	राम सजीवन वर्मा	ग्राम नैरी, पो0 शाहपुर-भगौली, बाराबंकी ।
2	प्यारे लाल वर्मा	ग्राम महुआ डाडा, पो0 सुल्तानपुर, सीतापुर ।
3	सहज राम	ग्राम मलिकापुर, पो0 गुलरामऊ, सीतापुर ।
4	राजेश कुमार वर्मा	ग्राम महुआ डाडा, पो0 सुल्तानपुर, सीतापुर ।
5	जयन्ती प्रसाद वर्मा	सारावणी टोला, महमूदाबाद, सीतापुर ।
6	राजकुमार गोयल	आर्यानगर, सीतापुर ।
7	कौशल किशोर	आर्यानगर, सीतापुर ।
8	मसूद अली	पैंतपुर, सीतापुर ।
9	छुटकन्नू	ग्राम, पो0 शाहपुर-भगौली, बाराबंकी ।
10	मो0 उमरखान	महमूदाबाद, सीतापुर ।
11	मो0 इकबाल अहमद	महमूदाबाद, सीतापुर ।
12	मशूक अली	पैंतीपुर, सीतापुर ।
13	अयोध्या प्रसाद	ग्राम मलिकापुर, पो0 पुरवारेवान, सीतापुर ।
14	राम कुमार	ग्राम गुलरामऊ, पो0 पुरवारेवान, सीतापुर ।
15	कन्हैयालाल	अम्बरपुर, पो0 कटरा, सीतापुर ।
16	सुरेश प्रकाश	ग्राम बाकरपुर, पुरवासेवान, सीतापुर ।
17	कमलेश कुमार	ग्राम कदरौलापुरवा, सीतापुर
18	मिट्ठू	ग्राम राजापुर, मो0 बघाइन, सीतापुर ।
19	चन्द्रदेव	तदेव
20	मो0 अजमल खां	महमूदाबाद, सीतापुर ।
21	जगदीश बसीन	तदेव
22	गुलाम जलानी	ग्राम पैगम्बरपुर, पो0 महमूदाबाद, सीतापुर ।
23	जावेद खां	महमूदाबाद, सीतापुर ।
24	सांवरन लाल	मीरनगर, पो0 सरैया, सीतापुर ।
25	मन्नू लाल	सरैया, सीतापुर ।
26	हीरा लाल	ग्राम गुलरामऊ, पो0 पुरवारेवान, सीतापुर ।
27	विकास चन्द्र जैन	महमूदाबाद, सीतापुर ।
28	राम कुमार	ग्राम पकरियापुर, पो0 फतेहपुर, बाराबंकी ।
29	अरुण कुमार	सुभाषनगर, महमूदाबाद, सीतापुर ।
30	सन्तोष कुमार	ग्राम पकरियापुर, फतेहपुर, बाराबंकी ।
31	धर्म कुमार जैन	महमूदाबाद, सीतापुर ।
32	विनोद कुमार अवस्थी	दीनदयालनगर, खबरा, लखनऊ ।
33	मे तर्स कुमार ट्रान्सपोर्ट कम्पनी	बिहरना चौराहा, लखनऊ ।
34	मो0 शफी	ग्राम गुलरामऊ, पो0 पुरवारेवान, सीतापुर ।
35	मेसर्स जी0 डी0 वर्मा	महमूदाबाद, सीतापुर ।
36	मे0 शिव कांस्ट्रक्शन कं0	सुभाषनगर, महमूदाबाद, सीतापुर ।
37	मे0 वर्मा लाउडस्पीकर एण्ड बैटरी सर्विस	महमूदाबाद, सीतापुर ।
38	अजहर हुसैन	महमूदाबाद, सीतापुर ।
39	जसकरन लाल वर्मा	ग्राम धधसी, पो0 बेलहरा, बाराबंकी ।

नलकूपों

(देखिये भता0 प्र0 सं0 69 का

जनवरी, 1986 से जुलाई, 1988 तक बन्द

क्रम0 संख्या	नलकूप संख्या		नाम ग्राम	तिथि बन्दी	कारण बन्दी
1	2		3	4	5
1	88	बी0 जी0	चिखड़ी	19-1-88	मोटर दोष
2	38	,,	बुरेहट	19-1-88	पंप दोष
3	187	,,	हसखास	23-1-88	स0 मोटर दोष
4	254	,,	केशवपुर	06-2-88	पंप दोष
5	200	,,	पड़री	22-2-88	मोटर दोष
6	178	,,	नियामतपुर	22-2-88	पंप दोष
7	30	,,	सागरपटी	27-3-88	मोटर दोष
8	25	,,	हरदोइया	1-4-88	तदेव
9	222	,,	कल्यानपुर	11-4-88	तदेव
10	39	,,	आदिलपुर	10-6-88	तदेव
11	216	,,	रजौरा	17-6-88	तदेव
12	372	,,	रजौरा	4-7-88	तदेव
13	199	,,	जांखा	6-7-88	तदेव
14	219	,,	डीह भरथी	22-7-88	तदेव

उत्तर प्रदेश विधान सभा

'ब'

(उत्तर पीछे पृष्ठ 61 पर)

राजकीय नलकूपों की सूची (यांत्रिक दोष)

तिथि चालू	बन्दी अवधि	अधिक बन्दी कारण	दोषी व्यक्ति के विरुद्ध की गई कार्यवाही
6	7	8	9
15-2-88	27 दिन	से0 मि0 की कार्य शिथिलता	से0 मि0 को सेन्सर तथा अवर अभियन्ता को सचेत कर दिया गया है।
22-2-88	34 दिन	तदेव	तदेव
16-2-88	26 दिन	सब सेट हेस्टाट की खराबी जिसको रिपेयर कराने में अधिक समय लगा	
28-2-88	19 दिन	से0 मि0 की कार्य शिथिलता	से0 मि0 को सेन्सर तथा अवर अभियन्ता को सचेत कर दिया गया।
28-3-88	34 दिन	तदेव	तदेव
29-2-88	7 दिन	..	..
9-4-86	12 दिन	से0 मि0 की शिथिलता	से0 मि0 को सेन्सर कर दिया गया।
5-5-88	34 दिन	तदेव	से0मि0 को सेन्सर तथा अवर अभियन्ता को सचेत कर दिया गया।
26-4-88	15 दिन	तदेव	तदेव
18-6-88	7 दिन	..	..
4-7-88	21 दिन	से0 मि0 की शिथिलता	से0 मि0 को सेन्सर तथा अवर अभियन्ता को सचेत कर दिया गया है।
18-7-88	14 दिन	तदेव	तदेव
28-7-88	23 दिन	तदेव	तदेव
4-8-88	13 दिन	तदेव	तदेव

जनवरी, 1988 से जुलाई, 1988 तक बिद्युत्

क्रमांक	नलकूप पद	ग्राम	तिथि बन्दी	कारण बन्दी
1	2	3	4	5
1	186 बी0 जी0	बछौली	23-2-88	लाइन खराब
2	358 ,,	मलेथू	24-2-88	टी0 एफ0 दोष
3	183 ,,	बसवार	30-3-88	तदेव
4	249 ,,	घाटमपुर	27-5-88	लाइन खराब
5	178 ,,	नियामतपुर	25-5-88	तदेव
6	222 ,,	कल्यानपुर	17-5-88	केबिल चोरी
7	328 ,,	जमुआ	2-6-88	लाइन खराब
8	259 ,,	मुकीमपुर	9-8-88	टी0एफ0 दोष
9	39 ,,	आदिलपुर	16-6-88	केबिल चोरी
10	128 ,,	जासरपुर	13-7-88	टी0एफ0 दोष
11	355 ,,	हरदोइया	8-7-88	तदेव
12	287 ,,	भिटारी	20-7-88	लाइन खराब
13	345 ,,	निमडी	25-7-88	तदेव
14	128 ,,	जासरपुर	20-7-88	तदेव

उत्तर प्रदेश विधान सभा

दोष से बन्द नलकूपों की सूची :

तिथि चालू	बन्दी अवधि	क० न० दि०
6	7	8
13-3-88	18 दिन	17/24-2-88
12-6-88	118 दिन	14/24-2-88
18-8-88	79 दिन	42/30-3-88
29-5-88	2 दिन	13/28-3-88
2-8-88	7 दिन	12/25-5-88
18-9-88	123 दिन	126/18-5-88
20-6-88	17 दिन	33/4-6-88
3-10-88	119 दिन	21/9-6-88
4-10-88	120 दिन	6/16-6-88
20-7-88	6 दिन	23/14-7-88
4-10-88	78 दिन	7/10-7-88
24-8-88	34 दिन	63/21-7-88
21-8-88	26 दिन	20/26-7-88
3-10-88	75 दिन	23/21-7-88

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ङ'

(देखिये अता० प्र० संख्या 92 का उत्तर पीछे पृष्ठ 70 पर)

माह मार्च, 1988 से दिसम्बर, 1988 तक ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु गोरखपुर, देवरिया तथा आजमगढ़ जनपदों में निर्गत किये गये मुख्य सामानों की सूचना (मात्रा सहित)

क्रम-संख्या	सामग्री का नाम	इकाई	गोरखपुर जनपद	देवरिया जनपद	आजमगढ़ जनपद
1	2	3	4	5	6
1	पी० सी० सी० पोल	नं०	3863	2097	3372
2	पी० के० वी० क्रास आर्म	नं०	1035	1516	1167
3	पी० के० वी० जी० आई० पिन	नं०	2808	2156	4572
4	पी० के० पिन इंसुलेटर	नं०	1356	2140	3987
5	पी० के० डिस्क इंसुलेटर	नं०	1393	769	1475
6	पी० के० डिस्क फिटिंग	नं०	1056	639	1513
7	स्टे राड 16 × 1800 एम० एम०	नं०	1540	997	3115
8	स्टे वायर 7/10	एम० टी०	682	10·6	19·4
9	ए० सी० एस० आर० बिजली तार	कि० मी०	189	136	388
10	25 के० वी० ए० ट्रांसफार्मर	नं०	80	44	111
11	एल० टी० शैकिल इंसुलेटर	नं०	6892	5033	7115
12	जी० आई० वायर 5 एम० एम०	एम० टी०	20·9	14·7	23·5
13	सीमेंट	बैग	841	828	858
14	पी० वी० सी० केबुल 4 × 6 एम० एम० 2	कि० मी०	132	2·43	7·62

पी० एस० यू० पी०—9 वि० सभा—26-7-1989—813 (पी० डी०)।